"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 324] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 30, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 (अग्रहायण 30, 1927)

क्रमांक-14329/विधान/2005.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 23 सन् 2005), जो दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 23 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2005

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2, सन् 2005) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 है। **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2, सन् 2005), के शीर्षक में शब्द "विक्रय" का लोप किया जाय। **अधिनियम के शीर्षक का संशोधन.**

3. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2, सन् 2005) (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा 1 की उपधारा (1) में शब्द "विक्रय" का लोप किया जाय। **धारा 1 का संशोधन.**

4. मूल अधिनियम की धारा 2 में,— **धारा 2 का संशोधन.**

(1) खण्ड (ग) का लोप किया जाय।

(2) खण्ड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात:—.

"(ड.) पूंजीगत माल से अभिप्रेत है, ऐसे उपस्कर जो कि अधिसूचित की जाय को अपवर्जित करते हुए संयंत्र (प्लांट), मशीनरी तथा उपस्कर जो प्रत्यक्षतः विनिर्माण प्रकिया और/या कारोबार के दौरान उपयोग में लाये जाते है।"

(3) खण्ड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जायः—

"(ड.—क) "वाणिज्यिक कर अधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया कोई वाणिज्यिक कर अधिकारी और उसमें शामिल है अपर वाणिज्यिक कर अधिकारी।

(ड.—ख) "पके अन्न (कुक्ड फुड)" में मिठाइयां और मिष्ठान, नमकीन, मिश्री, बताशा, चिरोंजी, श्रीखण्ड, रबड़ी, दूध पाक, पीने के लिए तैयार चाय और काफी सम्मिलित है किन्तु उसमें आइस्क्रीम, कुल्फी, आइसकेण्डी अमद्यसारिक (नान—एल्कोहलिक) पेय जो आइस्क्रीम से युक्त हो, केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, चाकलेट्स, टॉफीज चूषिकाएँ (लाजेज), पिपरमिण्ट की गोलियां और मावा सम्मिलित नहीं है,"

(4) स्पष्टीकरण (दो) के पश्चात् खण्ड (न) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाय, अर्थातः—

"(तीन) धारा 8 के अधीन करारोपण के प्रयोजन हेतु अनुसूची—2 के भाग—2 की प्रवृष्टि 42 में निर्दिष्ट औषध तथा औषधि के विक्रय के लिए व्यापारी को प्रदत्त या देय मूल्यवान प्रतिफल की राशि, पैकेज, जिसमें औषध तथा औषधि है, पर छपी हुई अधिकतम खुदरा मूल्य की राशि होगी।"

(5) खण्ड (प) का लोप किया जाय।

(6) (एक) खण्ड (ब) के उपखण्ड (3) के पैराग्राफ (तीन) का लोप किया जाय।

(दो) परन्तुक (अ) में शब्द एवं अंक "अथवा उपखण्ड (तीन) के पैरा (3)" और "अथवा खण्ड (दो)" का लोप किया जाय।

(तीन) परन्तुक (ब) में शब्द "अथवा खण्ड (दो)" और "अथवा उपखण्ड (तीन) के पैरा (तीन)" का लोप किया जाय।

(7) खण्ड (य) में शब्द 'विकय' का लोप किया जाय।

धारा 2, 3, 25, 43, 58, 60 और 63 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 2, 3, 25, 43, 58, 60 और 63 में जहां कहीं भी शब्द "विकय कर" आया हो, के स्थान पर शब्द "वाणिज्यिक कर" प्रतिस्थापित किया जाय।

6. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाय, अर्थात्:— **धारा 3-क का अंतःस्थापन.**

"3-क अधिकरण,

(1) ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुये, जो कि इस संबंध में बनाये जायें, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उस तारीख से, जो कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हैं, अधिकरण का गठन इस हेतु कर सकेगी कि वह अधिकरण उन शक्तियों का, जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, प्रयोग करें तथा उन कृत्यों का, जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिकरण को प्रदत्त किये गये हैं, पालन करें।

(2) उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख तक, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अधिकरण के रूप में कार्य करेगा तथा पूर्व वर्णित तारीख को वे समस्त कार्यवाहियाँ, जो अधिकरण के रूप में कार्य करते हुए राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ के समक्ष लंबित हैं, उपधारा (1) के अधीन गठित अधिकरण को अंतरित हो जायेंगी।

(3) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, अधिकरण अपनी प्रकिया का तथा अपने कामकाज के निपटारे का विनियमन करने वाले ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से संगत हों, समय-समय पर बना सकेगा।"

7. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में, शब्द "जो पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होगी" का लोप किया जाय। **धारा 4 का संशोधन.**

8. मूल अधिनियम की धारा 8 में,— **धारा 8 का संशोधन.**

(1) खण्ड (एक) में शब्द तथा अंक "भाग-एक, दो, चार तथा पांच" के स्थान पर शब्द एवं अंक "अनुसूची-2 के भाग-एक, दो तथा चार" प्रतिस्थापित किया जाय।

(2) खण्ड (दो) में शब्द "तथा चार" का लोप किया जाय।

9. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(1) उपधारा (1) के खण्ड (क) में अंक 15 के पश्चात्, "या 15-ख" तथा शब्द "माल के विनिर्माण में इसका उपयोग किया गया है" के पश्चात् **धारा 9 का संशोधन.**

शब्द "जिनका भारत के राज्य के क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न प्रकार से व्ययन किया जाता है।" अंतःस्थापित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(दो) विनिर्मित माल के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया जाता है,—
और ऐसा कर,—
(क) खण्ड (क) और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट माल के संबंध में अनुसूची–2 के कालम (3) और (4) में विनिर्दिष्ट दर से, और
(ख) खण्ड (ग) के उप–खण्ड (एक) में निर्दिष्ट माल के संबंध में अनुसूची 2 के भाग 2, भाग 3 तथा भाग 4 में विनिर्दिष्ट माल पर 4 प्रतिशत की दर से, और
(ग) खण्ड (ग) के उप–खण्ड (दो) में निर्दिष्ट माल के संबंध में उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट दर से, जिस दर से राज्य के भीतर ऐसे माल के विक्रय पर ऐसे क्रय की तारीख को उद्गृहीत किया गया होता, उद्गृहित किया जाएगा।"

धारा 10 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(1) उपधारा (2) के खण्ड (अ) में शब्द "और/या अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट माल क्रय कर रहा हो" के पश्चात् शब्द "और/या कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो पके अन्न (कुक्ड फुड) का निर्माण करता है" अंतःस्थापित किया जाय और शब्द "पन्द्रह" के स्थान पर शब्द "पचास" प्रतिस्थापित किया जाय।

(2) उपधारा (2) के खण्ड (ब) में शब्द एवं अंक "उपधारा (1) के अधीन" का लोप किया जाय।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (स) का लोप किया जाय।

धारा 13 का संशोधन.

11. मूल अधिनियम की धारा 13 में,—

(1) उपधारा (1) के खण्ड (क) के शब्द (क) के पश्चात अंक "(एक)" अंतःस्थापित किया जाय।

(2) ऐसे पुनः क्रमांकित उपधारा (1) के उपखण्ड (क) (i) में शब्द एवं वाक्यांश "विक्रय के लिए क्रय करता है, जब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।" के स्थान पर शब्द और अंक, "या राज्य के बाहर माल के अन्तरण के रूप में विक्रय के लिये क्रय करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा" स्थापित किया जाए.

(3) उपखण्ड (क) (i) के पश्चात् निम्न उपखण्ड जोड़ा जाय, अर्थात :-

"(ii) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कोई माल जो कि अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन उसे कर का भुगतान करने के पश्चात्, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर कारबार के दौरान पूंजीगत माल के रूप में उपभोग के लिये क्रय करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा।"

(4) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द एवं अंक "या अनुसूची एक अथवा अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट किसी माल के भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात, करने के अनुक्रम में विक्रय के लिए क्रय करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।"के स्थान पर शब्द एवं अंक "या राज्य के बाहर माल के अन्तरण के रूप में विक्रय के लिये या अनुसूची-1 अथवा अनुसूची- 2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात करने के अनुक्रम में विक्रय के लिये क्रय करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा।" स्थापित किया जाए।

(5) उपधारा (1) के खण्ड (ग) में शब्द (ग) के स्थान पर शब्द (ख) प्रतिस्थापित किया जाय।

(6) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाय, अर्थात :-

"परन्तु, यदि आगत कर के रिबेट की राशि दो वर्षों की अवधि के पश्चात् भी समायोजन हेतु शेष रहती है, तो ऐसी रिबेट की राशि प्रतिदाय के रूप में प्रदान की जाएगी।"

(7) उपधारा (5) के खंड (क) के उपखंड (एक) तथा (दो) में शब्द "अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुकम में" के पश्चात् शब्द "या राज्य के बाहर माल के अंतरण के रूप में माल के विकय के लिये।" स्थापित किया जाए।

(8) उपधारा (6) के खंड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाय, अर्थातः—

"(चार) अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में, जिसके विकय बिल, बीजक या कैश मेमो में कर की राशि पृथक से नहीं दर्शाई गई है।"

धारा 15 का संशोधन.

12. (1) मूल अधिनियम की धारा 15 में विद्यमान धारा को उपधारा (1) के रूप में कमांकित किया जाय।

(2) धारा (1) में निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाय, अर्थात्:—

"(2) राज्य सरकार, किसी माल के संबंध में, अधिसूचना द्वारा अनुसूची 1 में संशोधन कर सकेगी जिससे कि उसके अंतर्गत ऐसा माल आ सके जो पहले से विनिर्दिष्ट नहीं है या उसके तीसरे कॉलम में की तत्संबंधी प्रविष्टि में दी गई शर्तों तथा दिए गए अपवादों में से किसी शर्त तथा अपवाद को शिथिल कर सकेगी या लोप कर सकेगी।"

नई धारा का अंतःस्थापन.

13. मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाय, अर्थात्:—

"15–क अनुसूची–2 को संशोधित करने की राज्य शासन की शक्ति–

(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अनुसूची–2 को संशोधित कर सकेगी और तदुपरि उक्त अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जाएगी।

परन्तु घोषित माल से भिन्न उसमें विनिर्दिष्ट किसी माल के संबंध में कर की दर अनुसूची में विनिर्दिष्ट ठीक उच्चतर स्तर में विहित कर की दर से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और भी कि यदि किसी माल को अनुसूची के किसी एक भाग में से निकालकर तथा किसी दूसरे में अंतःस्थापित करके या की जाए या जोड़ी जाए तो ऐसे माल के संबंध में कर की दर अनुसूची में विनिर्दिष्ट ठीक उच्चतर स्तर में विहित कर की दर से अधिक नहीं होगी।

(2) कर की दर में वृद्धि करने संबंधी कोई भी अधिसूचना, इस धारा के अधीन तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी अधिसूचना जारी करने के अपने आशय की ऐसी पूर्व सूचना, जैसी कि राज्य सरकार युक्तियुक्त समझे, राजपत्र में नहीं दे दी जाती।
(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, यथासंभव शीघ्र, विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी।

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, व्यावृति 15ख

(एक) (क) व्यापारियों के किसी वर्ग को, या
(ख) किसी माल या माल के किसी वर्ग को, पूर्णतः या अंशतः इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से, ऐसी कालावधि के लिए, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए,

(दो) किसी व्यापारी या व्यापारियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के किसी उपबंध से या धारा 71 के अधीन बनाए गए नियम के किसी उपबंध से ऐसी कालावधि के लिए, जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये,

चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से छूट दे सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना की उस कालावधि को, जिसके लिए उसे प्रवृत्त रहना था, अवसान होने के पूर्व विखण्डित किया जा सकेगा और ऐसा विखण्डन हो जाने पर ऐसी अधिसूचना प्रवृत्त नहीं रह जाएगी। किसी पूर्ववर्ती अधिसूचना को विखंडित करने वाली अधिसूचना का भविष्यलक्षी प्रभाव होगा।

(3) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (छ.ग. अधिनियम कमांक 5 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के निरस्त हो जाने पर भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा–

(एक) (क) व्यापारियों के किसी वर्ग को, या
(ख) किसी माल या माल के किसी वर्ग को पूर्णतः या अंशतः

निरसित अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से, या

(दो) किसी व्यापारी को या व्यापारियों के किसी वर्ग को निरसित अधिनियम के किसी उपबंध से या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंध से इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व

की किसी कालावधि के लिए छूट दे सकेगी और उस प्रयोजन के लिए यही और सदैव यही समझा जाएगा कि निरसित अधिनियम की धारा 17 के उपबंध, ऐसी छूट के प्रयोजन के लिए पुनः प्रवर्तित हो गए हैं।"

धारा 16 का संशोधन.

14. मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(1) प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जिसकी कुल राशि (टर्न ओवर) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं से अधिक हो जाती है, स्वयं को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तीस दिन के भीतर विहित रीति में रजिस्ट्रीकृत कराएगा।

(2) (क) ऐसा व्यापारी, जिसे उपधारा (1) लागू होती है, से भिन्न प्रत्येक व्यापारी उस तारीख से जिसको कि उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) किसी वर्ष में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विहित की गई सीमाओं से प्रथम बार अधिक हो जाती है, विहित कालावधि के भीतर स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा;

(ख) प्रत्येक व्यापारी धारा 30 की उपधारा (1) के अर्थ के अंतर्गत किसी कारबार का अंतरिती होने के कारण, उस कारबार के अंतरण की तारीख से तीस दिन के भीतर जिसका कि वह एक अंतरिती है, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा;

(ग) ऐसा व्यापारी जो यद्यपि धारा–4 के अधीन कर के भुगतान के दायित्वाधीन नहीं है, स्वैच्छिक रूप से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की वांछा करता है, स्वयं को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराएगा;

(घ) कोई भी व्यक्ति जो वर्ष में दो लाख रूपये से अधिक मूल्य के विक्रयार्थ माल विनिर्माण के लिये राज्य में कारोबार स्थापित करने का आशय रखता है और जो राज्य में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिये राज्य शासन के उद्योग विभाग में रजिस्ट्रीकृत है या जिसे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951(1951 का सं. 65) के उपबंधों के अधीन, राज्य में कोई नवीन औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये जहॉं कहीं आवश्यक है, अनुज्ञप्ति जारी की गई है या जिसने सूचना संबंधी ज्ञापन केन्द्रीय शासन को भेजा है, इस बात के होते हुए भी कि वह उक्त खण्ड (क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये दायी नहीं है, स्वयं को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत करायेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यापारी, या कोई व्यापारी जो उपधारा (दो) के खण्ड (ग) के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराने की वांछा करता है या कोई व्यक्ति जो उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराने की वांछा करता है, आयुक्त को ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, शपथपत्र में समर्थन के साथ आवेदन कर सकेगा, जिसमें सही तथा सम्पूर्ण विशिष्टियां दी जाएंगी।

(4) (क) जिस दिन, उपधारा (1) या उपधारा (2) द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त होता है, उस दिन उक्त प्राधिकारी, आवेदक को विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा;

(ख) खण्ड (क) में वर्णित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के दिए जाने के पश्चात् आयुक्त आवेदन में दी गई विशिष्टियों का ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, सत्यापन करेगा।

(ग) यदि खण्ड (ख) के अधीन सत्यापन से आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई विशिष्टियां सही नहीं हैं या आवेदक ने कतिपय तथ्यों का दुर्व्यपदेशन किया है तो वह आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने की तारीख से जो तीस दिन के से बाद की न हो, उपधारा (10) के खण्ड (ग) या खण्ड (ड.) के उपबंधों के अनुसार आवेदक को खण्ड (क) के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसके जारी किये जाने की तारीख से रद्द कर देगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र –

(क) उस मामले में, जहां कोई व्यापारी उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन विहित या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर स्वयं को उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए अपेक्षित है, या खण्ड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि किसी वर्ष में उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं से प्रथम बार अधिक हो जाती है; या कारबार के अन्तरण के दिनांक से जैसी भी स्थिति हो;

(ख) उस मामले में, जहां कि उस व्यापारी ने जो उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करा लेने के लिए अपेक्षित है यथास्थिति विहित या विनिर्दिष्ट

कालावधि का अवसान होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर दिया है, उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको कि वह रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है;

(ग) जहाँ किसी व्यापारी ने जो उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन या उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर दिया है, ऐसे आवेदन की तारीख से प्रभावी होगा और धारा 4 के उपबंधों के होते हुए भी, यथास्थिति ऐसा व्यापारी या व्यक्ति उस तारीख से उस कालावधि के दौरान जब तक कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रवृत्त रहता है, इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का दायी होगा।

(6) धारा 21 की उपधारा (6) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जब किसी व्यापारी ने उपधारा (1) या उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार विहित समय के भीतर, युक्तियुक्त हेतुक के बिना, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत नहीं कराया है तो आयुक्त, ऐसे व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे यह निर्देश दे सकेगा कि वह पांच सौ रूपये से अनधिक की राशि का शास्ति के रूप में भुगतान करे।

(7) प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, इस अधिनियम द्वारा निरसित किए गए अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करता है, ऐसे प्रारंभ पर, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करने वाला व्यापारी समझा जाएगा।

(8) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या अन्य व्यापारी, जो धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है –

(क) उसका कारबार या उसके कारबार का कोई भाग या स्थान का विक्रय करता है या अन्यथा अंतरण करता है या कारबार के स्वामित्व में कोई अन्य परिवर्तन करता है या ऐसा परिवर्तन उसकी जानकारी में आता है, या

(ख) उसके कारबार को बंद कर देता है या अपने कारबार के स्थान को परिवर्तित कर देता है या कारबार को नये स्थान पर खोलता है; या

(ग) उसके कारबार के नाम या प्रकृति को परिवर्तित कर देता है, तो

वह या यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका विधिक प्रतिनिधि विहित समय के भीतर विहित प्राधिकारी को तद्नुसार सूचित करेगा।

(9) (क) आयुक्त –

(एक) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उपधारा (8) के उपबंधों के अनुसरण में या अन्यथा संशोधित किया जाने के लिए आवेदन किया जाने पर, ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् उस व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर संशोधित करेगा या संशोधन संबंधी आवेदन को नामंजूर करेगा; और

(दो) यह समाधान हो जाने पर कि किसी व्यापारी को जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उसमें विनिर्दिष्ट की गई कतिपय विशिष्टियों के संबंध में संशोधन किया जाना अपेक्षित है तो वह व्यापारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को संशोधित करेगा।

(ख) जब रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट किन्हीं घटनाओं के अनुसरण में खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के अधीन संशोधित किया जाता है तो ऐसा संशोधन ऐसी घटना होने की तारीख से प्रभावी होगा और उक्त उपखण्ड के अधीन आने वाले अन्य समस्त मामलों में संशोधन आवेदन की तारीख से प्रभावी होगा। खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के अधीन संशोधन, ऐसा संशोधन करने के आदेश की तारीख से प्रभावशील होगा।

(10) जब,

(क) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अपना कारबार बंद कर देता है या उसका अंतरण कर देता है, या

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का कर चुकाने का दायित्व समाप्त हो जाता है; या

(ग) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को भूल से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर कर दिया जाता है; या

(घ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी पर इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन शोध्य कर या शास्ति या किसी अन्य राशि का बकाया है; या

(ङ) आयुक्त की लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, यह राय है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र किसी अन्य कारण से रद्द कर दिया जाना चाहिए,

तो आयुक्त या तो स्वप्रेरणा से या इस संबंध में व्यापारी के आवेदन पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकेगा; किंतु ऐसे रद्दकरण के होते हुए भी व्यापारी उस कालावधि के लिये जिसके कि दौरान उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रवृत्त रहा है, कर चुकाने का दायी होगा;

परंतु जहां आयुक्त इस उपधारा के अधीन किसी व्यापारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द करना प्रस्तावित करता है वहां वह ऐसे व्यापारी को सुनवाई का अवसर देगा।

(11) कोई भी ऐसा व्यापारी जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपधारा (10) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन रद्द कर दिया गया है धारा 21 की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए ऐसा व्यापारी समझा जाएगा जिसने रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए आवेदन करने में चूक की है, किंतु वह उक्त उपधारा के अधीन कोई शास्ति चुकाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।"

धारा 17 का संशोधन.

15. मूल अधिनियम की धारा 17 का लोप किया जाय।

धारा 19 का संशोधन.

16. मूल अधिनियम की धारा 19 में,–

(1) उपधारा (4) के खण्ड (क) के उपखण्ड (3) में अंक "1.25" के स्थान पर अंक "1" प्रतिस्थापित किया जाय।

(2) उपधारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाय, अर्थातः–

"(5) (क) यदि आयुक्त को यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी कालावधि के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत की गई अपनी विवरणी या विवरणियों में दिए गए ब्यौरे सही (शुद्ध) नहीं हैं तो, वह व्यापारी को सुनवाई का अवसर देते हुए विवरणी या विवरणियों में के ऐसे ब्यौरे की शुद्धता को सत्यापित कर सकेगा।

(ख) यदि ऐसे सत्यापन पर यह पाया जाता है कि विवरणी या विवरणियों में दिए गए ब्यौरे सही नहीं हैं जहाँ तक कि उनका कर की सही दर, कर की संगणना, देय ब्याज या किसी कटौती का दावा तथा आगत कर के रिबेट के लागू होने के संबंध है, तो वह विहित प्ररूप में एक नोटिस जारी करके ऐसे व्यापारी से अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उसके द्वारा देय कर की अतिरिक्त रकम तथा ब्याज का भुगतान करें।"

17. मूल अधिनियम की धारा 22, 24, 40, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, तथा 71 में शब्द "बोर्ड" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "अधिकरण" प्रतिस्थापित किये जाय। **धारा 22, 24, 40, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56 तथा 71 का संशोधन.**

18. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) में शब्द "कर निर्धारण आदेश" के पश्चात् "अथवा किसी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय अथवा आदेश" अंतःस्थापित किया जाय। **धारा 22 का संशोधन.**

19. मूल अधिनियम की धारा 25 में,– **धारा 25 का संशोधन.**

(1) उपधारा (6) में अंक "1.25" के स्थान पर अंक "1" प्रतिस्थापित किये जाय।

(2) उपधारा (7) में अंक "15" के स्थान पर "12" प्रतिस्थापित किये जाये।

(3) उपधारा (8) में अंक "1.25" के स्थान पर अंक "1" प्रतिस्थापित किये जाये।

20. मूल अधिनियम की धारा 28 में शब्द "कोई कटौती नहीं" के पश्चात् शब्द "अथवा कम दर से कटौती" अंतःस्थापित किया जाय। **धारा 28 का संशोधन.**

21 मूल अधिनियम की धारा 39 के उपधारा (5) में शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "आधा" प्रतिस्थापित किया जाय। **धारा 39 का संशोधन.**

22. (1) मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) में वर्तमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाय, अर्थात्:– **धारा 42 का संशोधन.**

"परन्तु, जहां एक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा अन्य किसी ऐसे व्यापारी को करयोग्य माल का विक्रय किया जाता है तो बिल, बीजक या कैश मेमो में कर की राशि पृथक से दशाई जावेगी।"

(2) उपधारा (1) में वर्तमान परन्तुक में शब्द "परन्तु" के पश्चात् शब्द "यह और भी कि" अंतःस्थापित किये जाय।

धारा 48 का संशोधन.

23. मूल अधिनियम की धारा 48 में,–

(1) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात्:–

"(6) ऐसी प्रकिया के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाए तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे,

(क) अपीलीय उपायुक्त प्रत्येक अपील का निपटारा ऐसी अपील फाईल करने के दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर करेगा. ऐसी अपील का निपटारा करते समय, अपीलीय उपायुक्त कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण या दोनों की पुष्टि कर सकेगा, उसे कम कर सकेगा, उसमें वृद्धि कर सकेगा या उसे निरस्त कर सकेगा किन्तु, मामले का प्रतिप्रेषण नहीं करेगा।

(ख) अधिकरण–

(एक) कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण या दोनों की पुष्टि कर सकेगा, उसे कम कर सकेगा, उसमें वृद्धि कर सकेगा या उसे निरस्त कर सकेगा, या

(दो) कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण या दोनों को अपास्त कर सकेगा और उस अधिकारी को जिसके कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण आदेश के विरूद्ध अपील की गई है, यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी की निर्देशित की जाए, नवीन रूप से कर निर्धारण करे या शास्ति पुनः अधिरोपित करें।

(तीन) ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

धारा 49 का संशोधन.

24. मूल अधिनियम की धारा 49 में,–

(1) उपधारा (1) के खण्ड (दो) के अंत में शब्द 'जैसा कि वह उचित समझे' के पश्चात् शब्द 'पुनरीक्षण के लिए ऐसा आवेदन फाइल करने के दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर' अंतःस्थापित किये जाएं।

(2) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(1–क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि उपधारा एक के अधीन पुनरीक्षण किसी ऐसे पुनः कर निर्धारण या शास्ति के पुनः अधिरोपण के किसी ऐसे आदेश के संबंध में है, जो अपील या पुनरीक्षण में दिए गए किसी निर्देश के अनुसरण में है, तो आयुक्त उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा, किन्तु मामले का प्रतिप्रेषण नहीं करेगा।"

धारा 57–क का अंतःस्थापन.

मूल अधिनियम की धारा 57 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित किया जाय, अर्थात्:–

"57–क सर्वेक्षण

(1) ऐसे व्यापारियों की पहचान करने की दृष्टि से जो अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के दायी हैं किन्तु अरजिस्ट्रीकृत बने हुए हैं तो आयुक्त, समय–समय पर अरजिस्ट्रीकृत व्यापारियों का सर्वेक्षण करवाएगा।

(2) आयुक्त, सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए साधारण या विशेष नोटिस द्वारा किसी व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग से अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे व्यक्तियों और व्यापारियों, जिन्होंने किसी दी गई कालावधि के दौरान ऐसे व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग से कोई माल कय किया है या उन्हें किसी माल का विकय किया है, से संबंधित नाम, पते और ऐसी प्रविष्टियाँ जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रस्तुत करे।

(3) आयुक्त, सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए लोकोपयोगिता और वित्तीय संस्थाओं, जिसमें बैंकिंग कम्पनी भी सम्मिलित हैं, द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवाओं से संबंधित ब्यौरे और विशिष्टियाँ मंगा सकेगा जो उसकी राय में सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए सुसंगत और उपयोगी होंगे।

(4) आयुक्त, सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसे किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकेगा जहाँ काई व्यापारी कारबार चला रहा है किन्तु वह अरजिस्ट्रीकृत है या उसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने के लिए आवेदन नहीं किया है, चाहे ऐसा स्थान ऐसे कारबार का मुख्य स्थान है या नहीं है और किसी स्वामी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति से जो उस समय और उस स्थान पर किसी भी रीति में उपस्थित हो या कारबार में सहायता कर रहा है, अपेक्षा कर सकेगा कि वह–

(एक) ऐसी लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज, जिनकी वह अपेक्षा करे तथा जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों, का निरीक्षण करने की आवश्यक सुविधा उसे दे,

(दो) नकद, स्टॉक या अन्य मूल्यवान विशिष्टियाँ या वस्तुएँ जो उसमें पाई जाएँ, की जॉच करने या सत्यापित करने की उसे आवश्यक सुविधा दे,

(तीन) ऐसी जानकारी जिसकी वह किसी मामले के बारे में अपेक्षा करे जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोग, या सुसंगत हों प्रदन करना।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसा स्थान ,जहाँ कोई व्यक्ति कारबार में संलग्न हो, वहाँ उसमें कोई ऐसा अन्य स्थान भी सम्मिलित होगा जिसमें कारबार मे संलग्न व्यक्ति या उक्त कर्मचारी या कारबार में उपस्थित या सहायता करने वाला, अन्य व्यक्ति यह कथन करता है कि कारबार से संबंधित कोई लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज या नकद का कोई भाग, स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तुएँ या चीजें वहाँ रखी गई हैं।

(5) आयुक्त, उस स्थान में जहाँ कोई व्यक्ति कारबार कर रहा हो, केवल ऐसे घण्टों के दौरान, जिस पर ऐसा स्थान कारबार के लिए खुला हो और उक्त स्थान या किसी अन्य स्थान की दशा में केवल सूर्योदय के पश्चात तथा सूर्यास्त के पूर्व ही प्रवेश करेगा। आयुक्त, उसके द्वारा निरीक्षण की गई लेखा पुस्तकों को और अन्य दस्तावेजों के उद्धरण या उनकी प्रतियाँ बना सकेगा, बनवा सकेगा, उसके द्वारा जाँचे गये या सत्यापित किए गए किसी नकद, स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तुओं या चीजों की एक सूची बनाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति का कथन अभिलिखित कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिये उपयोगी या सुसंगत हो।

(6) आयुक्त, इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में, उस स्थान से जहाँ उसने प्रवेश किया है, किन्हीं भी लेखा पुस्तकों, अन्य दस्तावेज या कोई नकद, स्टॉक या मूल्यवान वस्तुएँ या चीजें अकारण नहीं हटाएगा या हटवाएगा।"

धारा 72 का संशोधन.

26. मूल अधिनियम की धारा 72 के वर्तमान खण्ड (एक) के उप खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(ख) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा जिसनें राज्य में नई औद्योगिक इकाई स्थापित की है या जिसनें ऐसी औद्योगिक इकाई का विस्तार, आधुनिकीकरण या शबलीकरण कर दिया था, कर के भुगतान से छूट/कर के भुगतान के आस्थगन के तौर पर औद्योगिक रियायत की सुविधा का लाभ उठानें के लिये उस अधिनियम के अधीन उद्भूत अधिकार या प्राधिकार को सम्मिलित करते हुए, ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यता या दायित्व पर जो निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया हो;

परन्तु इस अधिनियम के अंतर्गत किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा जिसनें राज्य में नई औद्योगिक इकाई स्थापित की है या जिसनें ऐसी औद्योगिक इकाई का विस्तार, आधुनिकीकरण या शबलीकरण कर दिया था, कर के भुगतान से छूट/कर के भुगतान के आस्थगन के तौर पर औद्योगिक रियायत की सुविधा को राज्य शासन द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित/सुधारित किया जाएगा। राज्य शासन इस हेतु अधिसूचना जारी कर सकेगा या निरसित अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना को संशोधित कर सकेगा।"

27. मूल अधिनियम की धारा 73 में,– **धारा 73 का संशोधन.**

(1) उपधारा (2) में शब्द एवं अंक 'इस अधिनियम की अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट कोई ऐसा माल' के पश्चात शब्द 'जो उक्त तारीख से बारह माह की अवधि के पूर्व क्रय नहीं किया गया हो' अंतःस्थापित किया जाये।

(2) उपधारा (2) के खण्ड (दो) में शब्द 'चार प्रतिशत की दर पर' के पश्चात् शब्द एवं अंक 'या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन कम की गई दर पर' अंतःस्थापित किये जाय।

(3) उपधारा (3) के खण्ड (क) में शब्द 'अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न करदत्त माल' के पश्चात् शब्द 'जो उक्त तारीख से बारह माह की अवधि के पूर्व क्रय नहीं किया गया हो' अंतःस्थापित किये जाये।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (ख) में शब्द 'अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट कोई माल' के पश्चात् शब्द 'जो उक्त तारीख से बारह माह की अवधि के पूर्व क्रय नहीं किया गया हो' अंतःस्थापित किये जाये।

28. मूल अधिनियम की विद्यमान अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थातः– **अनुसूची 1 का संशोधन.**

"अनुसूची–1
{धारा 15 देखिए}

<u>अनुक्रमांक</u>	<u>माल का वर्णन</u>	शर्त तथा अपवाद जिनके अध्यधीन रहते छूट दी गई है
(1)	(2)	(3)
1	शारीरिक रूप से कार्यान्वित या पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले कृषि उपकरण	

2	विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सहायक तथा उपकरण	
3	हाथीदांत, सोने या चांदी, रोल गोल्ड तथा इमीटेशन गोल्ड से बनी चूड़ियों से भिन्न सब प्रकार की चूड़ियां	
4	जलीय खाद्य, कुक्कुट खाद्य जिसमें घास,सूखी घास तथा भूसा सम्मिलित है	
5	पान	
6	पुस्तकें, नियतकालीन पत्रिकाएं (पीरियाडिकल्स) तथा जरनल्स जिनमें नक्शें, चार्ट तथा ग्लोब सम्मिलित है	
7	ब्रेड (मार्क वाली या अन्य प्रकार की)	
8	पशुओं द्वारा चलाए जाने वाली गाड़ी	
9	चरखा तथा अम्बर चरखा,हाथ करघे (हैडलूम्स) और हाथ करघा फेब्रिक तथा गांधी टोपी	
10	चारकोल	
11	कंडोम और गर्भनिरोधक (कन्ट्रासेपटिब्ज)	
12	काटन तथा सिल्क यार्न लच्छी में	
13	दही, लस्सी, मक्खन, छाछ तथा सेपरेटा दूध	
14	मिटटी के बर्तन तथा मिट्टी से बनी वस्तुएं	
15	विद्युत ऊर्जा	
16	फेब्रिक्स जिन पर सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड टेरिफ एक्ट, 1985 (1986 का सं. 5) के अधीन अतिरिक्त आबकारी शुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है या उद्ग्रहणीय है और सभी प्रकार के खादी के कपड़े हाथकरघा कपड़े इसमें सिल्क, सिल्क के कपड़े और टाट (हेसियन क्लाथ) सम्मिलित नहीं है	
17	केसूरिना तथा यूकेलिप्ट्स की लकड़ी को छोड़कर जलाऊ लकड़ी (फायर वुड)	
18	मत्स्य जाल तथा बुना हुआ जाल	
19	फ्लाई एश	
20	(i) धान से भिन्न सभी प्रकार के अनाज तथा खाद्यान्न, (ii) दलहन	
21	ताजा दूध तथा कीटाणु रहित दूध	
22	ताजी वनस्पति नया पौधा तथा ताजे फूल	
23	ताजी सब्जी (जिसमें आलू एवं प्याज सम्मिलित है) तथा फल	

24	लहसुन तथा अदरक (सूखी अदरक अपवर्जित करते हुए)	
25	मेडिसिनल एण्ड टायलेट प्रिपरेशन्स (एक्साइज ड्यूटीज) एक्ट, 1955 (कमांक 16 सन् 1955) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई औषधीय तथा प्रसाधनीय निर्मितियों से भिन्न माल जिस पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (कमांक 2 सन् 1915) के अधीन शुल्क उद्गृहित किया जाता है या उद्गृहित किया जा सकता है	
26	गुड तथा खांड	
27	बेल मेटल तथा पिटवाँ लोहा से निर्मित हस्तशिल्प	
28	रक्त घटकों सहित मानव रक्त	
29	भूसा जिसमें मूंगफली का भूसा सम्मिलित है तथा धान्यों के चोकर	
30	हाथ से बनाए हुए स्वदेशी वाद्य यन्त्र	
31	कुमकुम, बिंदी, आल्ता, सिंदूर	
32	सिलाई अथवा दबा कर बनाए गये पत्ते के कप तथा प्लेट (दोने एवं पत्तल)	
33	मांस, जिसमें कुक्कुट मांस सम्मिलित है, मछली, झीगा तथा अंन्य जलीय उत्पाद जब अभिसाधित या स्तंभित अथवा सीलबंद आधानों में विक्रय किया गया न हों, अण्डे और पशुधन तथा पशुओ के बाल	
34	सरकंडे से बने मुड्डे	
35	राष्ट्रीय ध्वज	
36	सरकारी खजाने द्वारा बेचे गए न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर सादा कागज सामान्यतः वेष्ट पत्र (चित्रण पत्र) सरकार द्वारा बेची गई डाक साम्रगी जैसे लिफाफे पोस्टकार्ड आदि रूपया नोट जब रिजर्व बैंक आफ इंडिया को बेचे जाए तथा चैक खुले हुए या पुस्तक प्ररूप में	
37	कार्बनिक खाद जिसमें गोबर सम्मिलित है	
38	पापड	
39	पोहा मुरमुरा तथा लाई	
40	राखी	
41	कच्ची ऊन	
42	सबाई घास तथा सबाई घास के निर्मित रस्सी	

43	नमक (मार्क वाला या अन्य प्रकार का)	
44	मेथी, धनिया तथा ऐसे बीज जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 14) की धारा 14(6) में विनिर्दिष्ट पद "तेलबीज" के अंतर्गत आते है, को छोड़कर सभी प्रकार के बीज	
45	वीर्य जिसमें स्तंभित वीर्य सम्मिलित है	
46	रेशम कृमि पालन कोया (कनून) तथा कच्चा रेशम	
47	सिराली, बगेसी, बरू, ताड़ पत्तिया, इनसे निर्मित टोकनियां, टट्टे, पंखे, पर्दे, चटाईयां तथा अन्य वस्तुएं, हस्त निर्मित सूमा तथा गिरमा, हस्त निर्मित चमड़े की बरही, बांस तथा रेशेदार पौधों जैसे सबाई, शीसल आदि से बने बर्तन तथा सजावटी वस्तुएं	
48	स्लेट, स्लेट पैसिल्स तथा चाक स्टीक्स्	
49	शक्कर और खांडसारी जिन पर सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड टेरिफ एक्ट, 1985 (186 का सं. 5) के अधीन अतिरिक्त आबकारी शुल्क उद्ग्रहित किया जाता है या उद्ग्रहणीय है, मिश्री, चिरोंजी तथा बताशा सम्मिलित नहीं है,-	
50	कच्चा हरा नारियल	
51	ताड़ी नीरा तथा अर्क	
52	तम्बाकू–निर्मित या अनिर्मित, अभिसाधित या अनभिसाधित तथा तम्बाकू उत्पाद जिसमें सिगरेटें, सिगार, चुरूट तथा बीड़ी सम्मिलित हैं जिन पर सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड टेरिफ एक्ट 1985 (1986 सं. 5) के अधीन अतिरिक्त आबकारी शुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है या उद्ग्रहणीय है और गुड़ाकू,	
53	बिना मार्क वाली झाड़ू (फूलबाहरी, झाड़ू)	
54	(एक) वातित खनिज आसूत औषधीय आयनिक बैटरी अवातितजल तथा (दो) सीलबंद साधनों में बेचे जाने वाले जल को छोड़कर अन्य जल	

29. मूल अधिनियम की वर्तमान अनुसूची 2 के स्थान पर निम्न अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात्:— **अनुसूची 2 का संशोधन.**

"अनुसूची—2

(धारा 8 देखिये)

भाग—1

अनुक्रमांक	विवरण	धारा 8(एक) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत)	धारा 8(दो) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सोने तथा चांदी की वस्तुएं जिनमें सिक्के, बुलियन तथा सिक्के (स्पेसी) सम्मिलित है;	1	—
2	निजी पहनने के सोने, चांदी तथा प्लेटिनम के आभूषण	1	—
3	बहुमूल्य धातु अर्थात सोना, चांदी, प्लेटिनम, औसमियम, पैलेटियम, रेडियम, रूथेनियम तथा इनमें से किसी का मिश्रण (एलाय) **स्पष्टीकरणः—** इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिये बहुमूल्य धातु के मिश्रण (एलाय) का अर्थ है कि ऐसे मिश्रण (एलाय) में बहुमूल्य धातु की शुद्धता पचास प्रतिशत से कम न हो	1	—
4	बहुमूल्य रत्न जैसे— हीरा, पन्ना, माणिक, मोती तथा नीलम चाहे वे पृथक से या किसी ऐसी वस्तु के भाग के रूप में जिसमें वे जड़े हो बेचे जाएं	1	—"

भाग—2

अनुक्रमांक	विवरण	धारा 8(एक) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत)	धारा 8(दो) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	एसिड आयल, फैटी एसिड, आयल स्लज, सोप स्टॉक, लेसी थीन	4	—
2	पेट्रोल एवं डीजल के योजक	4	—

3	कृषि उपकरण शरीरिक रूप से कार्यान्वित नही किए जाने वाले या पशुओं द्वारा नही चलाए जाने वाले	4	—
4	संसूचना के समस्त उपस्कर जैसे– प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज (पी बी एक्स) तथा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज (ई पी बी एक्स)	4	—
5	समस्त अभौतिक वस्तुएं जैसे कापीराइट, पेटेंट, रीप लायसेंस इत्यादि	4	—
6	(एक) एच.डी.पी.ई., एल.डी.पी.ई. तथा पी.पी. वूवन सेक्स को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के बेग, (दो) सभी प्रकार की रस्सियां तथा डोरियां (ट्वाइन) जिनमें पटसन, डोरी (ट्वाईन) सम्मिलित है, (तीन) आधान (कन्टेनर) तथा संवेस्टन सामग्री (पैकिंग मटेरियल) के रूप में उपयोग हेतु वस्तुएं	4	—
7	समस्त प्रकार के रसायन, अम्ल तथा गंधक (सल्फर)	4	—
8	सभी प्रकार की ईटें जिसमें उड़ने वाली राख से बनी ईट ऊष्मसह ईंट, असफाल्टिक रूफिंग, मिट्टी के टाइल्स सम्मिलित है	4	—
9	सभी प्रसंस्कृत फल जिसमें फ्रुट जेम, जेली, अचार, फ्रुट्स स्क्वेश, पेस्ट, फ्रुट ड्रिंक्स व फ्रुट जूस सम्मिलित है (सीलबंद आधानों में या अन्य प्रकार से)।	4	—
10	लच्छी में सूती एवं रेशमी सूत को छोड़कर सभी प्रकार का सूत तथा सिलाई का धागा	4	—
11	स्टील प्रबलित एल्यूमिनियम कंडक्टर (ए. सी.एस.आर.)	4	—
12	एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एलाय (मिश्रण) उनके उत्पाद जिनमें बहिबंधन (एक्स्ट्ररूजन) सम्मिलित है, जो इस अनुसूची अथवा किसी अन्य सूची में वर्णित नहीं है	4	—
13	बहुमूल्य धातु से बने बर्तन को छोड़कर सभी बर्तन जिसमे प्रेशर कुकर/पैन सम्मिलित है	4	—

14	सुपारी पावडर तथा सुपारी	4	—
15	रोल्ड गोल्ड तथा इमीटेशन गोल्ड से बनी वस्तुएं	4	—
16	बायोगैस	4	—
17	बांस	4	—
18	बियरिंग	4	—
19	बेडशीट, पिलोकव्हर तथा अन्य बनी हुई वस्तुएं	4	—
20	पट्टा (बेलटिंग्स)	4	—
21	बायसिकल, ट्रायसिकल, सायकिल रिक्शा तथा उनके पुर्जे, टायर और ट्यूब एवं उप साधन	4	—
22	बायोमास ब्रिकेट	4	—
23	डामर	4	—
24	अस्थिचूर्ण	4	—
25	थोक औषधि (बल्क ड्रग्स)	4	—
26	कैण्डल (मोमबत्ती)	4	—
27	पूंजीगत माल जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे	4	—
28	अरण्डी का तेल	4	—
29	ढलाई (कास्टिंग) सभी धातुओं की	4	—
30	रासायनिक खादें, जैविक खाद जिसमें सूक्ष्म पोषक (माइक्रोन्यूट्रिएंट) पौध विकास प्रवर्तक (प्लांट ग्रोथ प्रमोटर) पौध पोषक (प्लांट न्यूट्रिएंट) सम्मिलित है, हार्बिसाईड, रोडेन्टीसाईड, नाशक जीवमार (पेस्टीसाइड) घासफूसनाशक दवाइयां (बीडी साइड्स) तथा कीटनाशक दवाइयां (इन्सेक्टिसाइड्स)	4	—
31	सेन्ट्रीफ्यूगल तथा मोनोब्लाक सबमर्सीबल पंप तथा उसके पुर्जे	4	—
32	मिट्टी जिसमें अग्नि सह मिट्टी (फायर क्ले), उत्तम चायना क्ले तथा वाल क्ले सम्मिलित है	4	—
33	कोयले की सभी प्रकार की राख तथा कोयले का चूरा	4	—
34	काफी तथा काफी के बीज, कोकोआ पोड़, हरी चाय पत्ती तथा चिकोरी (कासनी)	4	—
35	कॉयर तथा कॉयर उत्पाद जिसमें कॉयर के गददे सम्मिलित नही है	4	—
36	कम्प्यूटर स्टेशनरी	4	—

37	कपास तथा काटन वेस्ट	4	—
38	कुठाली (क्रुसीबल्स)	4	—
39	कागज तथा प्लास्टिक से बने कप एवं गिलास	4	—
40	अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न केंन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा14 में यथानिर्दिष्ट घोषित माल	4	—
41	सूखी सब्जियां तथा वनस्पति, मशरूम और संसाधित सब्जियां	4	—
42	औषध तथा औषधि सहित औषधी लाईसेंस के अधीन उत्पादित वैक्सीन, सिरींज और ड्रेसिंग मेडिकल ओइंटमेंट	4	—
43	अम्लीय रजक (डाईज) तथा मूल रजक (डाईज) सहित रजक	4	—
44	खाने का तेल वनस्पति तेल, खली (आइल केक), तेलरहित खली (डिआइल्ड केक)	4	—
45	इलेक्ट्रोड्स	4	—
46	अभ्यास पुस्तकें (एक्सरसाइज बुक्स) ग्राफ़ बुक्स तथा प्रयोगशाला (लेबोरेट्री) नोटबुक	4	—
47	दूध पीने की बोतल, निप्पल	4	—
48	ढली हुई लौह और अलौह धातु तथा एलायस अलौह जैसे एल्युमिनियम ताबा जस्ता तथा उनके बहिबंधन (एक्स्ट्रूजन)	4	—
49	सभी प्रकार के फाइबर तथा फाइबर क्षेप्य	4	—
50	पिसान (फ्लोर), आटा, मैदा, सूजी, बेसन आदि	4	—
51	तले चने तथा भुने चने	4	—
52	ग्लूकोज–डी	4	—
53	हैण्ड पंप तथा अतिरिक्त पुर्जे	4	—
54	जड़ी, छाल, सूखी वनस्पति, सूखी जड़, सामान्यतः जो जड़ीबूटी तथा सूखे फूल के रूप में जानी जाती है	4	—
55	शहद	4	—
56	होस पाइप	4	—
57	होजरी का माल	4	—
58	बर्फ	4	—
59	धूपबत्ती सामान्यतः जो अगरबत्ती धूपकाड़ी या धूपबत्ती के नाम से जानी जाती है	4	—
60	राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित औद्योगिक आगत	4	—

61	औद्योगिक केबल्स, उच्चताप केबल्स, एक्स एल पी ई केबल्स, जलीफील्ड केबल्स, आप्टीकल फाइबर्स	4	—
62	इन्सूलेटर्स	4	—
63	आई टी उत्पाद जिनमें सम्मिलित है कम्प्यूटर, टेलीफोन, मोबाईल हेंडसेट एवं सेल्यूलर टेलीफोन तथा उसके पुर्जे टेलीप्रिंटर और वायरलेस उपकरण तथा उसके पूर्जे	4	—
64	कत्था	4	—
65	केरोसिन लेम्प/लालटेन, पेट्रोमेक्स, कांच की चिमनी	4	—
66	पी डी एस द्वारा बेचा गया केरोसिन तेल	4	—
67	खोवा (मावा)	4	—
68	बुनाई का ऊन	4	—
69	लिगनाइट	4	—
70	चूना, चूने की पत्थर तथा चूने के उत्पाद	4	—
71	लिनियर अल्काइल बैंजेन	4	—
72	लाटरी टिकिट	4	—
73	मक्का की स्टार्च, ग्लटन, अंकुर एवं तेल	4	—
74	औषधीय उपकरण (इक्वीपमेंट)/साधन (डिवाइसेस) तथा इम्पलांट्स	4	—
75	मिश्रित पी.वी.सी. स्थिरक	4	—
76	न्यूजप्रिंट	4	—
77	निवार	4	—
78	नेपास्लेब (रफ फ्लेरिंग स्टोन)	4	—
79	नट, बोल्ट, स्क्रू तथा योजक (फासनर्स)	4	—
80	पुरानी तथा सेकण्ड-हैंड कार	4	—
81	अयस्क तथा खनिज	4	—
82	कागज (पेपर) तथा पेपर बोर्ड	4	—
83	खाद्य श्रेणी को छोड़कर सभी प्रकार का पैराफीन वैक्स जिसमें मानक वैक्स, मैच वैक्स तथा स्लैक वैक्स सम्मिलित है	4	—
84	सभी प्रकार के पेन एवं रिफिल	4	—
85	पेट्रोकेमिकल्स	4	—
86	सभी प्रकार के पाइप जिसमें जी आई पाइप सी आई पाइप डक्टाइल पाइप तथा पी वी सी पाइप सम्मिलित है	4	—

87	प्लास्टिक पदत्राण (फुटवियर), जिसमें हवाई चप्पल तथा उनके पट्टे सम्मिलित है	4	—
88	प्लास्टिक के दाने, प्लास्टिक पाउडर तथा मास्टर बैचेज	4	—
89	दलिया (पौरिज)	4	—
90	छपी हुई साम्रगी जिसमें सम्मिलित है डायरी कलैंडर इत्यादि	4	—
91	छापे की स्याही टोनर कारतूसों को छोड़कर	4	—
92	प्रसंस्कृत मांस, कुक्कट मांस तथा मछली	4	—
93	बांस लकडी तथा कागज की लुगदी	4	—
94	रेल के डिब्बे इंजन, वैंगन तथा इनके पुर्जे	4	—
95	बने बनाए वस्त्र	4	—
96	नवीकरणीय उर्जासाधन तथा अतिरिक्त पुर्जे	4	—
97	रेत (बालू रेत) तथा गिट्टी, बजरी	4	—
98	सिलाई मशीन, इसके पुर्जे तथा उपसाधन	4	—
99	जहाज तथा अन्य जलयान	4	—
100	माचिस (सेफ्टी मैचेस)	4	—
101	हैंडलूम सिल्क को छोड़कर रेशमीं कपड़ें	4	—
102	मलाई निकला हुआ दूध, दूध पावडर तथा यूटीएच दूध	4	—
103	जैव शोधक्षम तेल से भिन्न शोधक्षम तेल (आर्गनिक सालवेट आइल से भिन्न सालवेंट आइल)	4	—
104	चश्में, उनके पूर्जे तथा घटक, कांटेक्ट लेंस एवं लेंस क्लीनर	4	—
105	सभी प्रकार तथा सभी किस्म के मसाले जिनमें जीरा बीज, सौफ, हल्दी, सूखी मिर्च तथा हींग सम्मिलित है	4	—
106	पहनने के परिधान तथा पदत्राण (फुटवियर) को छोड़कर खेल का सामान	4	—
107	स्टेनलेस स्टील की चादरें जो घोषित वस्तुओं में सम्मिलित नहीं है,	4	—
108	स्टार्च	4	—
109	इमली, इमली के बीज एवं पाउडर	4	—
110	चाय	4	—
111	टूल्स (औजार)	4	—

112	ट्रेक्टर हारवेस्टर तथा अनुलग्नक तथा उसके पुर्जे	4	—
113	ट्रांसफार्मर	4	—
114	ट्रांसमिशन टावर	4	—
115	उद्यान छाते से भिन्न छाता	4	—
116	वनस्पति (उद्जनित वनस्पति तेल)	4	—
117	पिंड खजूर	4	—
118	लेखन यंत्र, ज्योमेट्री बाक्स, कलर बाक्स, केयान, पेंसिल शार्पनर एवं लिखने की स्याही	4	—

भाग—3

अनुक्रमांक	विवरण	धारा 8(एक) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत)	धारा 8(दो) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डीजल	—	25
2	पेट्रोल	—	25
3	एबीएशन टरबाईन फ्यूल जो केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (1956 का 74) की धारा 14 के खण्ड (दो—घ) में विनिर्दिष्ट किए गए से भिन्न है	—	25
4	प्राकृतिक गैस	—	25
5	तेंदूपत्ता	—	25

भाग—4

अनुक्रमांक	विवरण	धारा 8(एक) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत)	धारा 8(दो) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	समस्त अन्य माल जो अनुसूची —1 तथा इस अनुसूची के भाग —एक से चार के अंतर्गत नही आते हैं	12.5	—

अनुसूची 3 का संशोधन.

30. मूल अधिनियम की अनुसूची–3 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात्:–

"अनुसूची–3

अनुक्रमांक	माल का विवरण
(1)	(2)
(1)	पेट्रोल डीजल एवीएशन टरबाइन फ्युल प्राकृतिक गैस केरोसिन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस तथा कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस,
(2)	निर्माण अथवा व्यवसाय में उपयोग के लिए भूमि एवं सिविल निर्माण जिसमें कार्यालय भवन तथा अन्य संबंधित निर्माण सम्मिलित है, पर किया गया पूंजीगत व्यय।
(3)	सेकेण्ड हेण्ड पूंजीगत माल,
(4)	फर्नीचर एवं फिक्श्चर, जिसमें वातानुकूलन (एयर कंडिश्नर) तथा प्रशीतक (रेफ्रिजरेटर्स) सम्मिलित है,
(5)	मोटर कार, दो पहिया मोटरयान, उनके पूर्जे तथा उप साधन,
(6)	विद्युत/शक्ति, जिसमे केप्टीव शक्ति उत्पादन संयंत्र सम्मिलित है, के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला पूंजीगत माल,
(7)	निर्माण, व्यवसायिक गतिविधियां तथा सेवा का प्रदाय जा अधिनियम के अंतर्गत करमुक्त है, में प्रयुक्त होने वाला पूंजीगत माल,
(8)	ऐसा अन्य माल जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति ने सभी राज्यों में वैट कानून में एकरूपता लाने के उद्देश्य से संबंधित विषयों पर चर्चा के उपरांत उन बिंदुओं की सूची जारी की है, जिन पर कि सभी राज्यों द्वारा वैट संबंधी कानून में एकरूपता लायी जाना आवश्यक है।

राज्य शासन ने तद्नुसार राज्यों के वित्त मंत्रियों के सशक्त समिति के निर्णयों के अनुरूप छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर अधिनियम, 2005 (कमांक 2 सन् 2005) में संशोधन करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रकिया को सरल बनाया और इसके साथ ही अभिकरण के गठन, रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं ब्याज की देयता के संबंध में छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (कमांक 5 सन् 1995) के अनुरूप प्रावधान किये जाये।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर
दिनांकः **15 दिसम्बर, 2005**

उपाबंध

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विकय कर (संशोधन) विधेयक, 2005 के अधीन छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विकय कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) की निम्न धाराओं में संशोधन प्रस्तावित है

शीर्षक	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विकय कर अधिनियम 2005

धारा–1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर विधेयक, 2003 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है ।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा–2. इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो, –

(क) "अपीलीय उपायुक्त से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया कोई अपीलीय उपायुक्त विक्रय कर और उसमें अपीलीय अपर उपायुक्त विक्रय कर सम्मिलित है;

(ख) "सहायक आयुक्त" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहायक आयुक्त विक्रय कर और उसमें अपर सहायक आयुक्त विक्रय कर सम्मिलित है;

(ग) "बोर्ड" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 (1959 का सं.20) के अंतर्गत गठित राजस्व मंडल;

(घ) "कारबार" में सम्मिलित है; –

(एक) कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण अथवा व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण के प्रकार का कोई समुद्यम या व्यापारिक संस्था, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, समुद्यम या व्यापारिक संस्था अभिलाभ या लाभ प्राप्त करने के हेतु से चलाई जाती हो या नहीं और चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, समुद्यम या ऐसी व्यापारिक संस्था से कोई अभिलाभ या लाभ प्रोद्भूत होता हो या नहीं और चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, समुद्यम या व्यापारिक संस्था का कोई

परिमाण हो या न हो अथवा उसमें कोई आवृत्ति, सातत्य या नियमितता हो या न हो; और

(दो) खण्ड(एक) में निर्दिष्ट किए गए व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, समुद्यम या व्यापारिक संस्था के संबंध में या उससे प्रासंगिक या आनुषंगिक ऐसा संव्यवहार जो माल के विक्रय या क्रय के संबंध में हो, अर्थात् –

(क) उस प्रकार के माल के चाहे वह माल अपने मूल रूप में हो या बरते हुए (सेकेंड हैंड), अनुपयोगी (अन–सर्विसेबल) माल, अप्रचलित (आब्सीलीट), रद्द किए गए (डिस्कार्डेड) माल, मात्र स्क्रेप या क्षेप्य (वेस्ट) सामग्री के रूप में हो या न हो और

(ख) उस माल के, जो अन्य माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) के या खनन या विद्युत उर्जा के उत्पादन के या वितरण के अनुक्रम में अथवा शक्ति (पावर) के किसी अन्य रूप के उत्पादन या वितरण के अनुक्रम में क्षेप्य (वेस्ट) उत्पादों या उपात्पादोरूप में अभिप्राप्त किया गया हो;

(ङ) "पूंजीगत माल" से अभिप्रेत है, ऐसी सिविल संरचना जो कि विहित की जाए, को अपवर्जित करते हुए संयंत्र (प्लांट), मशीनरी तथा उपस्कर जो प्रत्यक्षतः विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग में लाए जाते हैं;

(च) "आयुक्त" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया आयुक्त, विक्रय कर;

(छ) "व्यापारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा, या तो नकदी के या आस्थगित भुगतान के बदले में या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में माल का क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण करने का कारबार करता है और उसमें सम्मिलित है, –

(एक) कोई स्थानीय प्राधिकारी, कंपनी, अविभक्त हिंदु कुटुम्ब या कोई सोसाइटी (किसी सहकारी सोसाइटी को सम्मिलित करते हुए) क्लब, फर्म या संस्था (एसोसिएशन) जो ऐसा कारबार करती है/करता है;

(दो) कोई सोसाइटी (किसी सहकारी सोसाइटी को सम्मिलित करते हुए), क्लब, फर्म या संस्था जो अपने सदस्यों से माल क्रय करता है या उनको उसका विक्रय, प्रदाय या वितरण करता है ;

(तीन) कमीशन अभिकर्ता, दलाल, प्रत्यायक अभिकर्ता (डेलक्रेडियर एजेन्ट), नीलामकर्ता या कोई भी अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे वह किसी

भी नाम से जाना जाता हो जो मालिक की ओर से माल क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण करने का कारबार करता है;

(चार) कोई ऐसा व्यक्ति जो कारबार के अनुक्रम में किसी अन्य व्यक्ति को, किसी माल का जिसमें उसको पट्टे पर देना सम्मिलित है, किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अधिकार का अंतरण (चाहे वह किसी भी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए है या नहीं है) करता है;

स्पष्टीकरण – एक. प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो किसी अनिवासी व्यापारी के अभिकर्ता के रूप में, अर्थात राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी व्यापारी की ओर से अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और ऐसे व्यापारी की ओर से राज्य में माल का क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण करता है या ऐसे व्यापारी की ओर से –

(एक) माल विक्रय अधिनियम, 1930 (1930 का सं.3) में यथापरिभाषित वाणिज्यिक अभिकर्ता के रूप में; या

(दो) माल का अथवा माल से संबंधित हक के दस्तावेजों का हस्तन करने के लिए अभिकर्ता के रूप में; या

(तीन) माल के विक्रय मूल्य के संग्रहण या संदाय के लिए अभिकर्ता के रूप में ऐसे संग्रहण या संदाय के लिए प्रति–भू के रूप में कार्य करता है, और राज्य के बाहर स्थित फर्म या कंपनी की प्रत्येक स्थानीय शाखा को, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए व्यापारी समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण – दो. केन्द्र सरकार या कोई राज्य सरकार या उनके विभागों या कार्यालयों में से कोई भी विभाग या कार्यालय, जो चाहे अपने कामकाज के अनुकम में या अन्यथा, प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा नकदी के या आस्थगित भुगतान के बदले में, या कमीशन या पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में माल का क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण करता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए व्यापारी समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण – तीन. कोई अव्यापारिक, वाणिज्यिक या वित्तीय स्थापना जिसमें कोई बैंक,बीमा कंपनी, परिवहन (ट्रांसपोर्ट)

कंपनी और ऐसी ही कोई कंपनी सम्मिलित है, जो चाहे अपने कामकाज के अनुक्रम में या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा नकदी के लिए या आस्थगित भुगतान के बदले में या कमीशन या पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में माल का क्रय, विक्रय प्रदाय या वितरण करता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए व्यापारी समझा जाएगा ।

(ज) अभिव्यक्ति "घोषित माल" का वही अर्थ होगा जो उसके लिए केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं.74) में उसके लिए दिया गया है;

(झ) "उपायुक्त" से अभिप्रेत धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया उपायुक्त, विक्रय कर और उसमें अपर उपायुक्त, विक्रय कर सम्मिलित है;

(ञ) "दस्तावेज" से अभिप्रेत है है हक, विलेख, लेख या अंतरालेखन और उसमें सम्मिलित है सूचना प्रौद्यौगिकी अधिनियम 2000 (क्रमांक 21 सन 2000) में यथापरिभाषित "इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड" और "इलेक्ट्रॉनिक फार्म" तथा ऐसी ही कोई वस्तु जिससे साक्ष्य प्रस्तुत होता है;

(ट) "माल" से अभिप्रेत हैं, समस्त प्रकार की जंगम संपत्ति जिसमें कम्प्यूटर साफ्टवेयर सम्मिलित है, किन्तु उसमें अनुयाज्य दावे, समाचार पत्र, स्टाक, अंश, प्रतिभूतियॉं या सरकारी स्टाम्प सम्मिलित नहीं है और उसके अंतर्गत समस्त सामग्रियॉं, वस्तुऍं तथा वाणिज्यायें आती है चाहे वे जंगम या स्थावर संपत्ति के संनिर्माण, अन्वायोजन, सुधार या मरम्मत के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हो या नही और उसके अंतर्गत ऐसी समस्त उगती फसलें, घास, वृक्ष, पौधे तथा चीजें भी आती हैं जो भूमि से संलग्न है या भूमि का भाग हैं, जिनके संबंध में यह करार किया गया है कि उन्हें विक्रय के पूर्व या विक्रय की संविदा के अधीन पृथक कर दिया जाएगा;

(ठ) "आयात" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य में, इस राज्य के बाहर के किसी स्थान से माल का लाया जाना या मंगवाया जाना;

(ड) "आगत कर" (इनपुट टैक्स) से अभिप्रेत है अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के क्रय के संबंध में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा धारा 8 के खण्ड (1) के अधीन विक्रय करने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को जो ऐसे माल के विक्रय पर उक्त खण्ड के अधीन कर का संदाय करने का दायी है तथा कर के रूप में संदत्त की गई या देय कोई रकम;

(ढ) "विनिर्माण" में कोई ऐसी गतिविधि सम्मिलित है जो किसी प्रक्रिया, उपचार, श्रम के परिणामस्वरूप किसी वस्तु या वस्तुओं में परिवर्तन ला देती है और जिसका परिणाम एक नई और भिन्न वस्तु के रूप में रूपांतरण है जो वाणिज्यिक सम्भाषण में एक सुभिन्न नाम, चरित्र और उपयोग के रूप में इस प्रकार समझी जाती हो किन्तु इसमें विनिर्माण की ऐसी गतिविधि सम्मिलित नहीं है, जो कि अधिसूचित की जाए;

(ण) "कारबार का स्थान" से अभिप्रेत है कोई ऐसा स्थान जहाँ कोई व्यापारी किसी माल का क्रय या विक्रय करता है, या माल का भण्डारण करता है या अपने क्रयों तथा विक्रयों या दोनों के दस्तावेज या लेखा रखता है और उसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित है, —

(एक) जहाँ कोई व्यापारी किसी अभिकर्ता के मार्फत कारबार करता है, ऐसे अभिकर्ता के कारबार का स्थान;

(दो) कोई ऐसा स्थान या भवन, चाहे वहां कोई कारबार किया जाता है या नहीं, जिसमें कारबार करने वाला व्यक्ति उसके कारबार से संबंधित लेखा पुस्तक, दस्तावेज, स्टाक या अन्य वस्तुओं में से कोई भी लेखा पुस्तक, दस्तावेज, स्टाक या अन्य वस्तुएं रखता है;

(त) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा विहित;

(थ) "क्रय मूल्य" में निम्नलिखित समाविष्ट होंगें —

(एक) "साधारणतः" माल के क्रय के लिए मूल्यवान प्रतिफल के रूप में किसी व्यापारी द्वारा देय रकम;

परन्तु जहाँ माल का क्रय उसकी संवेष्टन सामग्री (पैंकिंग मटेरियल) या उसके आधान (कंटेनर) के साथ किया गया है, जहां इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे माल के क्रय मूल्य में ऐसी संवेष्टन सामग्री या आधान की कीमत या लागत या मूल्य, चाहे ऐसी कीमत या लागत या मूल्य पृथक से संदत्त किया गया है या नहीं, सम्मिलित होगा मानो कि ऐसी संवेष्टन सामग्री या ऐसा आधान क्रय किया गया माल है;

(दो) परिवहन खर्च, यदि कोई है;

(तीन) व्यापार कमीशन, यदि कोई है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो;

(चार) अग्रेषण और उठाई—धराई (हैंडलिंग) के प्रभार, यदि कोई है;

(पांच) बीमा प्रभार, यदि कोई है;

(छह) स्थानीय कर, यदि कोई है;

(सात) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम् 1944 (1944 का सं.1) के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क, यदि कोई है;

(आठ) संवेष्टन सामग्री, यदि कोई है, की लागत; और

(नौ) ऊपर विनिर्दिष्ट प्रभारों या लागत से भिन्न कोई अन्य प्रभार या लागत, यदि वह इस प्रकार क्रय किए गए माल के संबंध में उपगत या संदत्त की गई है;

स्पष्टीकरण – इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "परिवहन खर्च" के अंतर्गत ऐसे व्यय आते हैं जो विक्रेता के माल का परिदान लेने के पश्चात्, माल के परिवहन पर व्यापारी द्वारा उपगत किए गए हैं।

(द) "रजिस्ट्रीकृत व्यापारी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी;

(ध) "विक्रय" से उसके समस्त व्याकरकणिक रूप भेदों तथा सजातीय पदों सहित, अभिप्रेत है नकदी या आस्थगित भुगतान के बदले में या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में किया गया माल में के स्वत्व का कोई अंतरण और उसमें सम्मिलित है,–

(एक) नकदी, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में किया गया किसी माल में के स्वत्व का कोई ऐसा अंतरण, जो किसी संविदा के अनुसरण में न किया जाकर अन्यथा किया गया है

(दो) माल में के किसी स्वत्व का चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में कोई अंतरण जो किसी संकर्म–संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त है;

(तीन) अवक्रय पर या किश्तों द्वारा संदाय की किसी पद्धति से माल का कोई परिदान;

(चार) व्यक्तियों की किसी अनिगमित संस्था (एसोसिएशन) या निकाय द्वारा नकदी, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में अपने किसी सदस्य को माल का कोई प्रदाय;

(पांच) किसी सेवा के रूप में या किसी सेवा के भाग के रूप में या किसी भी अन्य रीति में किसी ऐसे माल का प्रदाय, जो खाद्य है या मानव उपयोग के लिए कोई अन्य वस्तु है अथवा कोई पेय है (चाहे वह मादक है या नहीं है) जबकि ऐसा प्रदाय या ऐसी सेवा नकदी, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में है;

(छह) नकदी, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में किसी माल का जिसमें उसको पट्टे पर दिया जाना सम्मिलित है,

किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अधिकार का अंतरण (चाहे वह विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए है या नहीं है) सम्मिलित है;

और किसी माल के ऐसे अंतरण, परिदान या प्रदाय के बारे में, यह समझा जाएगा कि वह उस माल का उस व्यक्ति द्वारा किया गया विक्रय है जो ऐसा अंतरण, परिदान या प्रदाय करता है तथा उस माल का उस व्यक्ति द्वारा किया गया क्रय है, जिसको ऐसा अंतरण, परिदान या प्रदाय किया गया है, किंतु उसमें उसका कोई बंधक आडमान (हाईपोथिकेशन) या उसका भारित किया जाना या गिरवीं रखा जाना सम्मिलित नहीं है;

स्पष्टीकरण –(क) माल विक्रय अधिनियम, 1930 (1930 का सं.3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ माल का कोई विक्रय या क्रय किसी विक्रय संविदा के अनुसरण में किया जाता है वहां, चाहे विक्रय या क्रय की संविदा, कहीं भी की गई हो, ऐसे स्थान को विचार में लाए बिना ऐसा विक्रय या कय इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ समझा जाएगा, यदि वह माल,–

(एक) विनिर्दिष्ट या अभिनिश्चित माल की दशा में, विक्रय या क्रय की संविदा किए जाने के समय; और

(दो) अनभिनिश्चित या भावी माल की दशा में, विक्रेता द्वारा या क्रेता द्वारा विक्रय या क्रय की संविदा के मद्दे उसके विनियोजित किए जाने के समय, चाहे अन्य पक्ष की अनुमति ऐसे विनियोजन के पूर्व मिली हो या उसके पश्चात्, राज्य के भीतर है; और

(ख) जहां एक से अधिक स्थानों पर स्थित माल के विक्रय या क्रय की एक ही संविदा है, वहां खण्ड (क) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे स्थानों में से प्रत्येक स्थान पर स्थित माल के संबंध में पृथक–पृथक संविदाएं हैं;

(न) "विक्रय मूल्य" से अभिप्रेत है किसी माल के विक्रय के लिए मूल्यवान प्रतिफल के रूप में किसी व्यापारी को देय ऐसी रकम, या कोई अन्य प्रतिफल जिसमें से साधारण व्यापार प्रथा के अनुसार नकदी बट्टे के रूप में अनुज्ञात की गई काई राशि कम कर दी गई है, किंतु जिसमें माल भाड़े या परिदान के खर्चे या प्रतिष्ठान के खर्चे को, जबकि ऐसा खर्चा अलग से

प्रभावित किया गया है, छोड़कर माल के परिदान के समय या उसके पूर्व उसके संबंध में व्यापारी द्वारा की गई किसी बात के लिए प्रभारित की गई कोई राशि सम्मिलित है;

स्पष्टीकरण – (एक) जहां माल अवक्रय या किश्तों द्वारा भुगतान किए जाने की किसी अन्य पद्धति के अतंर्गत बेचा गया है, वहां ऐसे माल के विक्रय मूल्य में बीमा प्रभार, ब्याज और भाड़ा प्रभार तथा अन्य ऐसे प्रभार जैसे कि विहित किए जाएं, सम्मिलित नहीं होंगें ।

(दो) जहां माल को ऐसे माल के उपयोग करने के अधिकार के अंतरण के तौर पर बेचा गया है, वहां उसका विक्रय मूल्य, ऐसे अंतरण के लिए अंतरणकर्ता द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्त किए जाने योग्य मूल्यवान प्रतिभूति की रकम होगा;

(प) "विक्रय कर अधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अन्तर्गत नियुक्त विक्रय कर अधिकारी और उसमें कोई अतिरिक्त विक्रय कर-अधिकारी सम्मिलित है;

(फ) "कर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन देय कर;

(ब) किसी कालावधि के लिए किसी व्यापार के संबंध में "कर योग्य कुल राशि" से अभिप्रेत है, किसी व्यापारी की कुल राशि (टर्न ओवर) का वह भाग जो उसमें से निम्नलिखित घटाने के पश्चात बाकी बचे,–

(1) धारा 15 के अधीन कर मुक्त घोषित किए गए माल का विक्रय मूल्य;

(2) ऐसे माल के संबंध में जिस पर धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन कर देय है;

(एक) ऐसे माल का विक्रय मूल्य जिसके संबंध में अधिनियम के अधीन कटौती उपबंधित है;

(दो) वह रकम जो निम्नलिखित सूत्र लागू करके आती है:–

$$\frac{\text{कर की दर X विक्रय मूल्य का योग}}{\text{100 + धारा 8(1) के अन्तर्गत कर की दर}}$$

(3) ऐसे माल के संबंध में जिस पर धारा 8 के खण्ड (दो) के अधीन कर देय है,—

(एक) ऐसे माल का विक्रय मूल्य जो ऐसे व्यापारी के हाथ में करदत्त माल के रूप में है;

(दो) ऐसे माल का विक्रय मूल्य जिसके संबंध में अधिनियम के अधीन कटौती उपबंधित है;

(तीन) वह रकम जो निम्नलिखित सूत्र लागू करके आती है:—

$$\frac{\text{कर की दर X विक्रय मूल्य का योग}}{\text{100 + धारा 8(2) के अन्तर्गत कर की दर}}$$

परन्तु—

(अ) उपर्युक्त सूत्र के आधार पर उपखण्ड (दो) के पैरा (2) अथवा उपखण्ड (तीन) के पैरा (3) के अधीन कोई कटौती उस दिशा में नहीं की जावेगी जबकि कर की वह रकम किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा धारा 8 के खण्ड (एक) अथवा खण्ड (दो) के अन्तर्गत अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वसूल की जाकर विक्रय मूल्य के योग में से अन्यथा घटाई जा चुकी हो;

(ब) जहां किसी व्यापारी की विक्रय राशि धारा 8 के खण्ड (एक) अथवा खण्ड (दो) के अधीन भिन्न भिन्न दरों पर कर योग्य है, वहां उपखण्ड (दो) के पैरा (दो) अथवा उपखण्ड (तीन) के पैरा (तीन) के अधीन वर्णित सूत्र कुल राशि (टर्न ओवर) के ऐसे भाग के संबंध में कर की भिन्न दर के अनुरूप लागु किया जावेगा ।

स्पष्टीकरण —धारा 8 के खण्ड(एक) और खण्ड (दो) के अधीन कर के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए कर योग्य कुल राशि (टर्न ओवर) पृथक रूप से अवधारित की जाएगी ।

(भ) अनुसूची–2 के भाग तीन तथा चार में विनिर्दिष्ट किसी माल जिस पर धारा 8 के खण्ड (दो) के अधीन कर देय है, के संबंध में "करदत्त माल" से अभिप्रेत है कोई ऐसा माल, जिसका क्रय किसी व्यापारी ने किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से केंन्द्रीय विक्रय कर

होगा, व्यापारियों के भिन्न–भिन्न प्रवर्गों के लिए भिन्न–भिन्न सीमाएं विहित की जा सकेगी।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जिसको उपधारा (1) लागू नहीं होती है, छत्तीसगढ़ में उसके द्वारा किए गए माल के विक्रयों या प्रदायों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर चुकाने का दायी उस तारीख से होगा जिसको कि ऐसी तारीख से एक वर्ष में उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) उक्त उपधारा के अधीन विहित की गई सीमाओं से प्रथम बार अधिक हो जाती है, किंतु उस वर्ष के लिए कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) में से केवल उतनी ही कुल राशि (टर्न ओवर) को हिसाब में लिया जाएगा जो कि ऐसी सीमाओं से अधिक है ।

धारा–8. (एक) अनुसूची–2 के भाग–एक, दो, चार तथा पांच में विनिर्दिष्ट माल पर कर योग्य कुल राशि पर कर ऐसी दर से जो उसके कालम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है; और (दो) उक्त अनुसूची के भाग–तीन तथा चार में विनिर्दिष्ट माल पर कर योग्य कुल राशि पर कर ऐसी दर से जो उसके कालम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है,
उद्गृहीत किया जाएगा और ऐसा कर, इस अधिनियम के अधीन कर का चुकारा करने के लिए दायी व्यापारी की कर योग्य कुल राशि (टैक्सेबल टर्न ओवर) पर उद्गृहीत किया जाएगा ।

धारा–9. (1) सिवाय उसके जहां माल धारा 2 के खंड (भ) के अर्थ के अंतर्गत करदत्त माल है, प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जो अपने व्यापार के अनुक्रम में कोई ऐसा माल जो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट है किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से उन परिस्थितियों में जिनमें कि ऐसे माल के विक्रय मूल्य पर धारा 8 के अधीन कोई कर उस रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा देय नहीं है, क्रय करता है वहां वह ऐसे माल के क्रय मूल्य पर कर चुकाने के दायित्वाधीन होगा यदि,–

(क) माल का उसके क्रय के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम मे विक्रय नहीं किया जाता है, किंतु उसका विक्रय या व्ययन अन्य प्रकार से किया जाता है या धारा 15 के अधीन कर मुक्त घोषित किए गए माल के विनिर्माण में उसका उपयोग किया जाता है; या

(ख) ऐसा माल जो अनुसूची–3 के अंतर्गत है, माल के विनिर्माण में उपभोग या उपयोग किया जाता है; या

(3) ऐसे माल के संबंध में जिस पर धारा 8 के खण्ड (दो) के अधीन कर देय है,—

(एक) ऐसे माल का विक्रय मूल्य जो ऐसे व्यापारी के हाथ में करदत्त माल के रूप में है;

(दो) ऐसे माल का विक्रय मूल्य जिसके संबंध में अधिनियम के अधीन कटौती उपबंधित है;

(तीन) वह रकम जो निम्नलिखित सूत्र लागू करके आती है:—

$$\frac{\text{कर की दर X विक्रय मूल्य का योग}}{\text{100 + धारा 8(2) के अन्तर्गत कर की दर}}$$

परन्तु—

(अ) उपर्युक्त सूत्र के आधार पर उपखण्ड (दो) के पैरा (2) अथवा उपखण्ड (तीन) के पैरा (3) के अधीन कोई कटौती उस दिशा में नहीं की जावेगी जबकि कर की वह रकम किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा धारा 8 के खण्ड (एक) अथवा खण्ड (दो) के अन्तर्गत अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वसूल की जाकर विक्रय मूल्य के योग में से अन्यथा घटाई जा चुकी हो;

(ब) जहां किसी व्यापारी की विकय राशि धारा 8 के खण्ड (एक) अथवा खण्ड (दो) के अधीन भिन्न भिन्न दरों पर कर योग्य है, वहां उपखण्ड (दो) के पैरा (दो) अथवा उपखण्ड (तीन) के पैरा (तीन) के अधीन वर्णित सूत्र कुल राशि (टर्न ओवर) के ऐसे भाग के संबंध में कर की भिन्न दर के अनुरूप लागु किया जावेगा ।

स्पष्टीकरण —धारा 8 के खण्ड(एक) और खण्ड (दो) के अधीन कर के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए कर योग्य कुल राशि (टर्न ओवर) पृथक रूप से अवधारित की जाएगी ।

(भ) अनुसूची—2 के भाग तीन तथा चार में विनिर्दिष्ट किसी माल जिस पर धारा 8 के खण्ड (दो) के अधीन कर देय है, के संबंध में "करदत्त माल" से अभिप्रेत है कोई ऐसा माल, जिसका कय किसी व्यापारी ने किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से केंन्द्रीय विकय कर

अधिनियम, 1956 (1956 का सं.74) की धारा 4 के अर्थ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किया है;

(म) किसी कालावधि के संबंध में "कुल राशि" (टर्न ओवर) से अभिप्रेत है उस कालावधि के दौरान किए गए माल के किसी विक्रय या प्रदाय या वितरण के संबंध में व्यापारी द्वारा प्राप्त किए गए तथा प्राप्त किए जाने योग्य विक्रय मूल्य की कुल राशि (टर्न ओवर) चाहे वह संपूर्णतः या उसका कोई भाग कर के दायित्वाधीन है या नहीं, किन्तु उसमें से वह रकम, यदि काई है, जो कि ऐसे विक्रय की तारीख से छह मास के भीतर केता द्वारा कय किए गए या लौटा दिए गए किसी माल के संबंध में व्यापारी द्वारा ऐसे केता को प्रतिदाय कर दी गई है, घटा दी जाएगी;

परन्तु –

(एक) छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) में यथा परिभाषित वास्तविक कृषक द्वारा घी के, जो कि उसके स्वयं द्वारा उत्पादित किया है, विक्रय के मामले; या

(दो) किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसी कृषि या उद्यान कृषि उपज के, जो कि उसके स्वयं के द्वारा उगाई गई है या किसी ऐसी भूमि पर उगाई गई है जिसमें कि वह चाहे स्वामी, भोग बंधकदार, अभिधारी के रूप में या अन्यथा हित रखता है, विकय के मामले में, उस स्थिति में जबकि ऐसी उपज का विकय, उसे उपभोग के योग्य बनाने के हेतु उसे केवल भूसी रहित किए जाने, साफ किए जाने, छांटे जाने या चुने जाने के सिवाए उस पर कोई भौतिक, रासायनिक या अन्य प्रकिया न की जाकर उसी रूप में किया जाए जिसमें कि उसका उत्पादन किया गया था,

ऐसे विकयों से संबंधित प्रतिफल की रकम उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) में से अपवर्जित की दी जाएगी;

(य) "मूल्य संवर्धित विक्रय कर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन माल के विक्रय या क्रय पर देय कर;

(र) "वर्ष" से अभिप्रेत है 31 मार्च को समाप्त होने वाले बारह माह ।

धारा–3. (1) किसी व्यक्ति को आयुक्त, विक्रय कर नियुक्त किया जा सकेगा तथा निम्नलिखित प्रवर्ग के अधिकारी, जो उसकी सहायता करेंगें; अर्थात्:–

(क) अपर आयुक्त, विक्रय कर

(ख) अपीलीय उपायुक्त या अपर अपीलीय उपायुक्त, विक्रय कर;

(ग) उपायुक्त या अपर उपायुक्त, विक्रय कर;

(घ) सहायक आयुक्त या अपर सहायक आयुक्त, विक्रय कर;

(ङ) विक्रय कर अधिकारी या अपर विक्रय कर अधिकारी;

(च) सहायक विक्रय कर अधिकारी; और

(छ) निरीक्षक, विक्रय कर ।

(2) आयुक्त, विक्रय कर तथा अपर आयुक्त विक्रय कर, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे और उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किए गए अन्य अधिकारी राज्य सरकार द्वारा या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसके संबंध में राज्य सरकार निर्देश दे, नियुक्त किए जाएंगें ।

(3) आयुक्त, विक्रय कर तथा अपर आयुक्त, विक्रय कर संपूर्ण राज्य में उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगें तथा उन समस्त कर्तव्यों का पालन करेंगें जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आयुक्त को प्रदत्त की गई है या उस पर अधिरोपित किए गए हैं और इस प्रयोजन के लिए किसी भी ऐसे निर्देश के, जो इस अधिनियम में आयुक्त के प्रति किया गया है, संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें अपर आयुक्त विक्रय कर के प्रति निर्देश सम्मिलित है ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किए गए अन्य अधिकारो, उन क्षेत्रों के भीतर जिन्हें कि नियुक्त प्राधिकारी, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करें, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगें तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगें जो इस अधिनियमें द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जाएं या अधिरोपित किए जाएं ।

धारा–3–क. नवीन प्रावधान।

धारा–4. (1) प्रत्येक ऐसा व्यापारी जिसकी कुल राशि (टर्न ओवर) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास की कालावधि के दौरान विहित सीमा, जो पांच लाख रूपये से अधिक नहीं होगी, से अधिक हो जाती है, छत्तीसगढ़ में उसके द्वारा किए गए माल के विक्रयों या प्रदायों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर ऐसे प्रारंभ होने के समय से चुकाने का दायी

होगा, व्यापारियों के भिन्न–भिन्न प्रवर्गों के लिए भिन्न–भिन्न सीमाएं विहित की जा सकेगी।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जिसको उपधारा (1) लागू नहीं होती है, छत्तीसगढ़ में उसके द्वारा किए गए माल के विक्रयों या प्रदायों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर चुकाने का दायी उस तारीख से होगा जिसको कि ऐसी तारीख से एक वर्ष में उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) उक्त उपधारा के अधीन विहित की गई सीमाओं से प्रथम बार अधिक हो जाती है, किंतु उस वर्ष के लिए कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) में से केवल उतनी ही कुल राशि (टर्न ओवर) को हिसाब में लिया जाएगा जो कि ऐसी सीमाओं से अधिक है ।

धारा–8. (एक) अनुसूची–2 के भाग–एक, दो, चार तथा पांच में विनिर्दिष्ट माल पर कर योग्य कुल राशि पर कर ऐसी दर से जो उसके कालम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है; और (दो) उक्त अनुसूची के भाग–तीन तथा चार में विनिर्दिष्ट माल पर कर योग्य कुल राशि पर कर ऐसी दर से जो उसके कालम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है,
उद्गृहीत किया जाएगा और ऐसा कर, इस अधिनियम के अधीन कर का चुकारा करने के लिए दायी व्यापारी की कर योग्य कुल राशि (टैक्सेबल टर्न ओवर) पर उद्गृहीत किया जाएगा ।

धारा–9. (1) सिवाय उसके जहां माल धारा 2 के खंड (भ) के अर्थ के अंतर्गत करदत्त माल है, प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जो अपने व्यापार के अनुक्रम में कोई ऐसा माल जो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट है किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से उन परिस्थितियों में जिनमें कि ऐसे माल के विक्रय मूल्य पर धारा 8 के अधीन कोई कर उस रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा देय नहीं है, क्रय करता है वहां वह ऐसे माल के क्रय मूल्य पर कर चुकाने के दायित्वाधीन होगा यदि,–

(क) माल का उसके क्रय के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम मे विक्रय नहीं किया जाता है, किंतु उसका विक्रय या व्ययन अन्य प्रकार से किया जाता है या धारा 15 के अधीन कर मुक्त घोषित किए गए माल के विनिर्माण में उसका उपयोग किया जाता है; या

(ख) ऐसा माल जो अनुसूची–3 के अंतर्गत है, माल के विनिर्माण में उपभोग या उपयोग किया जाता है; या

(ग) ऐसा माल जो अनुसूची–3 के अंतर्गत नहीं आता है, अनुसूची–2 में विर्निर्दिष्ट किए गए किसी माल के विनिर्माण में उपयोग या उपभोग के पश्चात्,

(एक) विनिर्मित माल के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुकम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुकम में विकय से भिन्न रूप में व्ययन किया जाता है;

(दो) विनिर्मित माल के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुकम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुकम में विकय किया जाता है ।

तथा तब ऐसा कर–

(क) खण्ड(क), खण्ड(ख) और खण्ड(ग) के उप खण्ड(एक) में निर्दिष्ट माल के संबंध में अनुसूची–2 के कालम(3) और (4) में विनिर्दिष्ट दर से, और

(ख) खण्ड(ग) के उप–खण्ड (दो) में निर्दिष्ट माल के संबंध में उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट दर से,उद्गृहीत किया जाएगा जिस दर से राज्य के भीतर ऐसे माल के विकय पर ऐसे कय की तारीख को उद्गृहीत किया गया होता ।

(2) इस धारा के अधीन कोई कर–

(क) किसी ऐसे व्यापारी पर, किसी वर्ष के संबंध में उद्गृहीत नहीं किया जाएगा जिसकी कुल राशि (टर्न ओवर) वर्ष मे धारा 5 की उपधारा (1) के आधीन विहित की गयी सीमा से अधिक नहीं है;

(ख) किसी अन्य व्यापारी पर, जिसकी कोई कुल राशि (टर्न ओवर) न हो, किसी भी वर्ष के संबंध में-उद्गृहीत नहीं किया जाएगा यदि समस्त माल के कय मूल्यों का योग ऐसी रकम, जो कि विहित की जाए, से अधिक नहीं है ।

(3) प्रत्येक ऐसे व्यापारी को, जिसकी कोई कुल राशि (टर्न ओवर) नहीं है और जो उपधारा (1) के अधीन कर चुकाने के दायित्वाधीन है, धारा 19,21,22,25,26 तथा 41 के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यापारी समझा जाएगा ।

धारा–10. (1) (क) आयुक्त ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को जो उसके द्वारा की गई संकर्म संविदा के निष्पादन के अनुकम में पूर्णतः या भागतः माल का प्रदाय करने का कारोबार करता है उसके द्वारा इस

अधिनियम के अधीन देय कर के बदले 15 प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से, जो विहित की जाए, विहित रीति से एक मुश्त रकम प्रशमन के रूप मे भुगतान करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(ख) राज्य सरकार खण्ड(क) के अधीन प्रशमन के रूप में एक मुश्त रकम के अवधारण के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की संविदाओं के लिए भिन्न भिन्न दरें विहित कर सकेगी ।

(2) (अ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो राज्य के भीतर किसी ऐसे अन्य व्यापारी से, धारा 8 के खण्ड(एक) के अधीन कर का उसको भुगतान करने के पश्चात् अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट माल का क्रय कर रहा हो और/या अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट माल क्रय कर रहा हो, और जिसकी कुल राशि (टर्न ओवर) –किसी वर्ष में साधारणतया पन्द्रह लाख रूपये से अधिक नहीं होती है, ऐसे वर्ष के प्रारंभ होने के एक माह के भीतर विहित प्ररूप में धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन उसके द्वारा देय कर के बदले में एक मुश्त राशि ऐसी दर से, ऐसी रीति में तथा ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित किए जाएं, चुकाने का विकल्प ले सकेगा ।

(ब) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी उस वर्ष के दौरान जिसके लिए उसके द्वारा ऐसा विकल्प दिया गया है उपधारा (1) के अधीन विहित किन्ही भी निर्बन्धनों तथा शर्तो का उल्लंघन करता है, तो उसके द्वारा दिया गया विकल्प प्रतिसंहृत हो जाएगा।

(स) ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो उपधारा (1) के अधीन कर के प्रशमन के लिए विकल्प देता है उस वर्ष के दौरान जिसके संबंध में ऐसा विकल्प का व्यापारी द्वारा प्रयोग किया गया है विक्रीत माल के संबंध में आगत कर के किसी रिबेट के लिए पात्र नही होगा।

(3) धारा 19,21,41 तथा 42 के उपबन्ध ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को जिसे उपधारा (1) प्रशमन के रूप में एक मुशत रकम संदाय करने को अनुज्ञा दी गई है और जो उक्त उपधारा के अधीन विहित निर्बधों तथा शर्तो का अनुपालन करता है ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी वस्तुए जिसके लिए एसे कर का प्रशमन किया गया है तथा ऐसे व्यापारी को जिसके द्वारा उपधारा (2) के अधीन कर के प्रशमन के लिए विकल्प दिया गया है लागू नही होगे।

धारा–13. (1) उपधारा (5) के उपबंधों और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित की जाएं, इस धारा में यथा उपबंधित आगत कर के रिबेट का दावा नीचे विनिर्दिष्ट की गई परिस्थितियों में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किया जाएगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, –

(क) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट कोई माल छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन उसे कर का भुगतान करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय के लिए क्रय करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा,

(ख) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कोई माल जो कि अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के भतर अन्य ऐसे व्यापारी से धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन उसे कर का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे माल का अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किसी माल की जिसमें पूंजीगत माल सम्मिलित है, के उपयोग के लिए/विनिर्माण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या अनुसूची एक अथवा अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट किसी माल के भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात, करने के अनुक्रम में विक्रय के लिए क्रय करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

(ग) जहां कोई व्यापारी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन करता है, तब वह, –

(1) इस अधिनियम के ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भतर किसी ऐसे दूसरे व्यापारी से उसे धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन कर का भुगतान करने के पश्चात्, क्रय किए गए माल के संबंध में, जो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट है, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए; या

(2) इस अधिनियम के ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर, उसे धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन कर का भुगतान करने के पश्चात् क्रय किए गए ऐसे माल के संबंध में जो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट है किंतु जो अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न है, खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए,

और उसे, धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की वैधता की तारीख को उसके द्वारा स्टाक के धारित,

(एक) खण्ड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में उक्त खण्ड के अधीन ऐसी कर की रकम,

(दो) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट माल के संबंध में उक्त खण्ड के अधीन ऐसी कर की रकम,

आगत कर का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे इसके लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(2) (क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी उक्त उपधारा के खण्ड (क) और (ख) में कथित परिस्थितियों में अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट कोई माल, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कमीशन अभिकर्ता को विक्रय के लिए भेजता है, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर विक्रय के प्रयोजन के लिए क्रय किए गए ऐसे माल के संबंध में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा आगत कर के रिबेट का दावा किया जाएगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो कमीशन पर विक्रय के लिए माल प्राप्त करता है ।

(ख) किसी आगत कर के रिबेट का दावा किसी ऐसे व्यापारी (मालिक), द्वारा नहीं किया जाएगा या न ही ऐसा करने के लिए उसे अनुज्ञात किया जाएगा, जो उक्त प्रयोजन के लिए ऐसा माल भेजता है ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा आगत कर के रिबेट ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन उसके या केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं.74) के अधीन उसके द्वारा देय किसी कर के मद्दे समायोजित किया जाएगा और अधिशेष, यदि कोई हो, पश्चात्वर्ती वर्ष में देय किसी कर के मद्दे समायोजन के लिए लिया जाएगा ।

(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा भारत राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विकय के लिए अथवा धारा 38 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) के प्रावधानों के अनुरूप विशेष आर्थिक क्षेत्र में पंजीयत व्यवसायी को विक्रय के लिये, ऐसे क्रय के संबंध में आगत कर के रिबेट की कोई रकम जिसके लिए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी हकदार है, उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा देय किसी कर के मद्दे समायोजित नहीं है, ऐसी रिबेट उसे प्रतिदाय के रूप में प्रदान की जाएगी ।

(5) (क) (एक) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई माल विक्रय के प्रयोजन के लिए अन्य ऐसे व्यापारी से क्रय करके उक्त उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अधीन ऐसे माल के संबंध में आगत कर के रिबेट का दावा किया है और अपनी विवरणी या विवरणियों के अनुसार उसके द्वारा देय कर के मद्दे ऐसी रिबेट को समायोजित किया है तो ऐसा व्यापारी छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय के रूप से अन्यथा ऐसे माल के व्ययन की दशा में ऐसी कर की राशि चुकाने का दायी होगा जिसके मद्दे पूर्वोक्त माल के संबंध में आगत कर के रिबेट उसके द्वारा समायोजित की गई थी ।

(दो) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) में निर्दिष्ट कोई माल अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के उपयोग के लिए अथवा विनिर्माण के लिए/विनिर्माण में या खनन के लिए/खनन में ऐसे माल के उपयोग या उपभोग के प्रयोजन के लिए अन्य ऐसे व्यापारी से क्रय करने के पश्चात् उक्त उपधारा के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन ऐसे माल के संबंध में आगत कर के रिबेट का दावा किया है और अपनी विवरणी या विवरणियों के अनुसार उसके द्वारा देय कर के मद्दे ऐसी रिबेट समायोजित की है, तो ऐसा व्यापारी छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से अन्यथा रीति में विनिर्मित किए गए या खनन किए गए माल के व्ययन की दशा में, ऐसी कर की राशि चुकाने का दायी होगा जिसके मद्दे पूर्वोक्त माल के

संबंध में आगत कर के रिबेट उसके द्वारा समायोजित की गई थी ।

(तीन) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई माल क्रय किया है और उक्त खण्डों के अधीन उक्त माल के संबंध में आगत कर के रिबेट का दावा किया है, का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारा 16 की उपधारा (10) के अधीन निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसा व्यापारी उस तारीख को जब रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण प्रभावशाली होता है, उसके द्वारा स्टाक में धारित माल के संबंध में उक्त खण्ड के अधीन आगत कर के रिबेट के रूप में दावा की गई रकम चुकायेगा ।

(ख) जहां कर की वह राशि या आगत कर के रिबेट की वह राशि जिसे कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी खण्ड (क) के अधीन चुकाने का दायी है, उसके खाते में किसी आगत कर के मद्दे समायोजन योग्य नहीं है, वहॉ ऐसा व्यापारी इस प्रकार देय कर की राशि पर खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) या उपखण्ड (दो) में कथित रीति में माल के व्ययन की तारीख से प्रारंभ होने वाली कालावधि के लिए उसके भुगतान की तारीख तक एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज चुकाने का दायी होगा ।

(6) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, –

(एक) अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के संबंध में, जो विक्रय के लिए ऐसे अन्य व्यापारी से उसके द्वारा क्रय किया गया हो किंतु जो मुफ्त सेंपल या दानस्वरूप या बदले के तौर पर उसके द्वारा दिया गया है या प्राप्त किया गया है

(दो) अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में, जो माल के विनिर्माण या खनन के उपयोग या उपभोग के लिए है किंतु ऐसा विनिर्मित या खनित माल मुफ्त सेंपल या दानस्वरूप या बदले के तौर पर उसके द्वारा दिया गया है या प्राप्त किया गया है;

(तीन) उस माल के संबंध में जो कि धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर के प्रशमन का विकल्प देने वाले व्यापारी द्वारा क्रय किया गया है। उपधारा (1) के अधीन आगत कर के रिबेट का दावा नहीं किया जाएगा या न ही उसे इसके लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(7) (क) राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन आगत कर के रिबेट का दावा करने या रिबेट अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची–2 के भाग तीन में वर्णित किसी माल को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किसी अन्य व्यापारी से ऐसा माल, –

(एक) धारा 8 के खण्ड दो के अधीन कर का उसको भुगतान करने के पश्चात्, या

(दो) जो विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के पास करदत्त माल के रूप मे हो,

ऐसे माल का अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के विनिर्माण के लिए/विनिर्माण में/खनन के लिए/खनन में उपयोग या उपभोग के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय के लिए क्रय करता है और तदुपरि ऐसे माल के संबंध में आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में ऐसी सीमा तक, ऐसी कालावधि के भीतर तथा ऐसे निर्बन्धन तथा शर्तो जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) तथा उपधारा (2) से (5) के उपबंध आगत कर के रिबेट के लिए लागू होंगे जिसका खण्ड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में दावा किया जा सकेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

धारा–15. अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट किए गए माल के विक्रय या क्रय पर, उसके कालम–तीन की तत्संबंधी प्रविष्टि में दी गई शर्तो और अपवादों के, यदि कोई हो, अध्यधीन रहते हुए, कोई कर देय नहीं होगा ।

धारा–15–क. नवीन प्रावधान।

धारा–15–ख. नवीन प्रावधान।

धारा–16. (1) प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जिसकी कुल राशि (टर्न ओवर) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान धारा 4 की उपधारा (1) मे विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं से अधिक हो जाती है, स्वयं को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तीस दिन के भीतर विहित रीति में रजिस्ट्रीकृत कराएगा ।

(2) (क) ऐसा व्यापारी, जिसे उपधारा (1) लागू होती है, से भिन्न प्रत्येक व्यापारी उस तारीख से जिसको कि उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) किसी वर्ष में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विहित की गई सीमाओं से प्रथम बार अधिक हो जाती है, विहित कालावधि के भीतर स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा;

(ख) धारा 17 की उपधारा (6) द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति उक्त उपधारा में विहित कालावधि में स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा ।

(ग) प्रत्येक व्यापारी धारा 30 की उपधारा (1) के अर्थ के अंतर्गत किसी कारबार का अंतरिती होने के कारण, उस कारबार के अंतरण की तारीख से तीस दिन के भीतर जिसका कि वह एक अंतरिती है, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा;

(3) (क) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यापारी, आयुक्त को ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा, जिसमें सही तथा सम्पूर्ण विशिष्टियां दी जाएंगी । ऐसे आवेदन के साथ, आवेदन में दी गई विशिष्टियों के समर्थन में एक शपथपत्र होगा और उसके साथ पांच सौ रूपये की रजिस्ट्रीकरण फीस के विहित रीति में भुगतान का समाधानप्रद सबूत दिया जाएगा ।

(ख) कोई व्यापारी या व्यक्ति, यद्यपि वह धारा 4 के अधीन कर चुकाने का दायी नहीं है स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना चाहता है, आयुक्त को विहिति प्रारूप में विहित प्रक्रिया अनुरूप एक आवेदन उसमें सही तथा संपूर्ण विशिष्टियां देते हुए देगा । ऐसे आवेदन के साथ, आवेदन में दी गई विशिष्टियों के संबंध में एक शपथ पत्र होगा और आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकरण फीस का समाधानप्रद भुगतान भी होगा । जहां आवेदन किसी ऐसे व्यापारी या व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो संकर्म संविदा हाथ में लेता है वहां आवेदन के साथ संकर्म संविदा दिए जाने की प्रतिलिपि भी साथ होगी ।

परन्तु जहां आवेदन ऐसे व्यक्ति ने दिया हो जो धारा 17 के अधीन अंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करता है वहां ऐसी फीस का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

(4) (क) जिस दिन, उपधारा (1) या उपधारा (2) द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त होता है, उस दिन उक्त प्राधिकारी, आवेदक को विहित प्ररूप में अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा;

(ख) खण्ड (क) में वर्णित अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के दिए जाने के पश्चात् आयुक्त आवेदक से यह अपेक्षा करेगा कि वह सत्यापन के लिये उसके समक्ष आवेदन में दी गई विशिष्टियों के संबंध में साक्ष्य तथा दस्तावेजों और कारबार के संबंधित, लेखे भी प्रस्तुत करे । साक्ष्य, दस्तावेजों और लेखाओं के प्रस्तुत किए जाने पर आयुक्त आवेदन में दी गई विशिष्टियों का सत्यापन करेगा । विशिष्टियों के सही होने के संबंध में समाधान हो जाने पर आयुक्त ऐसी कालावधि के भीतर जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिये जाने के आवेदन प्राप्त होने की तारीख के तीस दिन के पश्चात् की न हो आवेदक को विहित प्ररूप में स्थायी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(ग) जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई विशिष्टियां सही नहीं है या आवेदक ने कतिपय तथ्यों का दुर्व्यपदेशन किया है तो वह आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् आवेदन को नामंजूर कर देगा और आवेदन प्राप्त होने की तारीख के तीस दिन के भीतर आवेदक को खण्ड (क) के अधीन जारी किया गया अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किये जाने की तारीख से रद्द कर देगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र –

(क) उस मामले में, जहां कोई व्यापारी उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन विहित या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर स्वयं को उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए अपेक्षित है, या खण्ड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि किसी वर्ष में उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) धारा 4 की

उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं से प्रथम बार अधिक हो जाती है;

(ख) उस मामले में, जहां कि उस व्यापरी ने जो उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करा लेने के लिए अपेक्षित है. यथास्थिति विहित या विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर दिया है, उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको कि वह रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है;

(ग) उस मामले में जहां कि उस व्यापारी ने, जो धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के हेतु आवेदन करने के लिये अपेक्षित है, कारबार के अंतरण के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन कर दिया है उस तारीख से जिसको कि कारबार का स्वामित्व उसे संपूर्णतः अंतरित हो जाता है, और

(घ) उस मामले में जहां कि उस व्यापारी ने, जो धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करा लेने के लिए अपेक्षित है, कारबार के अन्तरण के तीन दिन की समाप्ति के पश्चात रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर दिया है, उस तारीख से जिसको कि रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन कर देता है,

(ङ) जहॉ किसी व्यापारी ने जो उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन या उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर दिया है, ऐसे आवेदन की तारीख से प्रभावी होगा ।

(6) धारा 21 की उपधारा (6) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जब किसी व्यापारी ने उपधारा (1) या उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार विहित समय के भीतर, युक्तियुक्त हेतु के बिना, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत नहीं कराया है तो आयुक्त, ऐसे व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे यह निदेश दे सकेगा कि वह देय फीस के अतिरिक्त पांच सौ रूपये से अनाधिक की राशि को शास्ति के रूप में भुगतान करे ।

(7) प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, इस अधिनियम द्वारा निरसित किए गए अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करता है, ऐसे प्रारंभ पर, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों

के लिए इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करने वाला व्यापारी समझा जाएगा ।

(8) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या अन्य व्यापारी, जो धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है –

(क) उसका कारबार या उसके कारबार का कोई भाग या स्थान का विक्रय करता है या अन्यथा रूप से व्ययनित करता है या कारबार के स्वामित्व में कोई अन्य परिवर्तन करता है या ऐसा परिवर्तन उसकी जानकारी में आता है; या

(ख) उसके कारबार को बंद कर देता है या अपने कारबार के स्थान को परिवर्तित कर देता है या कारबार को नये स्थान पर खोलता है; या

(ग) उसके कारबार के नाम या प्रकृति को परिवर्तित कर देता है,

तो वह या यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका विधिक प्रतिनिधि विहित समय के भीतर विहित प्राधिकारी को तद्नुसार सूचित करेगा ।

(9) (क) आयुक्त –

(एक) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उपधारा (8) के उपबंधों के अनुसरण में या अन्यथा संशोधित किया जाने के लिए आवेदन किया जाने पर , ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् उस व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर संशोधित करेगा या संशोधन करेगा या संशोधन संबंधी आवेदन को नामंजूर करेगा; और

(दो) यह समाधान हो जाने पर कि किसी व्यापारी को जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उसमें विनिर्दिष्ट की गई कतिपय विशिष्टियों के संबंध में संशोधन किया जाना अपेक्षित है तो वह व्यापारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को संशोधित करेगा ।

(ख) जब रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट किन्हीं घटनाओं के अनुसरण में खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के अधीन संशोधित किया जाता है तो ऐसा संशोधन ऐसी घटना होने की तारीख से प्रभावी होगा और उक्त उपखण्ड के अधीन आने वाले अन्य समस्त मामलों में संशोधन आवेदन की तारीख से प्रभावी होगा।

खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के अधीन संशोधन, ऐसा संशोधन करने के आदेश की तारीख से प्रभावशील होगा ।

(10) जब –

(क) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अपना कारबार बंद कर देता है या उसका अंतरण कर देता है, या.

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का कर चुकाने का दायित्व समाप्त हो जाता है; या

(ग) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को भूल से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर कर दिया जाता है; या

(घ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी पर इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन शोध्य कर या शास्ति या किसी अन्य राशि का बकाया है; या

(ङ) आयुक्त की लेखबद्ध किए जानेवाले कारणों से, यह राय है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र किसी अन्य करण से रद्द कर दिया जाना चाहिए,

तो आयुक्त या तो स्वप्रेरणा से या इस संबंध में व्यापारी के आवेदन पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकेगा; किंतु ऐसे रद्दकरण के होते हुए भी व्यापारी उस कालावधि के लिये जिसके कि दौरान उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रवृत्त रहा है, कर चुकाने का दायी होगा;

परंतु जहां आयुक्त इस उपधारा के अधीन किसी व्यापारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द करना प्रस्तावित करता है वहां वह ऐसे व्यापारी को सुनवाई का अवसर देगा ।

(11) कोई भी ऐसा व्यापारी जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपधारा (10) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन रद्द कर दिया गया है धारा 21 की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए ऐ व्यापारी समझा जाएगा जिसने रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए आवेदन करने में चूक की है, किंतु वह उक्त उपधारा के अधीन कोई शास्ति चुकाने के दायित्वाधीन नहीं होगा ।

धारा–17. (1) कोई भी व्यक्ति जो वर्ष में एक लाख रूपये से अधिक मूल्य के विक्रयार्थ माल का विनिर्माण करने के प्रयोजन से राज्य में कारबार स्थापित करने का आशय रखता है और जो राज्य में लघु औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिये राज्य सरकार के उद्योग विभाग में रजिस्ट्रीकृत है या जिसे उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 (1951 का सं. 65) के उपबंधों के

अधीन राज्य में कोई नवीन औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, अनुज्ञप्ति दी जावे जिसमें सूचना संबंधी ज्ञापन केन्द्रीय सरकार को भेजा है । इस बात के होते हुवे भी व धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये दायी नहीं है । आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन विहित रीति में कर सकेगा जिसके साथ उस संबंध में पॉच सौ रूपये रजिस्ट्रीकरण फीस चुकाने का समाधानप्रद सबूत सलग्न होगा।

(2) आवेदन प्राप्त होने के दिन उक्त प्राधिकारी आवेदक को विहित प्रारूप में अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंजूर कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण पत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को कि उस व्यक्ति ने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया था और धारा 4 के उपबन्धों में होते हुये भी, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण पत्र मंजूर किया गया है, इस अधिनियम के अधीन कर चुकाने के लिए उस समय तक दायी रहेगा जब तक कि ऐसा प्रमाण पत्र प्रवृत रहता है।

(4) इस धारा के अधीन मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण पत्र ऐसी कालावधि तक प्रवृत रहेगा जो कि उसमें विनर्दिष्ट की जाये और धारा 16 की उपधारा (9) तथा (11) के उपबंध, यथाशक्य, उसके संबंध में लागू होंगा ।

परन्तु आयुक्त, रजिस्ट्रीकरण के अनन्तिम प्रमाण पत्र धारी से, उक्त प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट प्रभावी कालावधि के अवसान के पूर्व, आवेदन प्राप्त होने पर लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से रजिस्ट्रीकरण के अनन्तिम प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट कालावधि को, जो प्रत्येक अवसर पर छःमास से अधिक नहीं होगा, बढ़ा सकेगा।

(5) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण पत्र मंजूर किया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण व्यापारी समझा जायेगा।

(6) जहां कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण पत्र मंजूर किया गया है, रजिस्ट्रीकरण के अनन्तिम प्रमाण पत्र के प्रवृत रहने की कालावधि के दौरान माल का विनिर्माण तथा विक्रय प्रारंभ कर देता है, जो वह, उस तारीख के पूर्व जिसको कि रजिस्ट्रीकरण के अनन्तिम प्रमाण पत्र का अवसान होना है, धारा 16 के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवा

लेगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है,मंजूर किया जाने पर रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण पत्र ऐसी तारीख से प्रवृत नही रहेगा।

(7) इस धारा के उपबंध केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या पब्लिक सेक्टर के किसी उपक्रम को भी, जो कि राज्य में कोई नवीन औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने का आशय रखता/रखती हो, लागू होंगें।

स्पष्टीकरण— इस धारा में अभिव्यक्ति औद्योगिक उपक्रम का वही अर्थ होगा जो कि उसे उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम 1951(1951 का सं 65) की धारा 3 के खण्ड (ध) में दिया गया है।

धारा—19. (1) (क) (एक) प्रत्येक ऐसा व्यापारी,जिसे आयुक्त द्वारा विहित रीति में तामील की गई सूचना द्वारा, ऐसा करने के लिए अपेक्षित किया जाए; और

(दो) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी; और

(तीन) प्रत्येक व्यापारी, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारा 16 की उपधारा (10) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन निरस्त किया गया है,

विवरणियां ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में ऐसी कालावधि के लिए, ऐसी तारीख तक तथा ऐसे प्राधिकारी को देगा जैसा विहित किया जाए;

परन्तु आयुक्त ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित की जाए किसी ऐसे व्यापारी को ऐसी विवरणियां तथा पत्रक देने से छूट दे सकेगा या किसी ऐसे व्यापारी को यह अनुज्ञा दे सकेगा कि वह उक्त विवरणियां ऐसी भिन्न कालावधि के लिए, ऐसे अन्य प्ररूप में, और ऐसे प्राधिकारी को दे जैसा कि वह निदेश दे।

(ख) प्रत्येक व्यापारी जिसे खण्ड (क) के अधीन विवरणियां देने के लिए अपेक्षित किया जाए, ऐसी तारीख को ऐसी कालावधि के लिए एक पत्रक ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी को जिसे विहित किया जाए, देगा।

(ग) प्रत्येक व्यापारी जिसे धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन अंकेक्षण रिपोर्ट देने के लिए अपेक्षित किया जाए खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पत्रक के साथ ऐसी अकंक्षेण रिपोर्ट भेजेगा।

(2) यदि किसी व्यापारी को उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा दी गई विवरणी में किसी लोप, गलती या गलत कथन का पता चलता है, तो वह विहित रीति में तथा विहित समय के भीतर पुनरीक्षित विवरणी दे सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यापारी धारा 25 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार देय कर की पूरी रकम या उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित देयकर की रकम का अंतर पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार और उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय ब्याज की पूरी रकम, यदि कोई हो, का भूगतान करेगा और यथास्थिति, विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी के साथ ऐसे भूगतान का सबूत प्रस्तुत करेगा।

(4) (क) यदि उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कोई व्यापारी,—

(एक) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन विहित रीति में किसी कालावधि के लिए विवरणी के अनुसार देयकर की राशि का भूगतान नही करता है; या

(दो) उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करके उसमें उसके द्वारा मूल विवरणी में दशाई गई कर की रकम से अधिक कर की रकम शोध्य होना दर्शाता है; या

(तीन) विवरणी नही देता है,

तो ऐसा व्यापारी,—

(1) दिवरणी के अनुसार उसके द्वारा कर; या

(2) पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार देय कर की रकम के अन्तर; या

(3) उस कालावधि के लिए जिसके लिए उसने विवरणी नही दी है, देय कर के संबंध में 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उस तारीख से जिसको कि ऐसा देय कर शोध्य हो गया था उसके भुगतान की तारीख तक या कर निर्धारण आदेश की तारीख तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, चुकाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण – इस खण्ड के प्रयोजन के लिए,–

(1) जहां चूक की कालावधि एक मास की कालावधि से कम है, वहां ऐसी कालावधि के लिए देय ब्याज की संगणना आनुपातिक रूप से की जाएगी।

(2) "मास" से अभिप्रेत है तीस दिन।

(ख) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी किसी कालावधि के लिए उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर देता है या उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर देता है, और उस विवरणी के अनुसार या पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार कर का भुगतान उसके लिए विहित समय के पश्चात् करता है, किन्तु खण्ड (क) के उपबंधो के अनुसार ऐसी विवरणी के साथ ब्याज का भुगतान करने में चूक करता है तो आयुक्त ऐसा ब्याज तब उद्‌गृहीत करेगा जिसे ऐसा व्यापारी भुगतान करने के दायित्वाधीन है और ऐसे व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे यह निदेश दे सकेगा कि वह उसके द्वारा देय या चुकाये गए कर और उसके द्वारा देय ब्याज के अतिरिक्त शास्ति के रूप में ऐसी रकम जो उस तारीख से जिसको कि ऐसा ब्याज शोध्य हो गया था उसके भुगतान की तारीख तक, या कर निर्धारण आदेश की तारीख तक जो भी पूर्ववर्ती हो, 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से बराबर हो, शास्ति के रूप में चुकाये ।

(ग) यदि कोई व्यापारी पर्याप्त हेतुक के बिना उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से चूक जाए तो आयुक्त व्यापारी को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् उसे यह निदेश दे सकेगा कि वह उसके द्वारा देय या चुकाये गए किसी कर के अतिरिक्त शास्ति के रूप में पाच हजार रूपये के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी रकम जो व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रूपये होगी, चुकाये ।

(घ) जहां,

(एक) खण्ड (क) के उपखण्ड (तीन) के अधीन व्यतिवम करने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा कोई कर देय नहीं हैं; या

(दो) यदि रजिस्ट्रीकृत व्यापारी विवरणी के अनुसार देय कर का भुगतान समय पर करने के पश्चात् समय पर विवरणी देने में असफल रहता है,

तो आयुक्त, ऐसे व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे यह निर्देश दे सकेगा कि वह एक हजार रूपये के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए पचास रूपए की राशि शास्ति के रूप में चुकाये ।

धारा–22. (1) जहां इस अधिनियम के या इस अधिनियम द्वारा निरसित किए गए अधिनियम के अधीन किसी व्यापारी का कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण किया जा चुका है और इस अधिनियम के या इस अधिनियम द्वारा निरसित किए गए अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन माल के किसी विक्रय या क्रय पर किसी कारण से, किसी कालावधि के दौरान, —

(क) कम कर निर्धारण हुआ है या वह कर निर्धारण से छूट गया है; या

(ख) उस पर कम दर से कर निर्धारण हुआ है; या

(ग) कर निर्धारण करते समय उसमें से कोई कटौती गलत तौर पर की गई है; या

(घ) कर निर्धारण करते समय आगत कर की रिबेट गलती से अनुज्ञात की गई है; या

(ङ) वह किसी न्यायालय या बोर्ड के किसी निर्णय या आदेश जो अंतिम हो चुका है, के परिणामस्वरूप या उसकी दृष्टि से गलत और राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला हो जाता है;

तो आयुक्त, कर निर्धारण के आदेश की तारीख से तीन कलैंडर वर्ष की कालावधि के भीतर, किसी भी समय, विहित प्ररूप में नोटिस जारी करके ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, उस कर का जो ऐसे व्यापारी द्वारा देय है, यथास्थिति, कर निर्धारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा तथा कर के लिए उसका निर्धारण या पुनःनिर्धारण कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किया गया कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण व्यापारी के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां आयुक्त, इस प्रकार निर्धारित या पुनः निर्धारित की गई कर की रकम के दो गुने से अनधिक ऐसी शास्ति व्यापारी पर अधिरोपित करेगा किंतु वह निर्धारित की गई कर की रकम से कम की नहीं होगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण उक्त उपधारा के अधीन कार्यवाहियां प्रारंभ होने की तारीख से दो कलैंडर वर्ष की कालावधि के भीतर किया जाएगा ।

धारा–24. (1) कोई भी व्यापारी, जो उस स्थिति को छोड़कर जबकि वह धारा 45 के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के अपेक्षित किया गया है, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में, धारा 3 के अधीन नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के समक्ष हाजिर होने के लिए या उपसंजात होने के लिए हकदार है या अपेक्षित किया गया है, उस निमित्त किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में प्राधिकृत किये गये ऐसे व्यक्ति के माध्यम से हाजिर या उपसंजात हो सकेगा जो व्यापारी का संबंधी है या चार्टर्ड अकाउन्टेंट या कर विधि व्यवसायी है ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कोई भी व्यक्ति जो, –

(क) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व विक्रय कर विधि व्यवसायी (सेल्स टैक्स प्रेक्टिशनर) कर व्यवसायी (टैक्स प्रेक्टिशनर) के रूप में नामांकित किया गया था; या

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा या ऐसे किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा जिसे कि राज्य सरकार, समय–समय पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, प्रदत्त विधि या वाणिज्य की उपाधि या कला स्नातक (बी.ए.) की उपाधि जिसमें कि अर्थशास्त्र उसके विषयों में से एक विषय हो, धारण करता है; या

(ग) उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट की गई अर्हताओं में से कोई भी अर्हता नहीं रखता है किंतु जिसने विक्रयकर/वाणिज्यिक कर विभाग में कम से कम दस वर्ष तक कोई ऐसा पद धारण किया है जो सहायक विक्रय कर अधिकारी/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से निम्न श्रेणी का नहीं है और जिसे आयुक्त ने उस विभाग में उसकी सेवा के अभिलेख को ध्यान में रखते हुए, इस आशय का प्रमाणपत्र दिया है कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में उपसंजात होने के लिए योग्य व उपयुक्त व्यक्ति है,

कर विधि व्यवसायी के रूप में उपसंजात होने के लिए हकदार होगा ।

(3) उपधारा (2) के खण्ड़ (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं भी कार्यवाहियों में कर–विधि व्यवसायी के रूप में उपसंजात होने के लिए पात्र है, ऐसी फीस का भुगतान करके जो कि विहित की जाए, स्वयं को उस रूप में नामांकित कराएगा ।

(4) यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि नामांकन के लिए किया गया आवेदन व्यवस्थित है, तो वह आवेदक को नामांकन प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में जारी करेगा, यदि आयुक्त का, ऐसी जांच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् तथा आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, उस आवेदन को नामंजूर कर देगा ।

(5) उपधारा (1) तथा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई, जिसने वाणिज्यिक/विक्रय कर विभाग में कोई ऐसा पद धारण किया हो जो वाणिज्यिक/विक्रय कर निरीक्षक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में किसी व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने का, –

(एक) उस दशा में कि उसने, जब कि वह उस विभाग में कोई पद धारण किए हुए था, ऐसी कार्यवाही में किसी भी समय कोई आदेश पारित किया था,

(दो) उस दशा में जब कि उस व्यापारी का, जिसका कि प्रतिनिधित्व करना चाहता है, कारबार का स्थान उस जिले का सर्किल में है जिसके कि प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर वाणिज्यिक/विक्रय कर विभाग के उस कार्यालय का, जिसमें कि उसने ऐसा पद धारण किया था, मुख्यालय स्थित है, उस समय तक जब तक कि उस समय से, जबकि वह उस पद का धारणकर्ता नहीं रह गया है, दो वर्ष व्यतीत नहीं हो गए हैं;

हकदार नहीं होगाः

परंतु खण्ड (दो) में की गई कोई भी बात उस दशा में ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जबकि प्रतिनिधित्व ऐसे पदाधिकारी के समक्ष किया जाना है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा अंत में धारण किए गए पद से उच्चतर पद धारण करता है ।

(6) कोई भी व्यक्ति, जो शासकीय सेवा से पदच्युत कर दिया गया है उपधारा (1) के अधीन किसी व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्ह नहीं होगा ।

(7) यदि कोई कर व्यवसायी का प्रतिनिधित्व या केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के संबंध में, आयुक्त द्वारा अवचार का दोषी पाया जाए तो आयुक्त उसे दंड देने के लिए कोई, आदेश जो कि वह उचित समझे, पारित कर सकेगा जिसमें इसे उपरोक्त अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में कर व्यवसायी के रूप में उपस्थित होने से निरर्हित करना भी सम्मिलित है :

परंतु ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(8) कोई कर विधि व्यवसायी जिसका कि नामांकन के लिए आवेदन उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है, या जो उपधारा (7) के अधीन निरर्हित हो गया हो, उससे संबंधित निदेश दिए जाने के साठ दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा ।

(9) यदि कोई अधिवक्ता या चार्टर्ड अकाउन्टेंट इस अधिनियम के अधीन की या इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के संबंध में अवचार का दोषी पाया जाए, तो आयुक्त इन व्यवसायों के व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए सशक्त प्राधिकारी को समुचित कार्रवाई करने के लिए मामला निर्दिष्ट करेगा ।

धारा–25. (1) प्रत्येक वर्ष के लिए देय कर का इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में ऐसे अंतरालों पर भुगतान किया जाएगा जो कि विहित किए जाएं ।

(2) इसके पूर्व कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित कोई विवरणी दे वह धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन ऐसी विवरणी तथा ब्याज की रकम, यदि कोई हो, इसके द्वारा देय कर की पूरी रकम का भुगतान विहित रीति में तथा विहित समय के भीतर करेगा ।

(3) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा धारा 19 की उपधारा (1) की खण्ड (ख) के अधीन दिया जाने वाला विवरण पत्रक या उक्त धारा 19 की

उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गई पुनरीक्षित विवरणी मे, मूल विवरणी या विवरणियों में दर्शाई गई कर की रकम से कर की अधिक रकम शोध्य होना दर्शाई गई है, तो वह अन्तर तथा देय ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन ऐसी रीति में तथा ऐसे समय पर करेगा, जैसा कि विहित किया जाए ।

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यापारी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या उनके विभागों में से कोई विभाग है, वहां आयुक्त, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, ऐसे व्यापारी को कर की रकम का भुगतान पुस्तक समायोजन द्वारा करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(5) कर की वह रकम –

(क) जो उस स्थिति में शोध्य हो जबकि विवरणियां कर का पूरा भुगतान किए बिना दी गई हैं; या

(ख) जो धारा 21 की उपधारा (4) तथा (5) के अधीन निर्धारित या पुनः निर्धारित की गई हैं उसमें से उस राशि को, यदि कोई हो, घटाकर जो व्यापारी या व्यक्ति द्वारा उक्त वर्ष के संबंध में पहले ही चुका दी है, और उसके साथ चुकाए जाने के लिए अपेक्षित ब्याज, यदि कोई हो, तथा ऐसी शास्ति, यदि कोई हो, जिसका भुगतान किए जाने का निदेश धारा 19 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन दिया गया है; या

(ग) (एक) जो धारा 21 की उपधारा (6) या धारा 22 के अधीन निर्धारित की गई है और उसके साथ ब्याज और/या ऐसी शास्ति, यदि कोई हो, जिसका कि भुगतान किए जाने का उसके अधीन निदेश दिया गया है; और

(दो) उपखण्ड (ख) तथा (ग) के अंतर्गत न आने वाली शास्ति की रकम, यदि कोई हो, जो इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के अधीन अधिरोपित की गई है या जिसका भुगतान किया जाने के लिए निदेश दिया गया है,

व्यापारी या व्यक्ति द्वारा विहित रीति में उस तारीख तक चुकायी जाएगी जो आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित प्ररूप में, जारी की जाने वाली सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख साधारणतया ऐसी सूचना की तामील की तारीख से कम से कम तीस दिन की होगी ।

(6) जहां किसी प्रथम अपील या द्वितीय अपील के ग्रहण किए जाने पर अपील प्राधिकारी निर्धारित कर की किसी रकम या अधिरोपित की गई शास्ति की वसूली को स्थगित कर देता है और उसके द्वारा विनिश्चय पर ऐसी अपील में कर की रकम या शास्ति, जो स्थगित कर दी गई थी, पूर्णतः या भागतः, यथावत रखी जाती है, तो व्यापारी ऐसी रकम पर धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन उस तारीख से जिसको कि अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसी रकम की वसूली स्थगित कर दी गई थी, अपील में विनिश्चय की तारीख के पश्चात् उस रकम के भुगतान की तारीख तक की कालावधि के लिए 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज चुकाने के दायित्वाधीन होगी ।

(7) यदि, किसी कारण से, कोई व्यापारी या व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन, उस पर निर्धारित किए गए कर, देय या उद्‌गृहित ब्याज या इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित की गई शास्ति, या कर निर्धारण से पूर्व अग्रिम में उसके द्वारा देय कर का भुगतान उस समय के भीतर, जो कि मांग की सूचना में उसके लिए विनिर्दिष्ट किया गया है, करने में असमर्थ है, तो वह आयुक्त को लिखित में यह आवेदन कर सकेगा कि ऐसी रकम का भुगतान करने के लिए उसे और अधिक समय मंजूर किया जाए या यह कि ऐसी रकम किश्तों में चुकाने की उसे अनुज्ञा दी जाए । ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, आयुक्त ऐसे व्यापारी या व्यक्ति को और समय मंजूर कर सकेगा या ऐसी रकम का भुगतान किश्तों में भुगतान करने के लिए उसे ऐसी शर्तों पर जिन्हें कि अधिरोपित करना वह उचित समझे, अनुज्ञात कर सकेगा, जहाँ समय कुछ बढ़ा दिया गया है या किश्तों में भुगतान करने की अनुज्ञा दे दी गई है वहां व्यापारी या व्यक्ति ऐसी रकमों पर ब्याज का भुगतान ऐसी अंतिम तारीख से, जिसको कि रकम ऐसी मांग की सूचना के अनुसार चुकायी जानी चाहिए थी, करने के दायित्वाधीन होगा । ब्याज ऐसी अंतिम तारीख से प्रारंभ होने वाली कालावधि के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चुकाया जाएगा ।

(8) जहां कोई व्यापारी या व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन उस पर निर्धारित किए गए कर का या उद्‌गृहित ब्याज का या इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित की गई शास्ति का या इस अधिनियम के अधीन उससे शोध्य किसी अन्य रकम का भुगतान मांग की सूचना में उसके लिए विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर नहीं करता है और उस व्यापारी या व्यक्ति ने उपधारा (7) के अधीन कोई आदेश अभिप्राप्त नहीं किया है या आयुक्त द्वारा उपधारा (7) के अधीन पारित किए गए आदेश के अनुसार उस रकम का भुगतान नहीं किया है, वहां आयुक्त, उस व्यापारी या व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यह निदेश देगा कि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति शोध्य रकम के अतिरिक्त, ऐसे कर शास्ति की रकम या शोध्य किसी

अन्य रकम के 1.25 प्रतिशत के बराबर हो, शास्ति के रूप में, उस कालावधि के प्रत्येक मास के लिए चुकाये जिस कालावधि के लिए उसने ऐसी रकम चुकायी जाने के लिए नियत अंतिम तारीख के पश्चात् भुगतान करने में विलंब किया है ।

(9) (क) जहां राज्य सरकार की, ऐसी जांच के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे, यह राय हो कि शोध्यों की किसी रकम की, जो किसी व्यापारी या व्यक्ति के विरूद्ध बकाया निकलती है, वसूली के लिए शुरू की गई किन्हीं कार्यवाहियों के कारण उस व्यापारी या व्यक्ति की ऐसी रकम चुकाने के लिए उस व्यापारी या व्यक्ति को अतिरिक्त समय ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के, जैसा कि विहित किया जाए, साथ दे सकेगी या ऐसी रकम का किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दे सकेगी तथा राज्य सरकार शोध्यों की वसूली को उस समय तक के लिए रोक सकेगी जब तक कि ऐसी जांच पूरी न हो जाए । प्रत्येक ऐसी सुविधा की बावत् व्यापारी या व्यक्ति की उपधारा (7) में वनिर्दिष्ट दर से ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा :

परंतु ऐसी कोई भी सुविधा किसी व्यापारी या व्यक्ति को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने प्रथमतः आयुक्त को उपधारा (7) के अधीन इस संबंध में आवेदन नहीं किया है।

(ख) यदि कोई व्यापारी या व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए किसी आदेश का पालन नहीं करता है तो आयुक्त उस पर उपधारा (8) के अधीन शास्ति अधिरोपित करेगा ।

(10) जहां आयुक्त की यह राय हो कि उस व्यापारी द्वारा, जिसे कोई सुविधा उपधारा (7) या उपधारा (9) के अधीन दी गई है, देय ब्याज उस व्यापारी के लिए कठिनाई कारित हुई है, वहां आयुक्त, शोध्य पर देय ब्याज के उतने भाग का या निर्धारण आदेश के अनुसार अधिरोपित शास्ति पर या शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश का परिहार कर सकेगा जितना कि उस कर से जिसका कि भुगतान किया जाना या उस शास्ति से जिसको कि संदत्त या देय है, अधिक है

परन्तु आयुक्त ब्याज का परिहार तब तक नहीं करेगा, जब तक कि व्यापारी उसके द्वारा संदत्त की जाने के लिए अपेक्षित कर और/या शास्ति की रकम का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं कर देता ।

(11) (क) यदि कर, ब्याज, शास्ति की कोई रकम या कोई अन्य रकम जो इस

अधिनियम या अधिनियम क्र. 2 सन् 1995 की धारा 81 द्वारा निरसित अधिनियम (जो इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के अधीन शोध्य है उसकी देनगी के लिए विहित कालावधि की समाप्ति पर या इस अधिनियम या निरसित अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम या निरसित अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी की गई किसी मांग सूचना में या दिए गए आदेश में उसकी देनगी के लिए विनिर्दिष्ट की गई कालावधि की समाप्ति पर अदत्त रहे तो ऐसी रकम चुकाने के लिए दायी व्यापारी या व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस पर उस समय बकाया समस्त रकम चुकाने के बारे में व्यतिक्रम किया है।

(ख) जब किसी व्यापारी या व्यक्ति ने व्यतिक्रम किया है या खण्ड (क) के अधीन उसके बारे में यह समझा जाता है कि उसने व्यतिक्रम किया है तो बकाया रकम छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क. 20 सन् 1959) के उपबंधों के अनुसार भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी और ऐसी रकम की वसूली करने के प्रयोजन के लिए –

(एक) आयुक्त, विक्रय कर को छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के अधीन आयुक्त की सभी शक्तियां होंगी तथा वह उन सभी शक्तियों को प्रयोग में लाएगा और उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा;

(दो) अतिरिक्त आयुक्त, विक्रय कर को उक्त संहिता के अधीन कलक्टर की सभी शक्तियां होंगी तथा वह उन सभी शक्तियों को प्रयोग में लाएगा और उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा;

(तीन) उप आयुक्त, विक्रय कर को उक्त संहिता के अधीन कलक्टर की सभी शक्तियां होंगी तथा वह उन सभी शक्तियों को प्रयोग में लाएगा और उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा;

(चार) सहायक आयुक्त, विक्रय कर को उक्त संहिता के अधीन सहायक या उप कलक्टर की सभी शक्तियां होंगी तथा वह उन सभी शक्तियों को प्रयोग में लाएगा और उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा;

(पांच) विक्रय कर अधिकारी और सहायक विक्रय कर अधिकारी को उक्त संहिता के अधीन तहसीलदार की सभी शक्तियां होंगी तथा वह उन सभी शक्तियों को प्रयोग में लाएगा और उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(ग) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जारी की गई प्रत्येक सूचना या पारित किया गया आदेश इस अधिनियम की धारा 48, 49, 55, 56 और 66 के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी की गई सूचना या पारित किया गया आदेश समझा जाएगा ।

(12) जहां किसी कर शास्ति, ब्याज या उसके किसी भाग की या असंदत्त किसी अन्य रकम की भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली के लिए कोई भी कार्यवाहियां उपधारा (11) के अनुसरण में प्रारंभ कर दी गई है और धारा 48 के अधीन अपील में अथवा धारा 49 के अधीन पुनरीक्षण में किए गए किसी आदेश के परिणामस्वरूप किए गए किसी कर निर्धारण के या धारा 56 के अधीन भूल का परिशोधन किया जाने पर कर, शास्ति, ब्याज या किसी अन्य रकम को तत्पश्चात् उपांतरित कर दिया गया है या उसमें वृद्धि कर दी है या उसे कम कर दिया है, वहां आयुक्त ऐसी रीति में और ऐसी कालावधि के भीतर, जो विहित की जाए, व्यापारी या व्यक्ति को तथा उस प्राधिकारी को जिसके द्वारा या जिसके आदेश के अधीन वसूली की जानी है, तद्नुसार इत्तिला देगा और तदुपरि ऐसी कार्यवाहियां इस प्रकार चालू रखी जा सकेंगी मानो इस प्रकार उपांतरित, वर्धित या कम की गई कर, शास्ति, ब्याज या कोई अन्य रकम उस कर, शास्ति, ब्याज या कोई अन्य रकम के स्थान पर स्थापित कर दी गई है जो कि उपधारा (11) के अधीन वसूल की जानी थी ।

धारा–28. धारा 27 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यापारी या व्यक्ति को देय किसी प्रतिफल में से उक्त धाराओं के उपबंधों के अधीन कर के मद्दे कोई कटौती नहीं की जाएगी, यदि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति किसी माल के विक्रय या प्रदाय के संबंध में किसी रकम का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को ऐसे प्राधिकारी का, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में जो कि विहित किया जाए, एक लिखित प्रमाणपत्र दे, देता है ।

धारा–39. (1) यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष के लिए किसी व्यापारी द्वारा या उसकी ओर से चुकाया गया कर या शास्ति या दोनों या ब्याज, उस वर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन इस उस पर निर्धारित कर या अधिरोपित शास्ति या देय ब्याज की रकम से अधिक होती है, या यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यापारी धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन रिबेट के प्रतिदाय के लिए हकदार है, तो वह (आयुक्त) ऐसी रकम जिसका कि अधिक भुगतान

किया जाना पाया जाए, या तो नकदी में या व्यापारी से किसी अन्य वर्ष के संबंध में शोध्य कर की रकम के मद्दे ऐसे आधिक्य का समायोजन करके विहित रीति में, प्रतिदाय करेगा ।

(2) यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम या केंद्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) के अधीन देय किसी रकम को सरकारी खजाने में जमा करते समय व्यापारी द्वारा की गई गलती के कारण इस प्रकार चुकायी गई रकम का उस प्रयोजन के लिए लेखांकन नहीं किया जा सकता है जिसके कि लिए वह जमा की गई है, तो वह (आयुक्त) उपधारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसी रकम या तो नकदी में या किसी अन्य वर्ष के संबंध में व्यापारी से शोध्य कर की रकम के मद्दे समायोजन करके विहित रीति में प्रतिदाय करेगा ।

(3) यदि अपील प्राधिकारी या आयुक्त का वैसा समाधान हो जाता है तो वह कोई भी ऐसी रकम का, जिसका गलत तौर पर भुगतान किया जाना या अधिक भुगतान होना पाया गया है, प्रतिदाय करवाएगा ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिदाय की मंजूरी देने के लिए सशक्त प्राधिकारी किसी वर्ष के संबंध में प्रतिदाय योग्य रकम को इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन या केंद्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) के अधीन शोध्य किसी कर, शास्ति, ब्याज या उनके भाग की वसूली के लिए उपयोजित करेगा और तत्पश्चात् वह शेष बच रही रकम का, यदि कोई हो, प्रतिदाय करेगा ।

(5) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन प्रतिदाय की किसी रकम का, प्रतिदाय के आदेश के पारित होने की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रतिदाय नहीं किया गया है या वह उपधारा (4) में वर्णित प्रयोजनों के लिए उपयोजित नहीं की गई है, ऐसी साठ दिन की उक्त कालावधि का अवसान होने की तारीख से प्रारंभ होने वाली तथा यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन प्रतिदाय की रकम देने या उपधारा (4) में वर्णित प्रयोजनों के लिए उपयोजन करने की तारीख तक समाप्त होने वाली कालावधि के लिए, उस राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से व्यापारी ब्याज का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण– (एक) इस उपधारा में जहां वह अवधि जिसके लिए ब्याज का भुगतान किया जाना है, एक माह की कालावधि से कम है, वहां ऐसी कालावधि के लिए देय ब्याज की संगणना आनुपातिक रूप से की जाएगी;

(दो) इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "मास" से अभिप्रत है तीस दिन ।

धारा–40. जब कोई ऐसा आदेश पारित किया जाता है जिससे कि प्रतिदाय का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है और आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिदाय की मंजूरी दे देने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है और धारा 49 की उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन कार्रवाई का शुरू किया जाना अपेक्षित है या उद्गृहित कर में या अधिरोपित की गई शास्ति में वृद्धि करने के लिए बोर्ड को आवेदन किया जाना अपेक्षित है या उक्त आदेश धारा 55 के अधीन किसी कार्यवाही की विषय वस्तु है, तो आयुक्त, प्रतिदाय को ऐसे समय तक रोके रह सकेगा जब तक कि पूर्वोक्त कार्यवाहियों का अंतिम रूप से विनिश्चय नहीं हो जाता है;

परंतु व्यापारी को प्रतिदाय की उस रकम पर, जो कि अंततोगत्वा पूर्वोक्त कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप शोध्य अवधारित की गई है उस कालावधि के लिए, जो उस आदेश के, जिससे कि प्रतिदाय का प्रश्न उत्पन्न हो गया था, प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन समाप्त हो जाने के पश्चात् प्रारंभ होती है, धारा 39 की उपधारा (5) के अधीन ब्याज का भुगतान किया जाएगा ।

धारा–42. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी उसके द्वारा किए गए प्रत्येक विक्रय के लिए क्रेता को विहित प्ररूप में एक बिल, बीजक या केशमेमों, जिसमें मशीन से तैयार बिल, बीजक या केशमेमों भी सम्मिलित हैं, जारी करेगा, संगृहित कर की राशि यदि पृथक से वसूल की गई है तो, सम्मिलित कर विहित विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए जिस पर ऐसे व्यापारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा तारीख डाली जाएगी । ऐसा प्रत्येक व्यापारी, उसके द्वारा जारी किए गए प्रत्येक बिल, बीजक या केशमेमों का प्रतिपर्ण या दूसरी प्रति भी रखेगा जिस पर हस्ताक्षर, तारीख तथा अन्य समस्त पूर्वोक्त विशिष्टियां होंगी और उन्हें ऐसी तारीख से कम से कम पांच वर्ष की कालावधि तक या कर निर्धारण पूर्ण होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, परिरक्षित करेगा;

परंतु जहां रूपये पांच सौ से अनधिक मूल्य के किसी माल का विक्रय किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति को किया जाता है तो वहाँ बिल, बीजक या केश मेमो जारी नहीं किया जा सकेगा ।

(2) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो आयुक्त ऐसे व्यापारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे यह निदेश दे सकेगा कि वह प्रत्येक विक्रय के लिए, जिसके कि संबंध में ऐसा उल्लंघन हुआ है, अधिकतम पांच हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए, एक सौ रूपये की राशि शास्ति के तौर पर चुकाए ।

धारा–43. इस अधिनियम के उपबंधों के और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के, जो कि विहित की जाएं, अध्यधीन रहते हुए, आयुक्त लिखित आदेश द्वारा, धारा 57 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा धारा 65 की उपधारा (2) के अधीन की शक्तियों तथा कर्तव्यों को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन अपनी कोई भी शक्तियां तथा कर्तव्य अपनी सहायता के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा :

परंतु धारा 40 तथा 49 के अधीन की शक्ति, उपायुक्त, विक्रय कर से निम्न श्रेणी के अधिकारी को प्रत्योजित नहीं की जाएगी ।

धारा–47. आयुक्त, –

(क) विधि के किसी प्रश्न की परीक्षा लंबित रहने तक,

(एक) अपने समक्ष; या

(दो) धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन अपील किए जाने पर बोर्ड के समक्ष; या

(तीन) धारा 55 की उपधारा (2) के अधीन अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय के समक्ष; या

(ख) लेखबद्ध किए जाने वाले किसी अन्य कारण से;

किसी व्यापारी या व्यापारियों के किसी वर्ग के संबंध में धारा 21 के अधीन कार्यवाही या कार्यवाहियां साधारण या विशेष आदेश द्वारा रोक सकेगा ।

धारा– 48. (1) कोई भी व्यापारी या व्यक्ति जो उसके संबंध में धारा 21 के अधीन पारित किए गए शास्ति या शास्ति रहित कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के किसी आदेश से या धारा 22 के अधीन शास्ति सहित या शास्ति रहित पुनः कर निर्धारण के आदेश से या उस पर शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश से या ऐसे किसी आदेश से जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय या आगत कर रिबेट में कमी होती हो या धारा 54 के अधीन पारित किसी ओदश से व्यथित हो, विहित रीति में, ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील, अपीलीय उपायुक्त को कर सकेगाः

परंतु किसी ऐसे मामले में जिसमें कि धारा 36 के अधीन किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया गया है , वहां ऐसा व्यापारी या व्यक्ति कर निर्धारण के एक पक्षीय आदेश के विरूद्ध अपील वैसी ही रीति में कर सकेगा, और अपील फाईल करने के लिए परिसीमा काल की संगणना करने में धारा 36 के अधीन आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से उस तारीख, जिसको कि ऐसे आवेदन को नामंजूर करने वाले आदेश की तामील की गई हो, तक कि कालावधि अपवर्जित कर दी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील में पारित किसी आदेश से, व्यथित कोई व्यापारी या व्यक्ति विहित रीति में ऐसे आदेश के विरूद्ध बोर्ड को अपील कर सकेगा;

(3) बोर्ड द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विरचित नियमों या विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपायुक्त की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के किसी भी ऐसे अधिकारी को जो आयुक्त द्वारा इस संबंध में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया है, यह अधिकार होगा कि उसे उपधारा (2) के अधीन अपील की सुनवाई में सुना जाए ।

(4) कोई अपील, –

(एक) अपीलीय उपायुक्त द्वारा उपधारा (1) के अधीन, तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि व्यापारी द्वारा शोध्य कुल अतिशेष में से, –

(क) उस दशा में, जब कि उस कालावधि के लिए जिससे कि वह आदेश, जिसके कि विरूद्ध अपील की गई है, संबंधित है, समस्त विवरणियां फाइल कर दी गई हैं, तथा ऐसी विवरणियों के अनुसार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, ऐसे अतिशेष का दस प्रतिशत;

(ख) उस दशा में जब कि उस कालावधि के लिए जिससे कि वह आदेश, जिसके कि विरूद्ध अपील की गई है, संबंधित है, एक या अधिक विवरणियां फाइल नहीं की गई हैं तथा कर का भुगतान नहीं किया गया है या उस दशा में जब कि ऐसी विवरणी या विवरणियां फाइल की गई हैं किंतु कर का भुगतान नहीं किया गया है, अतिशेष का, —

(एक) तैंतीस प्रतिशत, जहां व्यतिक्रम एक तिमाही से संबंधित है;

(दो) पचास प्रतिशत, जहां व्यतिक्रम दो तिमाही से संबंधित है; तथा

(तीन) पचहत्तर प्रतिशत, जहां व्यतिक्रम दो तिमाही से अधिक से संबंधित है;

के बराबर होगा ।

(ग) उस दशा में, जब कि धारा 54 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, ऐसे अतिशेष का पचास प्रतिशत;

(घ) उस दशा में जब कि वह आदेश, जिसके कि विरूद्ध अपील की गई है, धारा 22 के अधीन पारित किया गया है और उक्त धारा के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, ऐसे अतिशेष का पचास प्रतिशत; और

(ङ) किसी अन्य दशा में ऐसे अतिशेष का पच्चीस प्रतिशत, और

(दो) बोर्ड द्वारा उपधारा (2) के अधीन अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उपधारा (1) के अधीन अपील में पारित आदेश के पश्चात् व्यापारी द्वारा शोध्य कुल अतिशेष में से ऐसे अतिशेष का बीस प्रतिशत नहीं चुका दिया गया है और अपील के ज्ञापन के साथ ऐसी रकम के भुगतान का समाधानप्रद सबूत संलग्न नहीं किया गया है और तदुपरि बोर्ड कर तथा/या शास्ति के अतिशेष की वसूली अपील का विनिश्चय होने तक के लिए रोक देगा :

परंतु जहां कोई व्यापारी खण्ड (एक) के उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई किसी अपील के मामले में खण्ड (1) के एक से अधिक उपखण्डों में अंतर्गत आता है, वहां ऐसे व्यापारी को उस उपखण्ड के उपबंध लागू होंगे जो उच्चतम रकम के भुगतान की अपेक्षा करता है और अपीलीय उपायुक्त द्वारा अपील केवल तभी स्वीकार की जाएगी, जब कि व्यापारी ने ऐसी रकम का भुगतान कर दिया है;

(5) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील अपीलीय उपायुक्त के समक्ष तीस दिन के भीतर और अपीलीय उपायुक्त के आदेश के विरूद्ध उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील, उस आदेश की, जिसके कि विरूद्ध अपील की जानी है, संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष फाइल की जाएगी ।

(6) अपीलीय उपायुक्त अथवा कोई ऐसी प्रक्रिया के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित की जाए और ऐसी और जांच करनेके पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, उपधारा (1) या (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा करते समय :

(क) कर निर्धारण या शास्ति या दोनों की पुष्टि कर सकेगा, उसे कम कर सकेगा, उसमें वृद्धि कर सकेगा या उसे बातिल कर सकेगा, या

(ख) कर निर्धारण या शास्ति या दोनों को, अपास्त कर सकेगा, उसमें वृद्धि कर सकेगा और उस अधिकारी को, जिसके कि कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपील की गई है, यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसी और जांच करने के पश्चात् जिसका कि निर्देश दिया जाये, नवीन रूप से कर निर्धारण करें, या

(ग) ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

(7) अपीलीय उपायुक्त द्वारा पारित किसी आदेश की दशा में, ऐसा आदेश, यथास्थिति, इस धारा की उपधारा (2) या धारा 49 की उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा तथा बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश की दशा में, ऐसा आदेश, धारा 55 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा ।

धारा–49. (1) आयुक्त –

(एक) स्वप्रेरणा से किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें धारा 3 की उपधारा (ख) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था, अभिलेख मंगा सकेगा, या

(दो) आदेश की तारीख से उस कालावधि के भीतर, जो कि विहित की गई हो, किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें कि कोई आदेश पारित किया गया था, अभिलेख मंगाएगा ।

और उस अभिलेख के प्राप्त होने पर ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसे जांच करवा सकेगा, जैसी कि वह आवश्यक समझे और इस अधिनियम के उपबंधों

के अध्यधीन रहते हुए, उस पर जैसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, जो कि उस व्यापारी या व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालता हो पारित कर सकेगा ।

परन्तु आयुक्त इस उपधारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण तब नहीं करेगा–

(क) जबकि उस आदेश के विरूद्ध अपीलीय उपायुक्त अथवा बोर्ड के समक्ष अपील लंबित है या यदि, ऐसी अपील की जा सकती है तो उस समय का, जिसके कि भीतर वह फाइल की जा सकती है, अवसान नहीं हुआ है ।

(ख) (i) कर का भुगतान करने के संबंध में किसी व्यापारी का दायित्व अवधारित करने वाले किसी आदेश के विरूद्ध कोई पुनरीक्षण न होगा या निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीनजारी की ग किसी सूचना के विरूद्ध कोई पुनरीक्षण आदेश पारित किए जाने पश्चात् ही होगा, अन्यथा नहीं, और

(ii) धारा 36 के अधीन किसी ऐसे आदेश के विरूद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण – आयुक्त के किसी ऐसे आदेश, जिसके द्वारा हस्तक्षेप करने से इंकार किया गया है, के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश है ।

(2) आयुक्त स्वप्रेरणा से किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें कि उपधारा (1) के अधीनकोई आदेश किसी ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किया गया है, जिस कि आयुक्त ने धारा 43 के उपबंधों के अनुसरण में अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी है, अभिलेख मंगा सकेगा और उस अभिलेख के प्राप्त होने पर ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसी जांच करवा सकेगा, जैसी कि वह आवश्यक समझे और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उस पर ऐसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे जो कि उस व्यापारी या व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालता हो, पारित कर सकेगा ।

(3) आयुक्त स्वप्रेरणा से या प्राप्त जानकारी के आधार पर, इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा यदि वह यह समझता हो कि उसकी सहायता के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति द्वारा, जिसमें कोई ऐसा अधिकारी, जिसको, उसने अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं, सम्मिलित हैं उसमें (उस कार्यवाही में) पारित

किया गया कोई आदेश, उस सीमा तक, जहां तक कि वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, गलत है, तो व्यापारी या व्यक्ति की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, उस पर ऐसा आदेश, जो कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित हो, कार्यवाही शुरू होने की तारीख से एक कलेण्डर वर्ष के भीतर पारित कर सकेगा, जिसमें कर निर्धारण में वृद्धि करने वाला या उसे उपान्तरित करने वाला या कर निर्धारण को रद्द करने वाला तथा नवीन रूप से कर निर्धारण करने का निर्देश देने वाला आदेश सम्मिलित है ।

परन्तु –

(क) उस आदेश की, जिसका कि पुनरीक्षण चाहा गया है, तारीख से तीन वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात् कोई भी कार्यवाही इस उपधारा के अधीन शुरू नहीं की जाएगी ।

(ख) आयुक्त इस उपधारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण उस दशा में नहीं करेगा जबकि ऐसे आदेश के विरूद्ध बोर्ड के समक्ष द्वितीय अपील लंबित है या ऐसी अपील गुणागुण के आधार पर विनिश्चित की गई है ।

(4) आयुक्त द्वारा उपधारा (3) के अधीन पारित किए गए आदेश के संबंध में आक्षेप करने वाला कोई भी व्यापारी या व्यक्ति उसको आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन फाइल की गई अपीलों को धारा 49 की उपधारा (4), (5) तथा (6) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(6) जहां आयुक्त यह मानता है कि उसके पूर्वाधिकारी द्वारा या किसी अपर आयुक्त, विक्रय कर द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित किया गया कोई आदेश उस सीमा तक जहां तक कि वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, गलत है, वहां वह ऐसे आदेश के विरूद्ध बोर्ड के समक्ष अपील, ऐसे आदेश की तारीख से दो वर्ष के भीतर फाइल कर सकेगा इस उपधारा के अधीन फाइल की गई अपीलों को धारा 48 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

धारा–50. कोई भी व्यापारी अपील में, अपीलीय उपायुक्त या बोर्ड या पुनरीक्षण में आयुक्त के समक्ष कोई भी अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे वह में मौखिक हो या दस्तावेजी, उस दशा में के सिवाय पेश करने के लिए हकदार नहीं होगा जबकि दिया जाने के लिए उद्दिष्ट साक्ष्य है, जिसे कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने ग्रहण करने से गलत तौर पर इंकार कर दिया था या जो सम्यक तत्परता बरतने के पश्चात् भी उस व्यापारी की जानकारी में नहीं था या उसके द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया जा सका था या जिसके पेश किए जाने के लिए कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त समय नहीं दिया गया था; और प्रत्येक ऐसे मामले में अतिरिक्त साक्ष्य लेखबद्ध कर लिया जाने पर, चुनौती देने या खण्डन करने का युक्तियुक्त अवसर आयुक्त को दिया जाएगा ।

धारा–54. (1) यदि आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या बोर्ड का इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में यह समाधान हो जाता है कि व्यापारी ने अपनी कुल राशि (टर्न ओवर) या किसी माल के संबंध में क्रय कीमतों की कुल रकम छिपाई है या किसी वर्ष या उसके भाग के लिए अपनी विवरणी या विवरणियों में अपने यथास्थिति विक्रयों या क्रयों की मिथ्या विशिष्टियां दी हैं यथास्थिति, आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या बोर्ड इस धारा के अधीन शास्ति के अधिरोपण के लिए कार्यवाही शुरू करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही यथास्थिति, आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या बोर्ड द्वारा व्यापारी को सुनवाई का अवसर देने के लिए, विहित प्ररूप में सूचना जारी कर के शुरू की जाएगी । व्यापारी की सुनवाई कर ली जाने पर यथास्थिति, आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या बोर्ड ऐसी कार्यवाही शुरू किए जाने की तारीख से एक कैलेंडर वर्ष के भीतर, व्यापारी को इस संबंध में निदेश देते हुए आदेश पारित करेगा कि वह उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त शास्ति के तौर पर ऐसी रकम चुकाए जो अपवंचित कर की रकम के तीन गुने से कम किंतु पांच गुने से अधिक नहीं होगी ।

(3) यदि किसी व्यापारी द्वारा किसी कालावधि या उसके भाग के लिए अपनी विवरणी या विवरणियों के अनुसार देय दर्शाया गया तथा चुकाया गया कुल कर धारा 18 के अधीन निर्धारित या पुनःनिर्धारित किए गए कुल कर के अस्सी प्रतिशत से कम है तो ऐसे व्यापारी के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए अपनी कुल राशि (टर्न ओवर) या अपनी क्रय कीमतों का कुल योग छिपाया है या अपनी विवरणी या विवरणियों में अपने विक्रयों या क्रयों की मिथ्या विशिष्टियां दी हैं या मिथ्या

विवरणी या विवरणियों जब तक कि वह यथास्थिति आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या बोर्ड के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि उक्त कुल राशि (टर्न ओवर) या क्रय कीमतों के कुल योग को छिपाना या विक्रयों या क्रयों की मिथ्या विशिष्टियां देना या मिथ्या विवरणी या विवरणियां देना उसकी ओर से किसी कपट या घोर उपेक्षा के कारण नहीं था ।

धारा–55. (1) बोर्ड द्वारा किसी व्यापारी को या आयुक्त को धारा 48 धारा 49 धारा 56 के अधीन किसी आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर, ऐसा व्यापारी या आयुक्त, लिखित आवेदन द्वारा, जिसके साथ उस दशा में जबकि आवेदन किसी व्यापारी द्वारा किया जाये, एक सौ रूपये की फीस संलग्न होगी बोर्ड से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे आदेश से उद्भुत होने वाले विधि संबंधी किसी प्रश्न को उच्च न्यायालय को निर्देशित करे, और जहां बोर्ड उच्च न्यायालय को निर्देश करने का विनिश्चय करता है, वहां वह मामले का एक विवरण तैयार करेगा तथा उसे तदनुसार निर्देशित करेगा ।

(2) यदि बोर्ड, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, निर्देश करने से इंकार कर देता है तो आवेदक ऐसी इंकारी के संसूचित किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर –

(क) अपने आवेदन को वापस ले सकेगा और यदि वह ऐसा करे तो उसके द्वारा दी गई फीस वापस कर दी जाएगी, या

(ख) उच्च न्यायालय को इसबात के लिए आवेदन कर सकेगा कि वह बोर्ड से निर्देश करने की अपेक्षा करें –

(3) यदि उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि इन्कार न्यायोचित नहीं था, तो वह बोर्ड से वह अपेक्षा कर सकेगा कि वह मामले का विवरण दे और उसका निर्देश करे और ऐसी अध्यपेक्षा के पास होने पर बोर्ड तदनुसार कार्य करेगा ।

(4) यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान नहीं होता है कि वह मामला जिसका कि विवरण दिया गया है उठाये गये विधि के प्रश्न का अवधारण करने में उसें समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है तो वह बोर्ड से यह अपेक्षा कर सकेगा कि यह उसमें ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन करे जैसा कि न्यायालय उस संबंध में निर्देश दें ।

(5) उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के पश्चात्, उसके द्वारा उठाये गये विधि संबंधी प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उस पर निर्णय देगा जिसमें विनिश्चय के आधार अंतर्विष्ट होंगे और निर्णय की प्रति न्यायालय की मुद्रा तथा रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर सहित बोर्ड को भेजेगा और बोर्ड तद्नुसार उस मामले का निपटारा करेगा ।

(6) जहां उपधारा (5) के अधीन उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील उच्चतम न्यायालय द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, वहां बोर्ड उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार मामले का निपटारा करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति उच्च न्यायालय द्वारा, अपनी मुद्रा तथा रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर सहित बोर्ड को भेजी जाएगी ।

(7) इस धारा के अधीन निर्देश के खर्चे, जिनमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस का चयन भी सम्मिलित हैं, न्यायालय के विवेकानुसार होंगे ।

(8) वह कर, जिसके भुगतान किये जाने का आदेश बोर्ड द्वारा ऐसे आदेश द्वारा दिया गया है जिसके कि संबंध में उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा आवेदन किया गया है या उसके परिणामस्वरूप कोई निर्देश किया गया है, उस आदेश के दिये जाने पर देय होगा ।

(9) जहां इस धारा के अधीन निर्देश के परिणामस्वरूप, किसी व्यापारी से शोध्य कर उपधारा (8) के अधीन उसके द्वारा चुकाई गई रकम से कम कर दिया गया है वहां अंतर की रकम धारा 39 के उपबंधों के अनुसार उसे वापस कर दी जायेगी ।

धारा–56. (1) भूल सुधार से अभिप्रेत है, किसी लिपिकीय या गणित संबंधी भूल जो अभिलेख के देखने से स्पष्ट है, को परिशोधित करना ।

(2) आयुक्त –

(एक) अपने द्वारा पारित किए गए किसी आदेश की तारीख से छः माह के भीतर किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या

(दो) व्यापारी द्वारा कोई आवेदन किया जाने पर,ऐसे आवेदन को छः माह के भीतर, किसी आदेश को, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, परिशोधित करेगा या जैसा वह उपयुक्त समझे आदेश पारित करेगा ।

परंतु, –

(एक) आयुक्त, व्यापारी के किसी आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि वह उस आदेश की, जिसका कि परिशोधन किया जाना चाहा गया है, तारीख से छः माह के भीतर नहीं किया गया है ;

(दो). कोई भी ऐसा परिशोधन, यदि उसके कारण कर में वृद्धि हो जाती है, या वापसी की रकम कम हो जाती है, तब तक नही किया जाएगा, जब तक आयुक्त ने ऐसा करने के अपने आशय की सूचना विहित प्ररूप में व्यापारी को नही दे दी है तथा व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नही दे दिया गया है।

(3). (क). उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के उपबंध बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश मे, या अपीलीय उपायुक्त द्वारा पारित किसी आदेश में किसी भूल के परिशोधन को उसी प्रकार लागू होगें जैसे कि आयुक्त द्वारा किसी भूल के परिशोधन को लागू होते है।

(ख). बोर्ड अपने द्वारा पारित किये गये किसी आदेश का परिशोधन,–

(एक). स्वप्रेरणा से, ऐसे आदेश के पारित किए जाने की तारीख से छः माह के भीतर किसी भी समय; और

(दो). व्यापारी या आयुक्त द्वारा कोई आवेदन किया जाने पर ऐसे आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से छः माह भीतर, किसी भी समय कर सकेगी।

(4) जहां किसी ऐसे परिशोधन के कारण कर की रकम कम हो जाती है, वहां आयुक्त व्यापारी को शोध्य कोई रकम विहित रीति में वापस कर देगा।

(5). जहां कोई ऐसा परिशोधन कर की रकम में वृद्धि करने या वापसी की रकम को कम करने का प्रभाव रखता है, वहां आयुक्त व्यापारी से शोध्य रकम धारा 25 में उपबंधित की गई रीति में वसूल करेगा।

धारा–57. (1). राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए तथा अन्वेषण करने के लिए एक समिति गठन कर सकेगी। समिति कें इतनी संख्या में सदस्य होंगे जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे। समिति की सहायता धारा 3 में विनिर्दिष्ट ऐसे अधिकारियों द्वारा की जाएगी जिन्हें कि राज्य सरकार इस

प्रयोजन के लिए नियुक्त करे। वह प्राधिकारी तथा उसकी सहायता के लिए नियुक्त अधिकारी ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जैसे कि राज्य सरकार निर्देश दे।

(2). (क). यदि किसी ऐसी जानकारी के आधार पर, जो कि उसके कब्जे में आए, समिति को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने से बच गया है या कर का अपवंचन करने मे लगा हुआ है तो वह उस विषय मे अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकेगी और आयुक्त को भेज सकेगी कि वह ऐसे व्यापारी द्वारा कर का अपवंचन किए जाने के संबंध में अन्वेषण करें

(ख). यदि किसी आपातिक मामले में किसी ऐसी जानकारी पर जो कि आयुक्त को प्राप्त हुई है, उसे यह संदेह करने का कारण है कि कोई व्यापारी कर के भुगतान का अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है या उसे यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यापारी ने कर के भुगतान का अपवंचन किया है या वह कर के अपवंचन मे लगा हुआ है तो वह लिखित मे अभिलिखित किए जाने वाले कारणो से धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) से खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अधिकारियों मे से किसी भी अधिकारी को ऐसे व्यापारी द्वारा कर के अपवंचन का अन्वेषण करने की कार्यवाही करने का निदेश दे सकेगा।

(3) किसी व्यापारी के संबंध मे समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपबंधो के अनुसरण में स्वप्रेरणा से आयुक्त ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाएं:–

(क) व्यापारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह अपने कारोबार से सुसंगत कोई लेखे,रजिस्टर या दस्तावेज उसके समक्ष पेश करे या ऐसी अन्य जानकारी प्रस्तुत करे जैसी कि वह समीक्षा के लिये उचित समझे.

(ख) ऐसे व्यापारी के कारबार के स्थान का निरीक्षण करेगा और इस प्रायोजन के लिये ऐसे व्यापारी के कारबार से सबंधित समस्त लेखे, रजिस्टर तथा दस्तावेज और कारबार के ऐसे स्थान में रखी गयी समस्त वस्तुएं आयुक्त के निरीक्षण के लिये खुली होगी ।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों की समीक्षा करने पर या उसके कारबार के स्थान का निरीक्षण करने पर आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यापारी ने

किसी वर्ष के लिए देय कर के भुगतान का अपवंचन किया है तो वह लिखित मे कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसे व्यापारी के कारबार से संबंधित ऐसे लेखाओं, रजिस्टरो या दस्तावेज को जिन्हें कि वह आवश्यक समझे, जप्त कर सकेगा और उनके लिए व्यापारी को एक रसीद देगा और वह उन्हें केवल उतने समय तक निरूद्ध रखेगा जितना कि उनके परीक्षण के लिए या कर निर्धारण के लिए या अभियोजन के लिए आवश्यक हो।

(5) उपधारा (3) के खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए आयुक्त,—

(क) ऐसे व्यापारी के कारबार के किसी स्थान मे या अन्य किसी, ऐसे स्थान मे, चाहे वह स्थान उसके कारबार का स्थान हो या नही, जिसके बारे में आयुक्त को यह विश्वास करने का कारण है कि व्यापारी अपने कारबार के लेखाओं, रजिस्टरो या दस्तावेजों को वहां रखता है या अपने कारबार से संबंधित माल का स्टाक रखता है या तत्समय रखे हुए है, प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा और आयुक्त इस खण्ड के अधीन शक्तियो का प्रयोग करने के लिए किसी दरवाजे बाक्स, लाकर, तिजोरी, अलमारी या अन्य पात्र के ताले को उस दशा मे सील कर सकेगा या तोड़कर खोल सकेगा जबकि उसकी चाबियां मांग की जाने पर पेश नही की जाती या उपलब्ध नही है; और

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की भी,, जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट स्थान से जा रहा है या प्रवेश, करने वाला है या पहले से ही उस स्थान में है यदि आयुक्त के पास इस बात का संदेह करने के लिए कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे व्यापारी के कारबार से संबंधित लेखा पुस्तकें या आय दस्तावेज अपने शरीर पर छिपा रखें हैं, तलाशी ले सकेगा ।

(6) (क) यदि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों की संवीक्षा के अनुक्रम में या ऐसे व्यापारी के कारबार के स्थान का निरीक्षण करने के अनुक्रम में आयुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण है कि व्यापारी ने कर योग्य माल को अपने कारबार के अनुक्रम में उसके द्वारा रखी गई पुस्तकों, रजिस्टरों या लेखाओं में उसका लेखा जोखा दिए बिना कर भुगतान का अपवंचन करने के लिए उसका प्रच्छन्न विक्रय करने की दृष्टि से, किसी ऐसे भवन, स्थान या यान में जो अनन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर या दोनों में से किसी भी प्रकार से व्यापारी के

स्वामित्व में या उसके नियंत्रणाधीन हो, या किसी अन्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति या विवक्षित अनुज्ञा से, संग्रह किया है या उसे रखा है, तो आयुक्त ऐसे किसी भवन, स्थान या यान में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा और यह सत्यापित कर सकेगा कि क्या उस माल का लेखा जोखा दिया गया है और उसको यह युक्तियुक्त विश्वास हो जाने की दशा में कि व्यापारी ने कर के अपवंचन के आशय से ऐसे माल का लेखा जोखा नहीं दिया है तो आयुक्त ऐसे समस्त माल को अभिगृहीत कर सकेगा और उसे वहां से हटाने, उसकी समुचित अभिरक्षा और उसके परीक्षण के लिए समस्त उपाय कर सकेगा :

परंतु आयुक्त द्वारा इस खण्ड के अधीन, अभिगृहीत किए गए समस्त माल की सूची कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में तैयार की जाएगी और मांग की जाने पर उसकी एक प्रति यथास्थिति, व्यापारी या उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसके कब्जे या अभिरक्षा से उसे अभिगृहीत किया गया था ।

(ख) आयुक्त खण्ड (क) के अधीन माल के अभिग्रहण के पश्चात्, व्यापारी पर विहित प्ररूप में एक सूचना इस हेतु तामील करेगा कि वह सूचना की तामील के तीस दिन की कालावधि के भीतर इस बाबत् कारण दर्शाए कि उसके द्वारा उसके व्यापार के अनुक्रम में रखी गई यथास्थिति लेखा पुस्तकों या रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों में उस माल के संबंध में प्रविष्टियां करने में, उस व्यापारी द्वारा किए गए व्यतिक्रम के लिए उस पर कर की उस रकम के पांच गुना के बराबर शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाए, जो कि उस मूल्य पर देय और संगणनीय है, जो कि अभिग्रहण की तारीख को छत्तीसगढ़ में ऐसे माल के कल्पित विक्रय पर उसके लिए प्राप्त होता ।

(ग) यदि उस व्यापारी के स्पष्टीकरण पर विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उक्त माल से संबंधित प्रविष्टियां उस व्यापारी की लेखा पुस्तकों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों में नहीं की गई थी, ऐसा बिना किसी औचित्य के किया गया था तो आयुक्त खण्ड (ख) में निर्दिष्ट करने की रकम के तीन गुने से

अन्यून किंतु पांच गुने से अधिक की शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश पारित करेगा ।

(घ) आयुक्त, खण्ड (ख) के अधीन सूचना की तामीली हो जाने के पश्चात् और खण्ड (ग) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश पारित करने के पूर्व, किसी भी समय अभिगृहीत माल को निर्मुक्त कर सकेगा यदि व्यापारी या वह व्यक्ति जिससे कि माल अभिगृहीत किया गया था, प्रत्येक मामले में, आयुक्त के समाधनप्रद रूप में उतनी रकम की, जितनी कि आयुक्त प्रस्तावित शास्ति की रकम का सम्यक ध्यान रखते हुए, लिखित में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रतिभूति नकद प्रतिभूति या बैंक गारंटी के रूप में देता है । व्यापारी द्वारा खण्ड (ग) के अधीन उस पर अधिरोपित शास्ति का भुगतान कर दिये जाने पर यदि दी गई प्रतिभूति बैंक गांरटी के रूप में है तो वह बैंक गांरटी निर्मुक्त कर दी जाएगी और यदि प्रतिभूति नकद प्रतिभूति के रूप में दी गई है तो वह इस प्रकार अधिरोपित शास्ति के मद्दे समायोजित की जाएगी और अतिशेष, यदि कोई हो, व्यापारी को वापस प्रतिदाय कर दिया जाएगा ।

(ङ) जहां खण्ड (घ) के अधीन कोई प्रतिभूति नहीं दी गई है वहां व्यापारी उस शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की तामील के तीस दिन के भीतर शास्ति की रकम चुकायेगा और ऐसी रकम के चुका दिए जाने पर अभिगृहीत माल तत्काल निर्मुक्त कर दिया जाएगा ।

(च) यदि व्यापारी खण्ड (ग) के अधीन अधिरोपित शास्ति का भुगतान खण्ड (ड) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करने में असफल रहता है तो आयुक्त, इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए, उस माल का व्ययन विक्रय द्वारा ऐसी रीति में करेगा जैसी कि विहित की जाए और उसके विक्रय आगमों को, अधिरोपित की गई शास्ति और उसे व्ययों के प्रति उपयोजित करेगा जैसे कि ऐसे माल का अभिरक्षा, संरक्षण, परिरक्षण तथा विक्रय में उपगत हुए हों या उससे आनुषंगिक हों, और अतिशेष, यदि कोई है, व्यापारी या हकदार व्यक्ति को वापस कर देगा ।

(छ) खण्ड (ग) के अधीन अधिरोपित की गई शास्ति इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन की किसी अन्य कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

(ज) जहां उपखण्ड (क) के अधीन अभिगृहीत की गई संपत्ति के अभिग्रहण के संबंध में कोई आक्षेप इस आधार पर किया जाता है कि वह माल उस व्यापारी का नहीं है, या अन्यथा अभिग्रहण के दायित्वाधीन नहीं है तो आयुक्त, उस आक्षेप का विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होगा :

परंतु ऐसे किसी भी आक्षेप को ग्रहण नहीं किया जाएगा, –

(एक) जहां अभिगृहीत माल का विक्रय आक्षेप किए जाने के पूर्व ही कर दिया गया हो ; या

(दो) जहां आयुक्त का यह विचार है कि आक्षेप परिकल्पनापूर्वक या अनावश्यक रूप से किया गया है ।

(झ) ऐसी कार्यवाही के पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच उदभूत होने वाले और ऐसे दावे या आक्षेप के न्यायनिर्णयन से सुसंगत ऐसे समस्त प्रश्न जिसमें अभिगृहीत किए गए माल के अधिकार, हक या उसमें हित से भी संबंधित प्रश्न सम्मिलित हैं, का अवधारणा दावे या आक्षेप के संबंध में कार्यवाही करने वाले आयुक्त द्वारा किया जाएगा ।

(ञ) खण्ड (झ) में निर्दिष्ट प्रश्न का अवधारण हो जाने पर आयुक्त ऐसे अवधारण के अनुसार –

(एक) दावे या आक्षेप को मंजूर करेगा और अभिगृहीत माल को या तो पूर्णतः या ऐसी सीमा तक जैसी वह उचित समझे, निर्मुक्त करेगा ; या

(दो) ऐसे दावे या आक्षेप को नामंजूर करेगा ; या

(तीन) ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि उस मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे ।

(ट) जहां खण्ड (ञ) के अधीन किसी दावे या आक्षेप का न्यायनिर्णयन किया गया है या जहां आयुक्त ने खण्ड (ज) के परंतुक के अधीन किसी दावे या आक्षेप को ग्रहण करने से

इंकार कर दिया है वहां किए गए ऐसे आदेश के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह किसी व्यापारी के विरूद्ध धारा 21 के अधीन कर निर्धारण से संबंधित आदेश है और वह उन्हीं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए होगा जो कि इस अधिनियम के अधीन अपील, पुनरीक्षण या किसी अन्य उपचार की होती है।

(7) जहां आयुक्त, प्रवेश, तलाशी या माल के अभिग्रहण में किसी प्रतिरोध की आशंका करता है वहां वह उपधारा (3) या उपधारा (5) के खण्ड (क) या उपधारा (6) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समस्त या किन्हीं प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए अपनी सहायता के लिए राज्य सरकार के किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी की, जो उस स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखता है जिसमें प्रवेश, तलाशी या अभिग्रहण किया जाना है, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से सेवाएं अध्यपेक्षित कर सकेगा और ऐसे पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि ऐसी अपेक्षा का पालन करें ।

(8) इस धारा के अधीन प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण करते समय आयुक्त, जब तक कि इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग तथा उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिनका कि प्रयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के उपबंधों के अधीन प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है और जिसका अनुसरण किए जाने की उससे अपेक्षा की जाती है ।

धारा–57–क. नवीन प्रावधान।

धारा–58. (1) राज्य सरकार और या आयुक्त यदि उनका यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन का निवारण करने या उसे रोकने की दृष्टि से वैसा करना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा, राज्य के भीतर रेल परिसरों को अपवर्जित करते हुए उस स्थान या उन स्थानों पर, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, जांच चौकियां या नाके स्थापित कर सकेंगे :

परंतु आयुक्त एक बार में छह मास से अधिक की कालावधि के लिए कोई जांच चौकी स्थापित नहीं करेगा या कोई नाका (बेरियर) नहीं बनाएगा ।

(2) (क) विक्रय कर अधिकारी की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी जांच चौकी का भारसाधक होगा (जो इसमें इसके पश्चात् जांच चौकी अधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है) और अधिकारियों के अन्य प्रवर्ग द्वारा उसे सहायता दी जाएगी ।

(ख) इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए, जांच चौकी अधिकारी इस धारा के अधीन उसे प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(3) किसी यान का चालक या भरसाधक व्यक्ति या किसी यान में ले जाए जा रहे माल का कोई स्वामी या भारसाधक व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात् परिवहनकर्ता के नाम से निर्दिष्ट है) जो ऐसे माल का परिवहन कर रहा हो जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचित माल के नाम से निर्दिष्ट है) माल के परेषक द्वारा यान में परिवहन किए जा रहे अधिसूचित माल के संबंध में ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जसी कि विहित की जाएं, जारी किया गया बीजक, बिल या चालान या कोई अन्य दस्तावेज, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अपने साथ रखेगा ।

(4) (क) प्रत्येक परिवहनकर्ता, जो किसी अधिसूचित माल का छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर परिवहन कर रहा हो, उपधारा (1) के अधीन स्थापित की गई किसी जांच चौकी या बनाए गए किसी नाके (बेरियर) को पार करने के पूर्व, जांच चौकी अधिकारी को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए जसी कि वहित की जाएं, परेषक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित एक घोषणा परिदत्त करेगा जहाँ माल छत्तीसगढ़ में आयात किया जा रहा हो वहाँ प्रत्येक परिषेती से संबंधित परेषण या परेषणों के बारे में पृथक घोषणा फाइल की जाएगी और जहां माल राज्य के बाहर भेजा जा रहा हो वहां प्रत्येक परेषक के परेषणों के बारे में पृथक घोषणा फाइल की जाएगी । यदि छत्तीसगढ़ में का परेषिती "स्वयं" के रूप में दर्शाया गया हो या वर्णित किया गया हो तो छत्तीसगढ़ में परिदत्त किए जाने वाले माल के संबंध में कोई भी घोषणा तब तक प्रतिगृहीत नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति के संबंध में पूर्ण विशिष्टियां तथा उसका पूरा पता न दिया गया हो जो कि मध्यप्रदेश में गंतव्य स्थान पर माल का परिदान प्राप्त करेगा ।

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट घोषणा पत्र रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा विहित रीति में तथा विहित फीस का भुगतान करने पर अभिप्राप्त किया जायेगा।

(5) परिवहनकर्ता यान को प्रत्येक जांच चौकी या नाके (बेरियर) पर रोकेगा और उसे उतने समय तक के लिए खडा रखेगा जितना कि जांच चौकी अधिकारी द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित किया जाए, और उसे यान की तलाशी लेने देगा और अधिसूचित माल का तथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने देगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, उसे अपना नाम तथा पता एवं यान के स्वामी के तथा माल के परेषक एवं परेषिती का नाम तथा पता देगा ।

(6) जांच चौकी अधिकारी को ऐसे अधिसूचित माल को, या माल के साथ–साथ यान को, निरूद्ध करने या अभिगृहीत करने की शक्ति होगी, –

(क) जिसके कि संबंध में उपधारा (4) के अधीन कोई घोषणा नहीं है या ऐसी घोषणा या तो माल के प्रकार के या उसके परिमाण या मूल्य के संबंध में मिथ्या या ग़लत है; या

(ख) जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट दस्तावेजों में नहीं दर्शाया गया है या जिसके संबंध में कोई दस्तावोज नहीं हैं ; या

(ग) जिसके संबंध में उक्त दस्तावेज मिथ्या है। या जिनके मिथ्या होने का युक्तियुक्त रूप से संदेह है ।

(7) यदि जांच चौकी अधिकारी, यान की तलाशी लेने तथा दस्तावेजों या घोषणा का सत्यापन करने के पश्चात् कोई ऐसी चूक पाता है, जो उपधारा (6) में निर्दिष्ट है, तब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसे माल के संबंध में कर के अपवंचन को सुकर बनाने का प्रयास किया जा रहा था, और वह उसके लिए लिखित में कारण अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे माल को या माल के साथ–साथ यान को ऐसी रीति में जो कि विहित की जाए, अभिगृहीत कर सकेगा ।

(8) उपधारा (7) के अधीन अधिसूचित माल के अभिग्रहण करने के पश्चात् जांच चौकी अधिकारी, ऐसे समस्त माल की एक सूची तैयार करेगा जिस पर उसके स्वयं के तथा परिवहनकर्ता के हस्ताक्षार होंगे तथा वह उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए समस्त उपाय करेगा ।

(9) उपधारा (7) के अधीन अधिसूचित माल या माल के साथ–साथ यान का अभिग्रहण करने वाला जांच चौकी अधिकारी मामले के समस्त तथ्यों पर भी परिवहनकर्ता का कथन अभिलिखित करेगा और अभिगृहीत माल और यान के परेषक तथा परेषिती के संबंध में विशिष्टियां भी अभिप्राप्त करेगा । इस

धारा के किसी उपबंध के अतिक्रमण के कारण भी यदि कोई हो, अभिलिखित किए जाएंगे ।

(10) यदि परिवहनकर्ता के कथन पर विचार करने के पश्चात् जांच चौकी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि स्पष्टीकरण संतोषप्रद है तथा यह कि अभिगृहीत माल के संबंध में कर के भुगतान का अपवंचन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था तो वह अपने निष्कर्ष, उसके लिए कारण देते हुए अभिलिखित करेगा और माल या माल के साथ–साथ यान को परिवहनकर्ता के पक्ष में ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाए, निर्मुक्त कर देगा ।

(11) यदि जांच चौकी अधिकारी का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह परिवहनकर्ता पर विहित प्ररूप में एक सूचना, सूचना की तामील के सामान्यतः पंद्रह दिन के भीतर यह कारण दर्शाने की अपेक्षा करते हुए तामील करेगा कि कर की उस रकम के, जो कि उस दशा में देय होती जब कि अधिसूचित माल ऐसे अभिग्रहण की तारीख को राज्य के भीतर बेचा गया होता, पांच गुने से अनधिक ऐसी राशि की , जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट हो, शास्ति उस पर क्यों न अधिरोपित की जाए ।

(12) अधिसूचित माल का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी उपधारा (13) के अधीन कार्यवाहियां के लंबित रखने के दौरान किसी भी समय नकद प्रतिभूति या अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी के रूप में ऐसी रकम की प्रतिभूति निक्षिप्त किए जाने पर, जो कि उसकी राय में उस शास्ति के लिए पर्याप्त होगी जिसका कि अधिरोपित किया जाना संभाव्य हो, माल या/तथा यान को परिवहनकर्ता के पक्ष में निर्मुक्त कर सकेगा ।

(13) जांच चौकी अधिकारी, परिवहनकर्ता के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो विचार करने के पश्चात् तथा उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि उसका परिवहनकर्ता के स्पष्टीकरण तथा कथन से समाधान हो जाता है तो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणें से सूचना को प्रभावोन्मुक्त कर देगा तथा अभिगृहीत माल को या अभिगृहीत माल सहित या उसके बिना यान को परिवहनकर्ता के पक्ष में ऐसी रीति में निर्मुक्त कर देगा जो कि विहित की जाए । यदि उक्त अधिकारी का इस प्रकार समाधान न हो तो वह अपना निष्कर्ष, उसके लिए कारण देते हुए तदनुसार अभिलिखित करेगा और सूचना में निर्दिष्टि राशि से अनधिक ऐसी शास्ति अधिरोपित करते हुए, जैसी कि वह ठीक समझो, आदेश पारित करेगा :

परंतु शास्ति की रकम, कर की उस रकम के, तीन गुने से अन्यून किंतु पांच गुने से अधिक नहीं होगी, जो कि यदि माल राज्य के भीतर बेचा गया होता, तो उस पर देय होती ।

(14) उपधारा (13) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति परिवहनकर्ता पर तामील की जाएगी ।

(15) शास्ति या उसका ऐसा भाग, जो कि उपधारा (12) के अधीन निक्षिप्त की गई किसी रकम के समायोजन के पश्चात् बाकी बचे, निक्षेप शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की प्रति की तामील से पंद्रह दिन के भीतर विहित रीति में किया जाएगा । इसमें व्यतिक्रम होने पर जांच चौकी अधिकारी अधिसूचित माल का विक्रय ऐसी रीति में करवाएगा, जैसी कि विहित की जाए, तथा उसके विक्रय आगमों को शास्ति हेतु उपयोजित करेगा और बाकी, यदि कोई हो, परिवहनकर्ता को वापस कर देगा । यदि माल के विक्रय आगम शास्ति की रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हों या उसके लिए प्रयत्न किए जाने के बावजूद माल का विक्रय नहीं किया जा सका हो तो उक्त अधिकारी उपरोक्त रीति में यान का विक्रय करवाएगा और उसके विक्रय आगमों को शास्ति के बकाया के हेतु उपयोजित करेगा और ऐसे विक्रय आगमों के अतिशेष को, यदि कोई हों, व्यापारी को वापस करेगा ।

(16) जहां माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी की उपधारा (11) या (13) के अधीन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय, यह राय हो कि अधिसूचित माल शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है, या जबकि यह संभाव्य हो कि उन्हें अभिरक्षा में रखने संबंधी व्यय उनके मूल्य से अधिक हो जाएंगे, वहां वह शास्ति के अधिरोपण संबंधी कार्यवाहियों के पूर्ण होने की प्रतीक्षा किए बिना उसे ऐसी रीति में बिकवा सकेगा, जैसी कि विहित की जाए, तथा उसके विक्रय आगमों को उक्त कार्यवाहियों के पूर्ण होने तक के लिए निक्षेप में रख सकेगा । निक्षेप मे इस प्रकार रखी गई रकम, ऐसी शास्ति, यदि कोई हो, जो कि अधिरोपित की जाए, के हेतु उपयोजित की जाएगी तथा बाकि अतिशेष, यदि कोई हो, उपधारा (15) के उपबंधों के अनुसार परिवहनकर्ता को वापस कर दी जाएगी ।

(17) उपधारा (13) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश धारा 48 और 49 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा ।

(18) परेषक या परेषिती उस घोषणा की प्रति को तथा घोषणा के अंतर्गत माल से संबंधित उन अन्य दस्तावेजों को, ऐसी कालावधि तक बनाए रखेगा, जैसी

कि विहित की जाए, और उस कालावधि के भीतर जब कभी भी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उनकी मांग की जाएं, उन्हें उसके समक्ष पेश करेगा ।

धारा–60. विक्रय कर विभाग का कोई भी पदाधिकारी, जो सहायक विक्रय कर अधिकारी की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, जिसे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाए, ऐसे माल का उसे लादे जाने या उतारे जाने के स्थान पर उस माल का उसके हक संबंधी दस्तावेजों सहित निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे यान का, जिसमें ऐसे माल का परिवहन किया गया हो, स्वामी या तत्समय प्रभारी व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी को इस प्रयोजन के लिए समस्त सहायता देगा ।

धारा–63. आयुक्त या उसे सहायता देने के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहायक विक्रय कर अधिकारी की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, किन्हीं बैंककारी या गैरबैंककारी वित्तीय कंपनियों से या उनके किसी अधिकारी से इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत कोई जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा ।

धारा–71. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् तथा अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी या उसमें कोई संशोधन कर सकेगी :

परन्तु यदि राज्य सरकार नियम या उसमें कोई संशोधन तत्काल प्रवृत्त करना आवश्यक समझे तो वह ऐसे नियम या उनमें संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना बना सकेगी/कर सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, निम्नलिखित को विहित करते हुए नियम बना सकेगी,–

(क) ऐसे समस्त विषय, जिनका इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन विहित किया जाना अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित है या जो इस अधिनियम के अधीन विहित किए जाएं;

(ख) धारा 2 के खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए सिविल संरचना;

(ग) धारा 4 की उपधारा (1) तथा धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन सीमा;

(घ) वह रीति जिसमें धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाहियां संस्थित की जाएंगी;

(ङ) वह रीति जिसके द्वारा ठेकेदार अथवा उप–ठेकेदार द्वारा धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत कर का भुगतान प्रमाणित किया जावेगा ।

(च) संदत्त किए जाने हेतु एक मुश्त राशि के अवधारण के प्रयोजन के लिए दर तथा वह रीति जिसमें एक मुक्त राशि अवधारित की जाएगी तथा वह समय जिसके भीतर और वह रीति जिसमें ऐसी एक मुश्त राशि का संदाय धारा 10 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के अधीन किया जाएगा;

(छ) वह रीति तथा कालावधि जिसमें धारा 13 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा आगत कर पर छूट का दावा किया जाएगा या उसे अनुज्ञात किया जाएगा;

(ज) (एक) वह रीति जिसमें कोई व्यापारी उपधारा (1) तथा (2) के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा और वह कालावधि जिसके भीतर व्यापारी धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा, वह प्ररूप तथा रीति जिसमें रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र को प्रदान किए जाने के लिए आवेदन धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन किया जाएगा ;

(दो) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्ररूप तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर किए जाने की रीति और उक्त धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर किए जाने के लिए आवेदन में दी गई विशिष्टियों का सत्यापन;

(तीन) वह समय जिसके भीतर तथा वह प्राधिकारी जिसे कारबार की तब्दीलियों के संबंध में जानकारी धारा 16 की उपधारा (8) के अधीन दी जाएगी;

(चार) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने की रीति तथा आवेदन का प्ररूप एवं धारा 17(2) के अधीन जारी होने वाले अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का प्ररूप;

(पांच) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की रीति एवं प्ररूप;

(छ) (एक) नोटिस तामील करने की रीति और वह प्राधिकारी जिसको वह कालावधि, जिसके लिए वह प्ररूप, वह रीति जिसमें और वे तारीखें जिन तक धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विवरणियां दी जाएंगी;

(दो) वह रीति जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर पुनरीक्षित विवरणी धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन दी जाएगी;

(तीन) वह प्ररूप तथा वह रीति जिसमें; वह कालावधि जिसके लिए और वह तारीख जिसके द्वारा धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन विवरण पत्रक दिए जाएंगें;

(चार) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति, जिसमें तथा वह दिनांक जिसकी एवं अधिकारी जिसके समक्ष विवरण पत्र प्रस्तुत किए जाएंगें;

(ञ) (एक) वे शर्ते तथा निर्बन्ध जिनके अध्यधीन रहते हुए किसी वर्ष के भाग के लिए निर्धारण किया जा सकेगा';

(दो) उस नोटिस का प्ररूप तथा वह रीति जिसमें कर का निर्धारण/पुनःनिर्धारण धारा 21 की उपधारा (4),(5) तथा (6) के अधीन और पुनःनिर्धारण धारा 22 के अधीन किया जाएगा;

(ट) (एक) वह फीस जिसका भुगतान करने पर कोई कर व्यवसायी या कोई व्यक्ति कर व्यवसायी के रूप में उपसंजात होने के लिए हकदार है धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन स्वयं को नामांकित कराएगा;

(दो) धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन नामांकन प्रमाणपत्र का प्ररूपः

(ठ) (एक) वह रीति जिसमें वह समय जिसके भीतर तथा वे अंतराल जिन पर कर धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन चुकाया जाएगाः

(दो) वह रीति जिसमें शोध्य कर की रकम का भुगतान धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन सरकार को किया जाएगा तथा वे निबंधन तथा शर्त जिनके अध्यधीन रहते हुए बही समायोजन द्वारा धारा 25 की उपधारा (4) के अधीन भुगतान के लिए अनुज्ञा दी जा सकेगीः

(तीन) वह प्रारूप जिसमे धारा 25 की उपधारा (5) के अधीन सूचना जारी की जाएगीः

(चार) वे निर्बधन तथा शर्तें जिनके अध्याधीन रहते हुए आयुक्त द्वारा

धारा 25 की उपधारा (7) के अधीन और समय प्रदान किया जा सकेगा:

(पांच) वह रीति जिसमें और वह कालावधि जिसके भीतर आयुक्त धारा 25 की उपधारा (11) के अधीन कर के बकाया की वसूली के संबंध में व्यापारी या व्यक्ति तथा प्राधिकारी को इत्तिला देगा:

(छह) उस सूचना का प्ररूप तथा वह रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर अग्रिम में देय कर धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन चुकाया जाएगा:

(सात) वह रीति जिसमें क्रेता या संविदा भाड़े पर देने वाले व्यक्ति द्वारा काटी गई रकम, धारा 27 की उपधारा (4) तथा (5) के अधीन चुकायी तथा समायोजित की जाएगी और धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्ररूप तथा रीति जिसमें, वह प्राधिकारी जिसको तथा वह कालावधि जिसके भीतर उक्त धारा की उपधारा (8) के अधीन विवरण दिया जाएगा:

(आठ) वह प्ररूप तथा रीति जिसमें, तथा वह प्राधिकारी जिसके द्वारा धारा 28 के अधीन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा:

(नौ) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली सूचना का प्ररूप:

(ङ) (एक) धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन दी जाने वाली सूचना का प्ररूप:

(दो) धारा 37 की उपधारा (5) के अधीन सूचना का प्ररूप तथा सूचना के प्रकाशन की रिति:

(तीन) उस आवेदन का प्ररूप जिसमें प्रतिदाय का दावा धारा 37 की उपधारा (6) के अधीन किया जा सकेगा:

(ढ़) वह रीति जिसमें धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिदाय किया जाएगा:

(ण) वह तारीख जिसके द्वारा लेखा संपरीक्षित किए जाएंगे और वह प्ररूप तथा रीति जिसमें और वह समय जिसकें भीतर धारा 41 के अधीन संपरीक्षा की रिपोर्ट दी जाएगी:

(त) वे विशिष्टियॉं जो धारा 42 के अधीन जारी किए गए बिल, बीजक, केशमेमो में दी जाएगी:

(थ) वे निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए आयुक्त धारा 43 के अधीन अपनी शक्तियॉं तथा इस अधिनियम के अधीन कर्तव्य प्रत्यायोजित कर सकेगा:

(द) धारा 45 की उपधारा (1) के खण्ड (फ) के अधीन प्रधिकारियों और अधिक शक्तियों को विहित किया जाना:

(ध) (एक) वह रीति जिसमें अपील धारा 48 तथा धारा 49 की उपधारा (4) और (6) के अधीन फाइल की जा सकेगी :

(दो) अपील उप आयुक्त या बोर्ड द्वारा धारा 48 की उपधारा (6) के अधीन अपीलो का निपटारा करने मे अनुसरण करने के लिए प्रक्रिया:

(तीन) धारा 49 की उपधारा (3) के अधीन सूचना का प्ररूप :

(चार) धारा 48,49 या 56 के अधीन अपीलों, पुनरीक्षण संबंधी आवेदनो के निपटारे या भूल के परिशोधन के लिए और इस अधिनियम के अधीन अनुतोष के लिए प्रकीर्ण आवेदनों या याचिकाओं के निपटारे के लिए प्रक्रिया तथा फीस को सम्मिलित करते हुए उससे आनुषंगिक अन्य विषय:

(न) ऐसे न्यायालय फीस स्टाम्पों का मूल्य जो धारा 51 के अधीन अपील या पुनरीक्षण संबंधी आवेदन पर लगाये जाएंगे:

(प) धारा 54 की उपधारा (2) के अधीन जारी की जाने वाली सूचना का प्ररूप:

(फ) धारा 56 की उपधारा (1) के परंतुक के खण्ड (दो) के अधीन सूचना देने का प्ररूप:

(ब) (एक) धारा 57 की उपधारा (3) के अधीन वे शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए, आयुक्त लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज पेश करने अथवा अन्य जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा:

(दो) धारा 57 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) के अधीन तामील की जाने वाली सूचना का प्ररूप:

(तीन) रीति जिसके अनुसार धारा 57 की उपधारा (6) के खण्ड (च) के अधीन माल का व्ययन किया जाएगा:

(चार) (क) वह रीति जिसमें जांच चौकियां स्थापित की जाएंगी या नाके (बेरियर्स) बनाए जाएगें, वह रीति जिसमें और वह फीस जिसका भुगतान करने पर घोषणापत्र अभिप्राप्त किया जायगा, वह प्ररूप तथा रीति जिसमें घोषणा तथा अन्य दस्तावेज परिदत्त किए जाएंगे या फाइल किए जाएगे, वह रीति जिसमें माल अभिगृहीत किया जाएगा या निर्मुक्त किया जाएगा, सूचना तामील किए जाने का प्ररूप, वह रीति जिसमें शास्ति जमा की जाएगी, वह रीति जिसमें अभिगृहीत माल बेचा जाएगा, वह कालावधि

जिस तक घोषणा तथा अन्य दस्तावेजें धारा 58 के अधीन परेषिती द्वारा रखे जाएंगे;

(ख) वे निर्बन्धन जिनके अधीन रहते हुए धारा 58 के अधीन किसी यान को रोका जा सकेगा;

(ग) वह प्ररूप तथा रीति जिसमें धारा 59 के अधीन पास अभिप्राप्त होगा;

(घ) वह प्रधिकारी जिसे, वह समय जिसके भीतर तथा वह प्ररूप जिसमें धारा 62 के अधीन जानकारी दी जाएगी;

(भ) वे शर्ते जिनके अध्यधीन रहते हुए, आयुक्त उसकी सहायता के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्तियो को इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराधों का धारा 64 की उपधारा (4) के अधीन अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

(म) वह प्ररूप तथा वह रीति जिसमे, वह प्राधिकारी जिसके द्वारा वह समय जिसके भीतर तथा वह कालावधि जिसके लिए कर समाशोधन प्रमाणपत्र धारा 65 के अधीन जारी किया जाएगा;

(य) वह प्ररूप तथा वह रीति जिसमें प्राधिकारी को आवेदन किया जाएगा तथा वह प्रक्रिया जिसके अनुसार प्राधिकारी धारा 70 के अधीन कोई आदेश पारित करेगा;

(क–1) (एक) वह रीति तथा वह कालावधि जिसमें आगत कर धारा 73 के अधीन किया जाएगा या अनुज्ञात किया जाएगा;

(दो) वह प्ररूप तथा रीति जिसमें तथा वह कालावधि जिसके भीतर माल के भण्डारण (स्टाक) के ब्यौरे धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन दिए जाएंगे;

(ख–1) (एक) इस अधिनियम के अधीन कैसे तथा कितने समय के भीतर, आवेदन किए जाएंगे जानकारी दी जाएगी और सूचना तामील की जाएगी;

(दो) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिये नियुक्त किए गए अधिकारियों के कर्तव्य तथा उनकी शक्तियां; और

(तीन) साधारणतः इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन और उक्त कार्यवाहियों में प्रयुक्त किए जाने वाले प्ररूप;

(3) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति में वह शक्ति भी सम्मिलित है कि नियमो को या उनमें से किसी भी नियम को किसी ऐसी तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्वतर न हो, भूतलक्षी प्रभाव दिया जाए;

(4) कोई भी नियम बनाते समय राज्य सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि–

(क) उसका भंग, जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये से अधिक न हो, और यदि अपराध चालू रहने वाला है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि अपराध चालू रहता है, ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस रूपये से अधिक न हो, दण्डनीय होगा; और

(ख) किसी नियम के उल्लघन के संबंध में आयुक्त ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पांच सौ रूपये से अधिक न हो;

परंतु ऐसी कोई भी शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(5) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीध्र विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

धारा–72. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को निरसित हो जाएगा;

परन्तुः–

(एक) ऐसे निरसन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,–

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम या अधिनियम क्रमांक 5 सन् 1995 द्वारा निरसित अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1959 (जो इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या भुगती गई किसी बात पर; या

(ख) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा जिसनें राज्य में नई औद्योगिक इकाई स्थापित की है या जिसनें ऐसी औद्योगिक इकाई का विस्तार, आधुनिकीकरण या शबलीकरण कर दिया था, कर के भुगतान से छूट के तौर पर औद्योगिक रियायत की सुविधा का लाभ उठानें के लिये उस अधिनियम के अधीन उद्भुत अधिकार या प्राधिकार जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से, इस हेतु जारी अधिसूचना द्वारा कर के भुगतान के आस्थगन की सुविधा में परिवर्तित किया जायेगा, के सिवाय किसी ऐसे अधिकार, विषेशाधिकार बध्यता या दायित्व पर जो निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया हो;

(ग) निरसित अधिनियम के विरूध्द किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर; या

(घ) किसी ऐसे अधिकार, विषेशाधिकार, बाध्यता, दायित्व के संबंध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर, तथा

ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखी जा सकेगी या प्रवर्तित किया जा सकेगा तथा किसी ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड को इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो कि वह अधिनियम पारित ही नही किया गया था तथा उक्त अधिनियम निरसित ही नही किया गया था।

(दो) जब तक कि वह अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, निरसित अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए की गई कोई बात या की गई किसी कार्रवाई (जिसके अंतर्गत कोई नियुक्त, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम या प्रमाणपत्र आता है) जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधो से असंगत नहीं है, जब तक और जहां तक कि वह इस अधिनियम के द्वारा उसके अधीन अतिष्ठित न कर दी गई हो, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए की गई समझी जाएगी मानो कि यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त था जबकि ऐसी बात या कार्रवाही की गई थी और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय कर के समस्त बकाया तथा शोध्य अन्य रकमें उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानों कि वे इस अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत हुई है।

(तीन) निरसित अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई कर निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण या उद्भूत होने वाली अन्य कार्यवाहियां तथा/या इस नियम के ठीक पूर्व कर निर्धारण करने या सुनवाई करने तथा विनिश्चित करने के लिए सम्यकरूपेण सशक्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष लंबित ऐसी अपील, पुनरीक्षण, अन्य कार्यवाही ऐसे प्रारंभ होने की तारीख को इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण करने या अपील या पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहीयों की इसके लिए विनिर्दिष्ट कालावधि, यदि कोई हो, के भीतर सुनवाई करने तथा विनिश्चित करने के लिए सक्षम अधिकारी या प्राधिकारी को अंतरित की जाएगी और तदुपरि ऐसा कर निर्धारण निरसित अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा तथा ऐसी अपील या पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की सुनवाई तथा उसका विनिश्चय ऐसे अधिकरी या प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा मानो कि वे निरसित अधिनियम के प्रयोजन के अधीन सम्यक्रूप से सशक्त है।

(चार) (क) निरसित अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यापारी या आयुक्त द्वारा उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकरण को प्रस्तुत कोई आवेदन; या

(ख) निरसित अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई ऐसा आवेदन; या

(ग) उच्च न्यायालय को निरसित अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई निदेश,

यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को लंबित है तो निरसित अधिनियम की धारा 70 के उपबंधो के अनुसार यथास्थिति, बोर्ड या उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार निपटाया जाएगा मानो कि यह अधिनियम पारित ही नही किया गया था और उक्त अधिनियम निरसित ही नही किया गया था।

(पांच) खण्ड (एक) में अंतर्विष्टि किसी बात के होते हुए भी, किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियां जो निरसित अधिनियम के अधीन उद्भूत हों किन्तु इस अधिनियभ के प्रारंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की गई या आरंभ की गई है तो वह इस अधिनियम के उपबंधो के अनुसार किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियां ग्रहण करने के लिए सक्षम प्राधिकरी द्वारा सुनवाई की जाएगी तथा उसका विनिश्चय किया जाएगा।

धारा–73. (1) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को अनुसूची–2 मे विनिर्दिष्ट किसी माल का स्टाक (भंण्डारण) रखता है तो, वह उसकी विशिष्टियां ऐसे प्ररूप मे, ऐसी कालावधि के भीतर, ऐसी रीति मे तथा ऐसे प्राधिकारी को,जैसा कि विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को इस अधिनियम की अनुसुची–2 में विनिर्दिष्ट कोई ऐसा माल रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा स्टाक में धारित किया गया है जो इस अधिनियम द्वारा निरसित किए गए अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत करदत्त माल है और जो उसके द्वारा उक्त तारीख को या उसके पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम मे विक्रय के लिए है तो ऐसे माल के संबंध में, ऐसी रीति मे तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, आगत कर के रिबेट का दावा निम्नानुसार करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा,–

(एक) यदि माल राज्य के भीतर विक्रित हुआ है तो अनुसूची–दो के कालम (3) में विनिर्दिष्ट दर पर; तथा

(दो) यदि ऐसा माल अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रित किया गया है, तो चार प्रतिशत की दर पर या अनुसुची–दो के कालम (3) में विनिर्दिष्ट दर पर जो भी कम हो;

(3) (क) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को इस अधिनियम की अनुसूची–दो मे विनिर्दिष्ट स्टाक में धारित किया गया कोई, माल अनुसूची–तीन में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न करदत्त माल से विनिर्मित माल है, अनुसुची–दो में विनिर्दिष्ट किसी माल को कच्चे माल के रूप मे उपयोग किया है या पेकिग मटेरियल या खनन में विस्फोटक के रूप में उपयोग या उपभोग किया है तो ऐसा व्यापारी उक्त तारीख को या उसके छत्तीसगढ़ राज्य में अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय के लिए ऐसे करदत्त माल के संबंध में अनुसूची–दो के कालम (3) में विनिर्दिष्ट दर या ऐसी दर पर जिस पर इस अधिनियम के द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन धारित कर जो भी कम हो, आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(ख) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने की पूर्व तारीख को अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट कोई माल स्टाक मे धारित किया गया करदत्त माल है, व्यापारी द्वारा अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट किसी कच्चे माल के रूप में उपयोग या उपभोग किया गया है या पेकिंग मटेरियल के रूप में उपयोग किया गया हैं या खनन के लिए विस्फोटक के रूप मे उपयोग किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में उसके द्वारा विक्रय के लिए किया गया है, तो वहां अनुसूची–दो के कालम (3) में विनिर्दिष्ट की गई दर से या ऐसी दर से जो इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन करदत्त माल के संबंध में कर वहन किया गया था, इनमें से जो भी निम्न हो, आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में और कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत करदत्त माल का उक्त तारीख को या उसके पश्चात् विक्रय, इस अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (दो) के अधीन, कर योग्य नही होगा।

स्पष्टीकरण:– इस खण्ड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "कच्चा माल" तथा "करदत्त माल" को वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम की धारा 2 के खण्ड क्रमशः (द) तथा (भ) में उनके लिए दिया गया है।

अनुसूची –1

{धारा 15 देखिए}

अनुक्रमांक	माल का वर्णन	शर्ते तथा अपवाद
(1)	(2)	(3)
1	शरीरिक रूप से कार्यान्वित या पशुओं द्वारा चलाए जान वाले कृषि उपकरण	
2	विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सहायक तथा उपकरण	
3	जलीय खाद्य, कुक्कुट खाद्य जिसमें घास,सूखी घास तथा भूसा सम्मिलित है	
4	पान	
5	पुस्तकें, नियतकालिन पत्रिकाएं (पीरियाडिकल्स) तथा जरनल्स	
6	चरखा तथा अम्बर चरखा,हाथ करघे (हैडलूम्स) और हाथ करघा फेब्रिक तथा गांधी टोपी	
7	चारकोल	
8	धान चावल और गेंहू से भिन्न अपरिष्कृत अनाज	
9	कंडोम और गर्भनिरोधक (कन्ट्रासेपटिब्ज)	
10	काटन तथा लच्छी में सिल्क यार्न	
11	दही लस्सी मक्खन दूध तथा सेपरेटा दूध	
12	मिटटी के बर्तन	
13	विद्युत ऊर्जा	
14	जलाऊ लकडी (फायर वुड)	
15	मत्स्य जाल तथा बुना हुआ जाल	
16	ताजा दूध तथा कीटाणु रहित दूध	
17	ताजी वनस्पति नया पौधा तथा ताजे फूल	
18	ताजी सब्जी तथा फल	
19	अदरक तथा लहसुन	
20	कांच की चुड़िया	
21	मानव रक्त तथा मानव रक्त प्लाज्मा	
22	हाथ से बनाए हुए स्वदेशी वाद्य यन्त्र	
23	कुमकुम बिंदी आल्ता सिंदूर	
24	मांस मछली झीगा तथा अन्य जलीय उतपाद जब अभिसाधित या स्तभित न हों अण्डे और पशुधन तथा पशुओ के बाल	

25 राष्ट्रीय ध्वज

26 सरकारी खजाने द्वारा बेचे गए न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर. सादा कागज सामान्यतः वेष्ट पत्र (चित्रण पत्र) सरकार द्वारा बेची गई डाक साम्रगी जैसे लिफाफे पोस्टकार्ड आदि रूपया नोट जब रिजर्व बैंक आफ इंडिया को बेचे जाए तथा चैक खुले हुए या पुस्तक प्ररूप में

27 कार्बनिक खाद जिसमें गोबर सम्मिलित है

28 कच्ची ऊन

29 वीर्य जिसमें स्तंभित वीर्य सम्मिलित है

30 रेशम कृमि पालन कोया (कनून) तथा कच्चा रेशम

31 स्लेट तथा स्लेट पेसिल्स

32 कच्चा हरा नारियल

33 ताड़ी नीरा तथा अर्क

34 बिना मार्क वाली ब्रेड

35 गैर संधारित तथा बिना मार्क वाला नमक

36 (एक) वातित खनिज आसूत औषधीय आयनिक बैटरी अवातितजल तथा

(दो) सीलबंद साधनों में बेंचे जाने वाले जल को छोड़कर अन्य जल.

अनुसूची–2

भाग–1

क्रमांक	विवरण	धारा 8 (एक) के अधीन कर की दर % (प्रतिशत)	धारा 8 (दो) के अधीन कर की दर % (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सोने तथा चांदी की वस्तुएं जिनमें सिक्के बुलियन तथा सिक्के (स्पेसी) सम्मिलित है	1	—
2	निजी पहने के सोने तथा चांदी के आभूषण	1	—
3	बहुमूल्य रत्न जैसे –हीरा पन्ना माणिक मोती तथा नीलम चाहे वे पृथक से या किसी ऐसी वस्तु के भाग के रूप में जिसमें वे जड़े हों बेंचे जाए	1	—

भाग—2

क्रमांक (1)	विवरण (2)	धारा 8 (एक) के अधीन कर की दर % (प्रतिशत) (3)	धारा 8 (दो) के अधीन कर की दर % (प्रतिशत) (4)
1	कृषि उपकरण शरीरिक रूप से कार्यान्वित नही किए जाने वाले या पशुओं द्वारा नही चलाए जाने वाले.	4	—
2	संसूचना के समस्त उपस्कर जैसे – प्राइवेट ब्रांच एक्सचेज (पी बी एक्स) तथा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज (ई पी बी एक्स)	4	—
3	समस्त अभौतिक वस्तुएं जैसे कापीराइट पेटेट रीप लायसेंस इत्यादि	4	—
4	सभी प्रकार की ईटें जिसमें उड़ने वाली राख से बनी ईट ऊष्मसह ईट असफाल्टिक रूफिंग मिट्टी के टाइल्स सम्मिलित है	4	—
5	सभी प्रकार का सूत हाथ से बने कपास तथा रेशम का सूत तथा सीने का धागा छोड़कर	4	—
6	एल्युमीनियम के बर्तन तथा कलई किए हुए बर्तन	4	—
7	सुपारी पावडर तथा सुपारी	4	—
8	बांस	4	—
9	बियरिंग	4	—
10.	पट्टा (बेलटिंग्स)	4	—
11	बायसिकल ट्रायसिकल सायकिल रिक्शा तथा उसके पुर्जे	4	—
12	डामर	4	—
13	अस्थिचूर्ण	4	—
14	मार्का वाली ब्रेड	4	—
15	थोक औषधि	4	—
16	पूंजीगत माल जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे	4	—
17	ढलाई (कास्टिंग)	4	—
18	सेन्ट्रीफ्यूगल तथा मोनोब्लाक सबमर्सीबल पंप तथा उसके पुर्जे	4	—
19	काफी तथा काफी के बीच कोकोआ पोड़ हरी चाय पत्ती तथा चिकोरी (कासनी)	4	—

20	रासायनिक खादें नाशक जीवमार (पेस्टीसाइड़) घासफूसनाशक दवाइयां (बीडी साइड्स) तथा कीटनाशक दवाइयां (इन्सेक्टिसाइड्स)	4	—
21	कॉयर तथा कॉयर उत्पाद जिसमें कॉयर के गददे सम्मिलित नही है	4	—
22	कपास तथा काटन वेस्ट	4	—
23	कुठाली (क्रुसीबल्स)	4	—
24	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा14 में यथानिर्दिष्ट घोषित माल	4	—
25	खाने का तेल खली (आइल केक) तेलरहित खली	4	—
26	इलेक्ट्रोड्स	4	—
27	अभ्यास पुस्तकें (एक्सरसाइज बुक्स) ग्राफ बुक्स तथा प्रयोगशाला (लेबोरेट्री) नोटबुक	4	—
28	ढली हुई लौह और अलौह धातु तथा एलायस अलौह जैसे एल्युमिनियम ताबा जस्ता तथा उनके बहिबंधन	4	—
29	सभी प्रकार के फाइबर तथा फाइबर क्षेप्य	4	—
30	पिसान (फ्लोर) आटा मैदा सूजी बेसन आदि	4	—
31	तले चने	4	—
32	गुड़ खांड तथा खाने योग्य राब गुड़ की किस्म	4	—
33	हैण्ड पंप तथा अतिरिक्त पुर्जे	4	—
34	ज़ड़ी छाल सूखी वनस्पति सूखी जड़ सामान्यतः जो जड़ीबूटी तथा सूखे फूल के रूप में जानी जाती है	4	—
35	होस पाइप	4	—
36	होजरी का माल	4	—
37	भूसी तथा धान्यों की चोकर	4	—
38	बर्फ	4	—
39	धूपबत्ती सामान्यतः जो अगरबत्ती धूपकाड़ी या धूपबत्ती के नाम से जानी जाती है	4	—
40	औद्योगिक केबल्स (उच्चताप केबल्स एक्स एल पी ई केबल्स जलीफील्ड केबल्स आप्टीकल फाइबर्स)	4	—
41	आई टी उत्पाद जिनमें सम्मिलित है कम्प्युटर टेलीफोन तथा उसक पुर्जे टेलीप्रिंटर और वायरलेस उपकरण तथा उसके पूर्जे	4	—
42	पी डी एस द्वारा बेचा गया केरोसिन तेल	4	—
43	पत्तों से बनी प्लेट तथा कप	4	—
44	राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित औद्योगिक	4	—

	आगत तथा पेंकिग साम्रगी		
45	मुरमुरालु (मुर्रा) पिलालु (लाई) अटुकुलू पफ्ड राइस (पोहा) मुरी	4	—
46	निवार	4	—
47	नेपास्लेब (रफ फ्लेरिंग स्टोन)	4	—
48	अयस्क तथा खनिज	4	—
49	धान चांवल गेंहू तथा दालें	4	—
50	पेपर तथा न्युजप्रिंट	4	—
51	सभी प्रकार के पाइप जिसमें जी आई पाइप सी आई पाइप डक्टाइल पाइप तथा पी वी सी पाइप सम्मिलित है	4	—
52	प्लास्टिक पदत्राण (फुटवियर)	4	—
53	छपी हुई साम्रगी जिसमें सम्मिलित हैं डायरी कलैंडर इत्यादि	4	—
54	छापे की स्याही टोनर कारतूसों को छोड़कर	4	—
55	संधारित तथा मार्क वाला नमक	4	—
56	बांस लकडी तथा कागज की लुगदी	4	—
57	रेल के डिब्बे इंजन तथा वेंगन	4	—
58	बने बनाए वस्त्र	4	—
59	नवीकरणीय उर्जासाधन तथा अतिरिक्त पुर्जे	4	—
60	माचिस (सेफ्टी मैचेस)	4	—
61	बीज	4	—
62	सिलाई मशीन	4	—
63	जहाज तथा अन्य जलयान	4	—
64	रेशमीं कपड़ें	4	—
65	मलाई निकला हुआ दूध पावडर	4	—
66	जैव शोधक्षम तेल से भिन्न शोधक्षम तेल (आर्गनिक सालवेट आइल से भिन्न सालवेंट आइल)	4	—
67	सभी प्रकार तथा सभी किस्म के गर्म मसाले जिनमें जीरा बीज सौफ हल्दी तथा सूखी मिर्च सम्मिलित है	4	—
68	पहनने के परिधान तथा पदत्राण (फुटवियर) को छोड़कर खेल का सामान	4	—
69	स्टार्च	4	—
70	शक्कर तथा खांड़सारी	4	—
71	इमली	4	—
72	टेक्सटाइल फेबिक्स	4	—
73	तम्बाकू तथा तम्बाकू के उत्पाद	4	—

74	ट्रेक्टर हारवेस्टर तथा अनुलग्नक तथा उसके पुर्जे	4	—
75	ट्रांसमिशन टावर	4	—
76	उद्यान छाते से भिन्न छाता	4	—
77	वनस्पति (उद्जनित वनस्पति तेल)	4	—
78	वनस्पति तेल जिसमें जिंगली तेल तथा भूसी का तेल सम्मिलित है	4	—
79	लेखन यंत्र	4	—

भाग—3

क्रमांक	विवरण	धारा 8 (एक) के अधीन कर की दर % (प्रतिशत)	धारा 8 (दो) के अधीन कर की दर % (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डीजल	—	25
2	पेट्रोल	—	25
3	एबीएशन टरबाईन फ्यूल जो केंन्द्रीय विक्रय करअधिनियम 1956 (1956 का 74) की धारा 14 के खण्ड (दो—घ) में विनिर्दिष्ट किए गए से भिन्न है	—	25
4	प्राकृतिक गैस	—	25

भाग—4

क्रमांक	विवरण	धारा 8 (एक) के अधीन कर की दर % (प्रतिशत)	धारा 8 (दो) के अधीन कर की दर % (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	तेंदू पत्ता	12.5	12.5

भाग—5

क्रमांक	विवरण	धारा 8 (एक) के अधीन कर की दर % (प्रतिशत)	धारा 8 (दो) के अधीन कर की दर % (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	समस्त अन्य माल जो अनुसूची —1 तथा इस अनुसूची के भाग —एक से चार के अंतर्गत नही आते हैं	12.5	—

अनुसूची–3

{धारा 13 देखिए}

क्रमांक (1)	माल का विवरण (2)
1	पेट्रोल डीजल एवीएशन टरबाइन फ्युल प्राकृतिक गैस केरोसिन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस तथा कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस
2	ऐसा अन्य माल जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए

* * * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.